ISSN-0971-8397

विशेषांक

योजना

जुलाई 2023

विकास को समर्पित मासिक

सहकार से समृद्धि

प्रमुख आलेख

सहकार से समृद्धि : योजना से उपलब्धि तक

अमित शाह

फोकस

प्रतिस्पर्धा के लिए सशक्त बनेंगी सहकारी समितियां

डॉ मनीषा पालीवाल

विशेष आलेख

कृषि ऋण सहकारी समितियों को डिजिटलीकरण के माध्यम से सशक्त बनाना

अंशु सिंह

क्या आप जानते हैं?

सहकारी समितियों की मूल बातें: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सहकारिता क्या है?

सहकारिता की अवधारणा एक या अधिक सामान्य आर्थिक जरूरतों वाले व्यक्तियों के एक समूह की परिकल्पना करती है, जो स्वेच्छा से अपने साधनों - मानव और सामग्री दोनों को एकत्रित करने के लिए सहमत होते हैं, और उन्हें लोकतांत्रिक तर्ज पर अपने द्वारा प्रबंधित उद्यम के माध्यम से पारस्परिक लाभ के लिए उपयोग करते हैं।

सहकारिता, जीवन के कुछ मूल्यों पर आधारित आर्थिक संगठन का एक रूप है। यह मनुष्यों का एक स्वैच्छिक और लोकतांत्रिक संघ है, जो नियंत्रण, अवसर और वितरण की समानता पर आधारित है। इसके अलावा, यह उत्पादकों और उपभोक्ताओं के सामान्य हितों को बढ़ावा देने के लिए है। सभी आर्थिक संस्थाएं लाभ के लिए चलती हैं और लाभ कमाना ही उनका एकमात्र उद्देश्य होता है, जबकि सहकारिता अपने सदस्यों को मुनाफा कमाने के एकमात्र इरादे के बिना सेवाएं प्रदान करता है।

सहकारी समिति के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ग) में कहा गया है कि - सभी नागरिकों को संगम या संघ (या सहकारी समितियां) बनाने का मूल अधिकार होगा।
2. राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत 43ख - सहकारी समितियों को बढ़ावा देना - राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।
3. भारत के संविधान का भाग 9ख सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा देता है और इसमें उनके लोकतांत्रिक कामकाज के प्रावधान शामिल हैं।

सहकारी समिति क्या है?

सहकारी मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार संयुक्त स्वामित्व और लोकतांत्रिक नियंत्रण वाले उद्यम के माध्यम से उनकी सामान्य सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समाज के कमजोर वर्ग के व्यक्तियों का एक स्वायत्त, खुला और स्वैच्छिक संघ।

राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस क्या है?

राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस के निर्माण का प्राथमिक लक्ष्य और उद्देश्य सूचना आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली बनाना है।

- जमीनी स्तर पर पहुंच और सभी क्षेत्रों में गतिविधियों के समन्वय को मजबूत करके देश में सहकारी आंदोलन को नए स्तर पर ले जाना।
- आर्थिक विकास के सहकारी-आधारित समावेशी और टिकाऊ मॉडल को बढ़ावा देना।
- परिचालन प्रक्रियाओं को आसान बनाना।

स्रोत: सहकारिता मंत्रालय

ISSN-0971-8397
विशेषांक
योजना
वर्ष : 67
अंक : 07
जुलाई 2023
आषाढ़-श्रावण, शक संवत् 1945
पृष्ठ : 76

संपादक
डॉ ममता रानी, कांता रानी

संपादकीय कार्यालय
648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोदी रोड, नयी दिल्ली-110 003

संयुक्त निदेशक (उत्पादन) : डीकेसी हृदयनाथ
आवरण : बिन्दु वर्मा

योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से सम्बन्धित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।

योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के व्यक्तिगत हैं। ज़रूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

योजना में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।

योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं है, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

योजना लेखकों द्वारा आलेखों के साथ अपने विश्वसनीय स्रोतों से एकत्र कर उपलब्ध कराए गए आंकड़ों/तालिकाओं/इन्फोग्राफिक्स के सम्बन्ध में उत्तरदायी नहीं है। योजना किसी भी लेख में केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत किसी भी ब्रांड या निजी संस्थाओं का समर्थन या प्रचार नहीं करती है।

योजना घर मंगाने, शुल्क में छूट के साथ दरों व प्लान की विस्तृत जानकारी के लिए **पृष्ठ-74** पर देखें।

योजना की सदस्यता शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है। इस अवधि के समाप्त होने के बाद ही योजना प्राप्त न होने की शिकायत करें।

योजना न मिलने की शिकायत या पुराने अंक मंगाने के लिए नीचे दिए गए ई-मेल पर लिखें -
pdjucir@gmail.com
या संपर्क करें-
दूरभाष : 011-24367453
(सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर प्रात: 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक)

योजना की सदस्यता की जानकारी लेने तथा विज्ञापन छपवाने के लिए संपर्क करें-
अभिषेक चतुर्वेदी, संपादक, पत्रिका एकांश
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 779, सातवां तल,
सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोदी रोड,
नयी दिल्ली-110003

इस अंक में...

प्रमुख आलेख
6 सहकार से समृद्धि : योजना से उपलब्धि तक
अमित शाह

फोकस
17 प्रतिस्पर्धा के लिए सशक्त बनेंगी सहकारी समितियां
डॉ मनीषा पालीवाल

विशेष आलेख
22 कृषि ऋण सहकारी समितियों को डिजिटलीकरण के माध्यम से सशक्त बनाना
अंशु सिंह

29 गैर-ऋण सहकारी समितियों के लिए विकास के मार्ग
डॉ इशिता जी त्रिपाठी

35 आर्थिक विकास के लिए सहकारी उद्यमशीलता को मज़बूत करना
सागर किसन वाडकर

43 आत्मनिर्भर भारत : सहकारी समितियों के माध्यम से
दीनानाथ ठाकुर

49 भारतीय सहकारी समितियों के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी
प्रो हरेकृष्ण मिश्र

54 आर्थिक विकास के लिए मत्स्य सहकारी क्षेत्र का उत्थान
बी के मिश्र

61 भारत बनेगा वैश्विक ड्रोन हब
सचिन कुमार

66 कृषि-आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन
स्नेहा कुमारी

70 सहकारिता क्षेत्र के विकास में सरकार और बैंकों की भूमिका
मंजुला वाधवा

स्थायी स्तंभ

C-2 क्या आप जानते हैं?
सहकारी समितियों की मूल बातें: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

C-3 विकास पथ
विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना

आगामी अंक : आज़ादी का अमृत महोत्सव

प्रकाशन विभाग के देशभर में स्थित विक्रय केंद्रों की सूची के लिए देखें पृ.सं. 46

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, ओड़िया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित।

संपादकीय

सहकारी समितियों का सशक्तीकरण

"आत्मनिर्भरता का एक बेहतरीन मॉडल सहकार है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए सहकारिता के सफल प्रयोगों का एक बहुत बड़ा मॉडल डेयरी सेक्टर हमारे सामने मौजूद है।"

– प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

1976 में रिलीज़ हुई क्राउड- सोर्स्ड (बड़ी संख्या में लोगों को शामिल करके बनी) हिंदी फिल्म *मंथन* ने पहली बार सिनेमा के पर्दे पर सहकारी समितियों की ताकत दिखाई। इसमें डेयरी सहकारिता को मुख्यत: कृषि प्रधान समाज के केंद्र में दिखाया गया। खादी सहकारी समितियां और श्री महिला गृह उद्योग अन्य लोकप्रिय सहकारी समितियां थीं जिन्होंने उस समय घरों तक पैठ बनाई और महिलाओं का सशक्तीकरण किया। सहकारी समितियां समाज के साझा हितों के लिए गठित लोकतांत्रिक शासन वाली जमीनी संस्थाएं हैं। इनका उद्देश्य समुदाय के सामाजिक-आर्थिक उत्थान और उनके उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराना है। यह वास्तव में सहयोग, सामूहिक लाभ और सामाजिक पूंजी के निर्माण पर आधारित एक मॉडल है।

ये सहकारी समितियां एक शताब्दी से भी पहले से कार्यरत होने और अपना अस्तित्व बनाये रखने के बाद भी इनकी स्थिति कुल मिलाकर विशेष रूप से लुभावनी नहीं थी। लेकिन 6 जुलाई, 2021 को जब केंद्र सरकार द्वारा 'सहकार से समृद्धि' के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक अलग 'सहकारिता मंत्रालय' का गठन किया गया तो यह सही मायनों में ज़मीनी स्तर तक की पहुंच वाले एक जन-आधारित आंदोलन के रूप में सहकारी समितियों को विकसित करने का एक ऐतिहासिक निर्णय था।

इसे देश के सहकारी आंदोलन को मज़बूत करने और हमारी सहकारी समितियों की शक्ति को पहचानने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा गया जो पूंजी के मुकाबले लोगों को वरीयता देती हैं और जन-केंद्रित व्यवसायों के रूप में काम करती हैं। सहकारिता मंत्रालय सहकारी समितियों के विकास और उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक पृथक प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करता है। मौजूदा सामाजिक-आर्थिक परिवेश में सहकारी समितियों को एक सक्षम और सफल व्यवसाय मॉडल में बदलने के लिए संरचना में इस तरह का बदलाव समय की आवश्यकता है। स्थापना के बाद से मंत्रालय महत्वपूर्ण नीतियों के लिए मंजूरी प्राप्त करने में सफल रहा है जिसमें सहकारी समितियों को गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (जीईएम) पर लाना, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) का कम्प्यूटरीकरण, बहु-राज्य सहकारी समितियों को मज़बूत करना आदि शामिल हैं जिसका उद्देश्य सहकारी विकास पहलों को व्यापक प्रोत्साहन देना है। इतना ही नहीं, सहकारी क्षेत्र के लिए कारोबारी माहौल में सुधार लाने, 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, सहकारिता मंत्रालय के हितधारकों के साथ विभिन्न प्रकार की समस्याओं और चिंताओं का समाधान करने, संकलित करने, उनका विश्लेषण करने और निपटान करने में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है।

हालिया पहलों को सहकारी क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में ठोस प्रयासों के रूप में देखा गया है। विभिन्न योजनाओं के अभिसरण द्वारा सहकारी क्षेत्र में 'विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना' के निर्माण को सुगम बनाना पाइपलाइन में है। बीज, जैविक और निर्यात के लिए तीन बहुराज्यीय सहकारी समितियों के गठन के निर्णय से सहकारी क्षेत्र को नई गति मिलेगी। प्रत्येक अछूती पंचायत में व्यवहार्य पीएसीएस स्थापित करने की भी योजना है। प्रत्येक तटीय पंचायत/गांव के साथ-साथ बड़े जलाशयों वाले पंचायत/गांव में मत्स्य सहकारी समितियां स्थापित करने की योजनाएं तैयार की गई हैं। साथ ही मौजूदा पीएसीएस/डेयरी/मत्स्यिकी सहकारी समितियों को मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण से 'संपूर्ण-सरकार' दृष्टिकोण का लाभ उठा कर सशक्त बनाया जा रहा है।

सहकारी समितियों ने ग्रामीण विकास के लिए एक आर्थिक मॉडल विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना जो सरकार द्वारा सहकारिता को पुनर्जीवित करने की एक पहल है, निश्चित रूप से पारदर्शिता लाएगी और देशभर में जमीनी स्तर पर सहकारी समितियों की पहुंच का विस्तार करेगी। योजना का यह अंक सहकारी क्षेत्र में इस क्रांति और देश के विकास में इसकी अपरिहार्य भूमिका के बारे में व्यापक चर्चा का हिस्सा बनने का अभिप्राय रखता है। हमें उम्मीद है कि विषय विशेषज्ञों की राय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के साथ-साथ, समुदायों को एकजुट करने में सहकारी समितियों की क्षमता के बारे में हमारे पाठकों की समझ को व्यापक आयाम प्रदान करेगी। ❑

ऐसे समय पर जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हमें सहयोग के रचनातंत्र के माध्यम से अमृत काल के दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था में अग्रणी स्थान हासिल करने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। यह सहयोग-आधारित आर्थिक मॉडल है जिसमें संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने और स्थानीय उद्यमियों को विश्व स्तरीय आयाम देने के लिए प्रेरित करने की क्षमता है। मंत्रालय प्रधानमंत्री के 'सहकार से समृद्धि' के स्वप्न को साकार करने एवं सरकार के समग्र नजरिये के माध्यम से सरकार की पहल को लागू करने हेतु एकजुट और संगठित दृष्टिकोण का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

'सहकारिता' समूह न्यासिता यानी टीम ट्रस्टीशिप का प्रतीक है और दो पारिभाषिक अभिकथनों - 'सह और कार्य' को व्यक्त करता है जिसका अर्थ है साथ काम करना। मानव जीवन की बढ़ती जटिलताओं, आधुनिक समय में जनमानस की प्राथमिकताओं और अपेक्षाओं की बढ़ती दूरी, निरंतर प्रगति और समृद्धि के लिए आकांक्षाएं, आवश्यकताएं और सहकारिता के विभिन्न प्रकारों और स्तरों की उपयोगिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6 जुलाई, 2021 को एक अलग प्रशासनिक मंत्रालय - सहकारिता मंत्रालय (एमओसी) के गठन लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री के आह्वान- 'सहकार से समृद्धि' ने सरकार के प्रयासों के साथ-साथ लक्ष्यों को सुधारने पर जोर दिया जो समुदाय के नेतृत्व और स्वामित्व वाली उद्यमशीलता के प्रयासों के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए सहकारिता को एक साधन मानने का स्पष्ट द्योतक है।

सहकारी समितियां सामुदायिक स्तर के व्यावसायिक संगठन हैं जिनके पास सामाजिक पूंजी उत्पन्न करने और अवशोषित करने की असाधारण क्षमता है। हमारे पूर्वजों ने हर नागरिक में सहयोग की भावना को विकसित करने और पोषित करने का प्रयास किया और यह साबित किया है कि भारत में 'सहकारिता' हमारे जीवन का तरीका रहा है, जो अनादि काल से 'वसुधैव कुटुम्बकम' की धारणा का समर्थन करता है। 1904 में सहकारी ऋण समिति अधिनियम की घोषणा से लेकर 1912 में इसके संशोधन तक सहकारिता आंदोलन राहत प्रदान करने का आंदोलन था और मुख्य रूप से ग्रामीण ऋण जुटाने और किसानों को उसे प्रदान करने पर केंद्रित था। भारत में सहकारिता पर मैकलेगन समिति (1914-15) की सिफारिशों के बाद इस आंदोलन का स्वरूप मुख्य रूप से राहत प्रदान करने से बदल कर ऐसे आंदोलन में परिवर्तित हो गया जिसका उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाना था। स्वतंत्रता के बाद के भारत में सहकारी समितियों ने एक महत्वपूर्ण बदलाव का अनुभव किया क्योंकि उन्हें भारत सरकार की योजनाओं में उचित मान्यता मिली।

भारत में सहकारी समितियों का एक समृद्ध इतिहास रहा है और यहां 8.54 लाख सहकारी समितियां हैं जिनमें से 80 प्रतिशत सहकारी गैर-ऋण समितियां हैं और 20 प्रतिशत सहकारी ऋण समितियां हैं। आज 98 प्रतिशत गांवों में मौजूद सहकारी समितियों की सदस्य संख्या 29 करोड़ है। तालिका-1 में भारत में सहकारी आंदोलन का एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

भारत आज अपने अतीत की असाधारण उपलब्धियों पर गौरवान्वित है और वह अभाव-मुक्त और सामाजिक-आर्थिक

तालिका 1

सहकारी आंदोलन एक नजर में
(2016-17)

सहकारी समितियों के प्रकार	विस्तार (संख्या में)	सहकारी समितियों का कार्यप्रदर्शन	विस्तार (प्रतिशत)
सहकारी ऋण समितियां	1.77 लाख	सहकारी समितियों द्वारा वितरित कृषि ऋण	13.40
सहकारी गैर-ऋण समितियां	6.76 लाख	सहकारी समितियों द्वारा कवर किया ग्रामीण नेटवर्क	98.0
प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां	97,961	प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसी) द्वारा कवर किए गए गांव	90.8
सहकारी समितियों की कुल सदस्यता	29 करोड़	सहकारी क्षेत्र में उर्वरक उत्पादन	28.8
राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संघ	17	सहकारी समितियों द्वारा उर्वरक वितरण	35.0
राज्य स्तरीय सहकारी संघ	390	सहकारी चीनी मिलों द्वारा चीनी उत्पादन	30.6
जिला स्तरीय सहकारी संघ	2,705	भंडारण क्षमता वाले पीएसी	55.5
बहु-राज्य सहकारी समितियां	1,435		

स्रोत : सहकारी समितियों की सांख्यिकीय प्रोफाइल, एनसीयूआई, 2018

रूप से समृद्ध वातावरण बनाने के मार्ग तलाश रहा है। ऐसे समय पर जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव और भारत@75 मना रहे हैं हमें सहकारिता के रचनातंत्र के माध्यम से अमृत काल (2023-47) के दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था में अग्रणी स्थान हासिल करने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए।

सहकारिता के सिद्धांतों की असाधारणता

हमें अपनी सहकारी समितियों की ताकत की सराहना और सम्मान करना चाहिए जो पूंजी की बजाय लोगों को प्राथमिकता देती हैं और जन-केंद्रित संगठनों के रूप में कार्य करती हैं। सहकारिता के सात स्वर्णिम सिद्धांतों (तालिका 2) का पालन करके सामूहिक एकजुटता का भाव उत्पन्न होता है, सामुदायिक संगठन का व्यावसायिक ज्ञान मिलता है और सामाजिक संबंध मज़बूत होते हैं। सहकारिता में सर्व-समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करने की अपार क्षमताएं हैं। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सामूहिक प्रयासों से दूध के उत्पादन और विपणन के लिए किसान सहकारी समितियों का गठन करके त्रिभुवनदास पटेल के माध्यम से आणंद मिल्क यूनियन लिमिटेड (अमूल) की संस्थापना की। उनकी यह छोटी पहल भारतीय सहकारी समितियों के शाश्वत सिद्धांतों यानि 'सहजीवन' (सामंजस्य के साथ रहना), 'स्वदेशी' (मेक इन इंडिया), 'स्वनिर्भर' (आत्मनिर्भरता) और समृद्धि को उचित सिद्ध करते हुए अब एक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड में तब्दील हो गई है।

सहकारी समितियों की विशिष्ट पहचान है। सर्व-समावेशी विकास के चिर-पोषित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहकारी व्यापार मॉडल की वास्तविक क्षमता का अभी पूरी तरह से उपयोग किया जाना बाकी है। सहकारिता राष्ट्र के विकास अभियान पर एक उत्प्रेरक प्रभाव डालती है इसलिए इस मज़बूत आधार पर एक गतिशील और सशक्त सहकारी क्षेत्र के निर्माण की आवश्यकता है। सभी बाधाओं और अड़चनों को उपयुक्त नीतियों और उचित सरकारी प्रयासों के माध्यम से दूर करने की आवश्यकता है। 'सहकार से समृद्धि' प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत मानदंड क्रमशः तालिका 3 में दिए गए हैं।

सहकारिता आंदोलन के लिए प्रतिबद्धता

यह सहकारिता-आधारित आर्थिक मॉडल है जिसमें संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने और स्थानीय उद्यमियों को विश्व स्तरीय आयाम देने के लिए प्रेरित करने की क्षमता है। हमने अपनी सहकारी समितियों के लिए नए उभरते क्षेत्रों से सम्बंधित योजना बनाने, प्राथमिकता देने और पता लगाने का निर्णय किया है और एक सहकारी 'एसक्यूयूएडी' (स्क्वाड) के सदस्य बनकर सामूहिक रूप से प्रयास कर रहे हैं। इसमें एस 'आत्मनिर्भरता' (सेल्फ रिलायंस) को दर्शाता है, क्यू का अर्थ 'गुणवत्तापूर्ण कार्यप्रदर्शन' (क्वालिटी परफॉरमेंस) है, यू का अर्थ है 'अडिग सहकारी आंदोलन' (अनशेकेबल कोऑपरेटिव मूवमेंट), ए और डी के क्रमशः मायने हैं 'शासन में जवाबदेही' (अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस) और 'आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास' (डेवलपमेंट थ्रू मॉडर्न टेक्नोलॉजी), [तालिका 4]।

अवसरों की पहचान, मुद्दों और चुनौतियों का समाधान एवं विधायी नियंत्रण और सहकारी समितियों के संवर्धन के बीच एक अच्छा संतुलन बनाकर सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करने की अत्यधिक आवश्यकता महसूस की गई। सहक्रियात्मक सहकारी विकास के लिए एक समान कानूनी और परिचालन तंत्र सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के सामूहिक प्रयास उद्यत हैं। हमारी सरकार एक समान सहकारी आंदोलन के लिए एक सर्व-समावेशी नीति तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय सहकारिता नीति को एक

तालिका 2

सहकारिता के सिद्धांत

स्वैच्छिक और खुली सदस्यता
स्वैच्छिक सदस्यता और बिना किसी पक्षपात के सभी के लिए खुली।

सदस्यों की आर्थिक भागीदारी
सदस्य अपनी आर्थिक गतिविधियों के लिए अपनी सहकारी समिति की पूंजी में समान रूप से योगदान देते हैं और उसका नियंत्रण और उपयोग करते हैं।

स्वायत्तता और स्वतंत्रता
सहकारी समितियां स्वायत्त व्यापारिक संगठन हैं जो लोकतांत्रिक नियंत्रण के साथ स्वयं सहायता में विश्वास करती हैं।

सदस्यों का लोकतांत्रिक नियंत्रण
सदस्य-संचालित और सदस्य-नियंत्रित लोकतांत्रिक इकाइयां, सदस्य निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। सदस्यों के पास समान मतदान अधिकार हैं [एक सदस्य - एक वोट]।

शिक्षा, प्रशिक्षण एवं सूचना
सहकारी समितियों के सदस्यों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, प्रबंधकों एवं कर्मियों के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण का प्रावधान

समुदाय के लिए सरोकार
उचित नीतिगत उपायों को अपनाकर और सामुदायिक विकास के मुद्दों का समाधान करके सतत सामुदायिक विकास सुनिश्चित करना।

सहकारी समितियों के बीच सहयोग
एक साथ काम करके सहकारिता आंदोलन को मज़बूत करना।

स्रोतः अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन *https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity* पर उपलब्ध।

तालिका 3

सहकारिता से समृद्धि
प्रमुख मानदंड

1	लोगों में परस्पर सहयोग (पीपुल कोऑपरेटिंग विद पीपुल)	व्यवसाय में सुगमता (ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस)
2	लोगों द्वारा उत्पादन (प्रोडक्शन बाय पीपुल)	जीवन सुगमता (ईज़ ऑफ लिविंग)
3	लाभ की बजाय लोगों को प्राथमिकता (पीपुल बिफोर प्रॉफिट)	ऋण प्राप्ति में सुगमता (ईज़ ऑफ क्रेडिट एक्सेस)
4	उद्देश्य के साथ लाभ (प्रॉफिट विद पर्पज़)	सहकारिता में सुगमता (ईज़ ऑफ कोऑपरेशन)

समिति [अध्यक्षः सुरेश प्रभु] द्वारा अंतिम रूप दिया गया है। नीति दस्तावेज से हमें न केवल सहकारी आंदोलन को मज़बूत और व्यापक बनाने के लिए बल्कि, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु सहकारिता आधारित समावेशी आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देने और विस्तृत रूप प्रदान करने के लिए विश्वसनीय रोडमैप प्रदान करने की अपेक्षा है।

जुलाई, 2021 और मई, 2023 के दौरान मंत्रालय ने सहकारी विकास पहलों को व्यापक प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आठ महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों (तालिका 5) पर सफलतापूर्वक अनुमोदन प्राप्त किया।

स्थापना के बाद से सहकारिता मंत्रालय सहकारी क्षेत्र के लिए कारोबारी माहौल को सुगम बनाने के लिए विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों को समेकित करने, संकलित करने, उनका विश्लेषण करने और समाधान खोजने में हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। सहकारी समितियों के विकास के लिए सकारात्मक परिणाम देने वाली हाल की अथक पहलों और प्रयासों को तालिका 6 में दर्शाया गया है।

मॉडल उपनियमः पीएसीएस को जीवंत बनाना

पीएसीएस के लिए मॉडल उप-नियम तैयार किए गए हैं और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उपयुक्त ढंग से अपनाने के लिए भेज दिए गए हैं जिससे जमीनी स्तर पर एक जीवंत और सशक्त बहुउद्देश्यीय और बहु-आयामी सहकारी संस्कृति का सृजन हो सके। अब तक 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने मत्स्यपालन, डेयरी, भंडारण, गोदामों, सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी), बैंकिंग पत्राचार तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य उभरते हुए क्षेत्रों से संबंधित गतिविधियों से लेकर 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों की गारंटी देने के लिए मॉडल उप-नियमों को अपनाया है। मॉडल उपनियमों में परिचालन दक्षता, पारदर्शिता और सामूहिक सामुदायिक विकास के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाने की क्षमता है।

पीएसीएस को 'सीएससी' के रूप में विकसित करना

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, एमओसी, नाबार्ड और सीएससी ई-सेवाओं ने आम नागरिकों को 300 से अधिक ई-सेवाएं प्रदान करने के लिए पीएसीएस/बड़े क्षेत्र बहुउद्देश्यीय समितियों (एलएएमपीएस) को पंजीकृत और डिजिटाइज़ करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सेवाओं में अन्य बातों के साथ-साथ बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन/अद्यतन कानूनी सेवाएं, कृषि-इनपुट प्रबंधन, पैन कार्ड, बस/हवाई/रेल टिकट सेवाएं आदि शामिल हैं। पहले चरण में देश के 75 चुनिंदा जिलों में पीएसीएस के माध्यम से सभी ई-सेवाएं प्रदान करने की योजना है। सीएससी

तालिका 4

तालिका 5: मंत्रालय के गठन के बाद से महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और अपेक्षित लाभ

(जुलाई 2021 – मई 2023)

समयावधि

01 जून, 2022

सरकारी ई-मार्केट प्लेटफॉर्म (जीईएम) पर पंजीकृत खरीदार और विक्रेता के रूप में सहकारी समितियां।

फायदे

- सहकारी समितियां पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बाजारों का लाभ उठाती हैं और प्रतिस्पर्धी दरों पर उत्पाद और सेवाएं प्राप्त करती हैं।
- खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता से विश्वसनीयता बढ़ती है।

29 जून, 2022

63,000 कार्यात्मक पीएसीएस का कम्प्यूटरीकरण

फायदे

- सहकारी ऋण के पूर्ण डिजिटल लेनदेन।
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ क्रेडिट सहकारी समितियों के सभी स्तरों को जोड़ने वाला एकल और समान राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर।
- व्यापार लाभप्रदता में विविधता लाने और बढ़ाने की क्षमता।
- संचालन, प्रशासन, वित्तपोषण/पुनर्वित्तीयन में पारदर्शिता।

12 अक्टूबर, 2022

97वें संवैधानिक संशोधन प्रावधानों का पालन करने के लिए बहु-राज्य सहकारी समिति विधेयक में संशोधन प्रस्तुत।

फायदे

- सहकारिता आंदोलन को मज़बूत और व्यापक बनाना।
- चुनावी प्रक्रियाओं, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग में सुधार सुनिश्चित करना; प्रशासन और संचालन में पारदर्शिता; सहकारी समितियों में व्यावसायीकरण; सहकारी उद्यमशीलता गतिविधियों में वृद्धिशील निवेश; बहु राज्य सहकारी प्रणाली की ठोस प्रगति और सहकारी व्यवसाय करने में आसानी के लिए (ईज़ ऑफ डूईंग) एक मज़बूत निगरानी तंत्र।

11 जनवरी, 2023

जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर की जैविक सहकारी समिति की स्थापना

फायदे

- एकत्रीकरण, प्रमाणन, परीक्षण, मानकीकरण, खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, रसद सुविधाओं, जैविक उत्पादों के विपणन और जैविक कृषि करने वाले कृषकों को वित्तीय सहायता की व्यवस्था के लिए संस्थागत सहायता सेवाओं का आश्वासन।
- सदस्य सहकारी समितियों की संपूर्ण जैविक आपूर्ति शृंखला का प्रबंधन; जैविक अनुसंधान, संवर्धन और विकास गतिविधियों को अपनाना,
- आत्मनिर्भरता और किसानों की आय में सुधार सुनिश्चित करना।

11 जनवरी, 2023

राष्ट्रीय स्तर की सहकारी निर्यात समिति की स्थापना। सहकारी समितियों से निर्यात को बढ़ावा देना।

फायदे

- वैश्विक बाजारों में सहकारी समितियों की निर्यात क्षमता को अनलॉक करना।
- वैश्विक बाजार में हितधारक सदस्यों को पहुंच प्रदान करना और उसमें सुधार लाना।
- सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्पाद विनिर्देशों की स्थापना, परीक्षण और मानकीकरण का विस्तार करना और अन्य निर्यात सेवाएं प्रदान करना।

11 जनवरी, 2023

राष्ट्रीय स्तर की सहकारी बीज समिति की स्थापना, सहकारी समितियों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन संरक्षण प्रमाणन, और वितरण को बढ़ावा देना

फायदे

- कृषि बीज व्यवसाय के क्षेत्र को जीवंत बनाना।
- एक विश्वसनीय ब्रांड नाम के तहत गुणवत्तापूर्ण बीजों की खेती और बीज की किस्मों के परीक्षण, उत्पादन और प्रमाणीकृत बीजों के वितरण में किसानों की बढ़ती भूमिका।
- गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन और वितरण करके और पारंपरिक स्वदेशी बीजों का संरक्षण करके कृषक समुदाय के आर्थिक और तकनीकी पहलुओं को उन्नत करना।

15 फरवरी, 2023

सभी 2,54,000 पंचायतों को कवर करने के लिए दो लाख नए बहुउद्देश्यीय पीएसीएस या डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों का गठन

फायदे

- प्रत्येक अपूरित क्षेत्र में विकासक्षम पीएसीएस/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना करना और मौजूदा को मज़बूत करना।
- पीएसीएस/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों को संबंधित राज्य और जिला स्तरीय संघों के साथ जोड़ना।
- पीएसीएस/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों को फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज बनाने व्यवसायों में विविधता लाने, आय के जरियों में सुधार करने, विपणन और ग्रामीण स्तर पर ऋण सुविधाएं और अन्य सेवाएं प्राप्त करने में मदद करना जिससे संतुलित क्षेत्रीय विकास हो सके।

31 मई, 2023

पीएसीएस के माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा सामुदायिक अन्न भंडारण आंदोलन

फायदे

- भंडारण क्षमता में वृद्धि से बर्बादी कम होती है और आपात बिक्री समाप्त होती है।
- रसद लागत कम का घटना, खाद्य सुरक्षा में मज़बूती और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दक्षता में सुधार।
- किसानों की उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होना।

के रूप में पीएसीएस स्वयं के भरण पोषण के लिए अपने व्यवसायों में विविधता लाएगा।

पीएसीएस को एफपीओ के साथ एकीकृत करना

सहकारी समितियां किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं। भारत सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की मौजूदा एफपीओ योजना के तहत एनसीडीसी को अतिरिक्त 1,100 एफपीओ आवंटित करने का फैसला किया है। सहकारी समितियों में एफपीओ योजना के एकीकरण से पीएसीएस को कृषि उत्पादन, इनपुट प्रबंधन, कृषि उपकरण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण और परिवहन आदि में अपनी गतिविधियों का दायरा बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह एकीकरण पीएसीएस को मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती आदि जैसे उच्च आय उद्यमों में कदम रखने में सक्षम बनाएगा।

तेल और ऊर्जा कारोबार में पीएसीएस को शामिल करना

पीएसीएस अब पेट्रोल/डीजल डीलरशिप और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के पात्र हैं। मौजूदा पीएसीएस को अपने थोक उपभोक्ता पेट्रोल/डीजल के दर्जे को खुदरा बिक्री केन्द्रों में बदलने के लिए एकमुश्त विकल्प का प्रयोग करने की छूट दी गई है। ये सकारात्मक पहलें व्यापार विविधीकरण सुनिश्चित करती हैं और आय और रोजगार उत्पन्न करती हैं। पीएसीएस ऊर्जा सुरक्षा प्रयासों में भी शामिल होने के लिए तैयार हैं। वे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं को लागू करने में सक्रिय भागीदार होंगे। एमएनआरई की मौजूदा पीएम-कुसुम योजना पीएसी के किसान सदस्यों को उनके खेत की परिधि पर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल की स्थापना के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और वृद्धिशील आय की गारंटी देने में सक्षम बनाएगी।

राष्ट्रीय डाटाबेस का विकास करना

एमओसी क्षेत्र-विशिष्ट, विविध सहकारी समितियों को सूचीबद्ध करने के लिए प्रणालीगत और व्यवस्थित जानकारी प्राप्त करने के लिए एक व्यापक सहकारी डाटाबेस विकसित कर रहा है। राष्ट्रीय डाटाबेस को चरणबद्ध तरीके से डिजाइन और विकसित करने के लिए बड़े पैमाने पर कवायद की गई। डाटाबेस सभी क्षेत्रों की सहकारी समितियों पर प्रामाणिक और अद्यतन डाटा संग्रहीत करेगा ताकि हितधारकों को डाटा विश्लेषण करने, कोर कसर खोजने और नीति-निर्माण में सहायता करने में मदद मिल सके।

सरकार सहकारी ऋण प्रणाली की मौजूदा त्रि-स्तरीय संरचना को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि संरचना में किसी भी प्रकार की शिथिलता सहकारी समितियों की ऋण संग्रहण, वितरण, वित्तपोषण और पुनर्वित्तीयन प्रणाली को कमजोर कर सकती है।

सहकारी ऋण का समेकन

पीएसीएस के माध्यम से लगभग 13 करोड़ किसान सहकारी समितियों से सीधे जुड़े हुए हैं। उनकी विविध ऋण आवश्यकताओं के लिए सावधानीपूर्वक योजना निर्धारण की आवश्यकता होती है क्योंकि उसमें प्रभावी वित्तपोषण और पुनर्वित्तीयन शामिल होता है। सरकार सहकारी ऋण प्रणाली की मौजूदा

तालिका 6: सहकारी समितियों को दी गई पहल/राहत और लाभ
(जुलाई 2021- अप्रैल 2023)

क्र.	राहत/पहल	प्रावधान	लाभ
1	आयकर पर अधिभार (आईटी)	सहकारी समितियों के लिए अधिभार 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया (जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये के बीच है।)	• कम कर का बोझ • व्यावसायिक गतिविधियों के लिए उच्च पूंजी आधार
2	न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) मैट	सहकारी समितियों के लिए मैट को 18.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया	• कंपनियों के साथ समानता हासिल की गई। • सहकारिता के विस्तार में मज़बूती
3	पीएसीएस और पीसीएआरडीबी द्वारा नकद जमा और नकद ऋण की सीमा में बढ़ोतरी	पीएसीएस और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (पीसीएआरडीबी) द्वारा नकद जमा और नकद ऋण की सीमा को 20,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये प्रति सदस्य कर दिया गया	• अधिक सामुदायिक आर्थिक गतिविधियां • ग्रामीण व्यापार के अवसरों में वृद्धि
4	नई विनिर्माण सहकारी समितियों के लिए कर राहत	31 मार्च, 2024 तक विनिर्माण शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों पर 30 प्रतिशत के मुकाबले 15 प्रतिशत की फ्लैट कर दर की घोषणा	• सहकारी समितियों और कंपनियों के बीच समानता • मज़बूत आधार और सहकारिता का विस्तार
5	स्रोत पर कर कटौती की सीमा में बढ़ोतरी	नकद निकासी की सीमा को स्रोत पर कर कटौती के बिना 1 करोड़ रुपये प्रति वर्ष से बढ़ा कर 3 करोड़ रुपये किया गया	• सहकारी समितियों के लिए व्यापार करने में आसानी के साथ परेशानी मुक्त कर अनुपालन
6	आईटी अधिनियम की धारा 269एसटी के तहत राहत	आईटी अधिनियम की धारा 269एसटी के तहत सहकारी समितियों द्वारा किए गए नकद लेनदेन पर कठिनाइयों को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण जारी किया गया।	
7	सहकारी चीनी मिलों को कर राहत	सहकारी चीनी मिलों को गन्ने के अधिक मूल्य के भुगतान पर उचित एवं लाभकारी मूल्य अथवा राज्य द्वारा निर्धारित/प्रशासित मूल्य तक अतिरिक्त आयकर का भुगतान नहीं करना होगा	• गन्ने का अधिक मूल्य गन्ने की खेती करने वाले किसान सदस्यों को जाता है। • उच्च मूल्य को व्यय के रूप में दाखिल करके कर में कमी और कर प्रशासन में सुधार • सहकारी चीनी मिलों पर कर का बोझ घटना
8	सहकारी चीनी मिलों के लंबे समय से लंबित मुद्दों का समाधान	निर्धारण वर्ष 2016-17 से पहले सहकारी चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को किए गए भुगतान को अब व्यय के रूप में माना जाएगा	• कुल 10,000 करोड़ रुपये की अनुमानित राहत • दशकों पुराने बकाया आयकर और संबंधित जुर्माने से छुटकारा • मज़बूत पूंजी आधार
9	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये की ऋण योजना	एमओसी की नई 1,000 करोड़ रुपये की योजना- 'एनसीडीसी' को ऋण अनुदान सहायता सहकारी चीनी मिलों के सुदृढ़ीकरण के लिए शुरू की गयी	• सहकारी चीनी मिलों को इथेनॉल संयंत्र, सह-उत्पादन के संयंत्र या कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण अनुदान
10	क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट में सदस्य ऋणदाता संस्थानों के रूप में सहकारी बैंकों को मान्यता	क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट से गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों को सहकारी (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) के रूप में अधिसूचित किया गया है।	• सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई • सहकारी वित्तीय संस्थानों के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 85 प्रतिशत तक की क्रेडिट गारंटी
11	सहकारी बैंकों की समस्याओं का निवारण	आरबीआई ने डीसीसीबी और एसटीसीबी को वाणिज्यिक अचल संपत्ति आवास ऋण देने की अनुमति दी।	• व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा दोगुनी की गई • डोर-स्टेप बैंकिंग की अनुमति

त्रि-स्तरीय संरचना को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि संरचना में किसी भी प्रकार की शिथिलता सहकारी समितियों की ऋण संग्रहण, वितरण, वित्तपोषण और पुनर्वित्तीयन प्रणाली को कमजोर कर सकती है। एमओसी ने सहकारी ऋण संरचनाओं अर्थात्, एसटीसीबी से डीसीसीबी से पीएसीएस तक के माध्यम से ऋण प्रवाह बढ़ाने के मुद्दों के निपटारे के लिए पुरजोर प्रयास किये हैं। ऋण संरचना के मध्य-स्तर - डीसीसीबी को भी सशक्त करने की आवश्यकता है। दीर्घकालिक (एलटी) सहकारी ऋण संरचना को मज़बूत करने के लिए एमओसी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) के कम्प्यूटरीकरण के लिए एक परियोजना पर काम कर रहा है। पीसीएआरडीबी और राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एससीएआरडीबी) के योजनाबद्ध और पर्याप्त कम्प्यूटरीकरण से उनके संचालन और लाभप्रदता के मार्ग में आने वाली समस्याएं और अपर्याप्तताएं तथा अक्षमताएं दूर हो जाएंगी।

मंत्रालय की पहल में ग्रामीण स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक प्रभावी, सर्व-समावेशी, बहुआयामी, जीवंत सहकारी परिवेश सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ एक टीम के रूप में काम करने की परिकल्पना की गई है।

सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण में सुधार लाना

हम सहकारी समितियों के प्राथमिक सदस्यों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने पर अधिक जोर दे रहे हैं, जिससे केंद्र सरकार द्वारा सहकारी समितियों के विस्तार और विकास के लिए उठाई गई नई पहलों से उन्हें अवगत किया जा सके। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को एक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए जिसके माध्यम से इन पहलों के लाभों के बारे में जागरुकता को प्रभावी ढंग से स्थानीय और आसानी से समझ में आने वाली भाषाओं में प्रसारित किया जा सके। हमने अखिल भारतीय कार्यात्मकता के साथ एक राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। विश्वविद्यालय की स्थापना बेहतर और आजमाए गए सहकारी शिक्षण, प्रशिक्षण, परामर्श, अनुसंधान और विकास के लिए की जा रही है। विश्वविद्यालय की स्थापना के माध्यम से सहकारी शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक, एकीकृत और मानकीकृत संरचना तैयार की जाएगी। विश्वविद्यालय उच्च

स्तरीय प्रशिक्षित कार्यबल की स्थानीय और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए मौजूदा कार्यबल की क्षमता निर्माण की मांग को भी पूरा करेगा।

निष्कर्ष और आगे का रास्ता

मंत्रालय प्रधानमंत्री के 'सहकार से समृद्धि' के स्वप्न को साकार करने एवं सरकार के समग्र नजरिये के माध्यम से सरकार की पहल को लागू करने हेतु एकजुट और संगठित दृष्टिकोण का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सहकारी समितियों के योगदान का प्रधानमंत्री के पांच ट्रिलियन डॉलर की भारतीय अर्थव्यवस्था की लक्ष्य प्राप्ति और किसानों की आय बढ़ाने पर कई गुना प्रभाव पड़ेगा। इसे पूरा करने के लिए हमें समुदाय-स्तर पर प्राथमिक सहकारी समितियों को सक्रिय रूप से सशक्त और पुनर्जीवित करने पर तरजीह देनी चाहिए। पीएसी को सक्रिय और जीवंत बनाने के लिए हम सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। अपने दृष्टिकोण पर आम सहमति बनानी होगी और पीएसीएस के सशक्तीकरण की दिशा में मंत्रालय की पहल के प्रभावी कार्यान्वयन में मदद करनी होगी।

सहकारी समितियों की सुचारू और सतत प्रगति सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मुद्दों की पहचान करने और उनका समाधान खोजने की आवश्यकता है। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, वे हैं – (i) सहकारिता के विस्तार में प्रादेशिक और क्षेत्रीय असंतुलन में कमी; (ii) नियामक जटिलताओं की पूर्ति करना; (iii) प्रशासन, नेतृत्व और परिचालन प्रणालियों में सुधार; (iv) पेशेवर प्रबंधन सुनिश्चित करना; (v) आजमाए गए संरचनात्मक सुधार उपायों आदि को शुरू करना। सहकारी आंदोलन के अन्य महत्वपूर्ण आयाम जिन पर व्यापक समीक्षा के बाद पर्याप्त और सक्रिय ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है, वे हैं – सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार और राज्य रजिस्ट्रार के बीच एक प्रभावी संवाद और समन्वय तंत्र स्थापित करना। सहकारी सिद्धांतों और लोकतांत्रिक मूल्यों, पारदर्शिता की प्रक्रियाओं का पालन करना, इक्विटी संरचना और विविधीकरण सहित बुनियादी ढांचे को मज़बूत करना; उद्यमशीलता, ब्रांडिंग, विपणन को बढ़ावा देना और प्रौद्योगिकी को अपनाना, प्रशिक्षण, शिक्षा का आदान-प्रदान और सदस्यों का प्रशिक्षण; नई सहकारी समितियों का गठन और संवर्धन; और सामाजिक सहकारी समितियों को बढ़ावा देना।

मंत्रालय की पहल में ग्रामीण स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक प्रभावी, सर्व-समावेशी, बहुआयामी, जीवंत सहकारी परिवेश सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ एक टीम के रूप में काम करने की परिकल्पना की गई है। इसका उद्देश्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सहकारी समितियों के एक समान और त्वरित विस्तार की दिशा में हमारी कोशिश में सामूहिक प्रयासों को सुनिश्चित करना है। यह कार्य कठिन प्रतीत हो सकता है लेकिन प्राप्य है। यह सहकारी आंदोलन के नेताओं और संघीय प्रमुखों के दृढ़ और सामूहिक प्रयासों की मांग करता है। सहकारी संरचना के सदस्यों के भीतर प्रगति की आशा जगाने के लिए समान सामूहिक प्रयास का विस्तार करना समय की आवश्यकता है। 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को सही अर्थों में साकार किया जा सकता है यदि हमारी सामुदायिक व्यवसाय इकाइयां लोगों की सामूहिक क्रियाशीलता की अंतर्निहित क्षमता का उपयुक्त रूप से उपयोग करती हैं और सामाजिक-आर्थिक प्रगति के सहकारिता-आधारित मॉडल की मूल धारणा के अनुरूप कार्य करती हैं। ❑

(लेख में व्यक्त किए गए विचार निजी हैं)

प्रतिस्पर्धा के लिए सशक्त बनेंगी सहकारी समितियां

डॉ मनीषा पालीवाल | प्रोफेसर, श्री बालाजी विश्वविद्यालय, पुणे, महाराष्ट्र। ईमेलः mnpaliwal@gmail.com

सहकारिता भारत के दर्शन में निहित है। भारत के प्रधानमंत्री के 'सहकारिता से समृद्धि' के स्पष्ट आह्वान के परिणामस्वरूप 6 जुलाई, 2021 को सहकारी समितियों को पुनर्जीवित, पुनर्गठित और आधुनिक बनाने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत एजेंडा प्रदान करने के लिए सहकारिता मंत्रालय का निर्माण संभव हुआ। सहकारी समितियों को कॉर्पोरेट व्यावसायिक संस्थाओं के बराबर प्रतिस्पर्धा करने के लिए सशक्त बनाना समय की मांग है। प्रासंगिक और प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए, सामुदायिक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की सहकारी समितियों को अपने व्यवसायों में विविधता लाने की आवश्यकता है।

भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी की अंतिम तिमाही में हुई। भारतीय सहकारिता आंदोलन ने 1970 के दशक तक सुचारू और प्रभावशाली प्रगति दर्ज की। कुछ मुद्दों ने पूरे आंदोलन को पंगु बनाना शुरू कर दिया था। नीति-निर्माताओं और योजनाकारों ने धीरे-धीरे सहकारिता-आधारित सामाजिक-आर्थिक विकास पर अपना ध्यान कम कर दिया। सहकारिता की अंतर्निहित विकास क्षमता पर तत्काल और नए सिरे से नीतिगत ध्यान देने की आवश्यकता है। इस मोड़ पर, 'सहकारिता से समृद्धि' के लिए, सहकारिता के कार्यों के माध्यम से आंदोलन को जमीनी स्तर तक ले जाने पर नए सिरे से ध्यान देने के साथ सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करना और सहकारी समितियों के सदस्यों को बिना किसी डर या किसी बाहरी पार्टी के प्रभाव के अपने फैसले और नियति बनाने में सक्षम बनाना है। इस आंदोलन ने देश में 29 करोड़ सदस्यों के साथ 8.54 लाख

व्यवसाय विविधीकरण से कई गुना लाभ

तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले का एक आदिवासी गांव – सिट्टिलिंगी में, 500 से अधिक सदस्यों ने 2004 में एक सहकारी समिति के रूप में सिट्टिलिंगी जैविक किसान संघ (एसओएफए) बनाने के लिए हाथ मिलाया। प्रति व्यक्ति न्यूनतम 2.5 एकड़ भूमि के आकार के साथ, सदस्य रागी, बाजरा, लिटिल मिलेट्स, फोक्सटेल एंड पर्थल मिलेट्स जैसी फसलों के साथ-साथ कपास, हल्दी, गन्ना, मूंगफली और सब्जियों जैसी नकदी फसलों की खेती करते हैं। सदस्य किसानों की वित्तीय और आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए, एसओएफए बाजार की मांग के अनुसार फसल उत्पादन की सलाह देता है, यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी सदस्य एक ही फसल न उगाए, अंतिम ग्राहकों के लिए विविधता की गारंटी देता है। सदस्यों ने बाजरा-आधारित कुकीज, स्वास्थ्य-मिश्रण, भुना हुआ पाउडर, पापड़ आदि के उत्पादन और विपणन में विविधता ला दी है, जो 40 खुदरा दुकानों द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिससे आउटलेट का कारोबार न्यूनतम 50,000 रुपये प्रति माह हो जाता है। एसओएफए ने सहायक कृषि-व्यवसाय में भी विविधीकरण किया है। जैविक उर्वरक और पौध नर्सरी और जैव-खाद इकाइयां चला रहे हैं जिनका सामूहिक कारोबार सालाना 25 लाख रुपये है।

स्रोत: सिट्टिलिंगी ऑर्गेनिक फार्मर्स एसोसिएशन (एसओएफए) (https://www.sofasittilingi.org पर उपलब्ध)

सहकारी समितियों का पंजीकरण देखा है। सहकारी समितियों को कॉर्पोरेट व्यावसायिक संस्थाओं के बराबर प्रतिस्पर्धा करने के लिए सशक्त बनाना समय की मांग है। भारत के सहकारी नेतृत्व वाले आर्थिक मॉडल को उत्तरदायित्व और शासन संबंधी पहलू, आंतरिक निहित स्वार्थ, समन्वय की कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप और विविधीकरण की कमी जैसे कई बाधक तत्वों के कारण नुकसान उठाना पड़ा।

व्यवसाय विविधीकरण की आवश्यकता

व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बने रहने के लिए किसी भी व्यवसाय को अपने प्राथमिक ग्राहकों और बाजारों से परे देखना होगा। इसे नए उत्पादों और सेवाओं के लिए संभावित बाजारों का पता लगाना है। विविधीकरण के बिना, ठहराव आ जाता है, जो व्यवसाय के भविष्य के विकास को बाधित करता है। इसके अलावा, रणनीतिक विविधीकरण एक व्यवसाय को ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर करता है जो बाजार में इसकी प्रासंगिकता सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि अनुसंधान और विकास, विपणन, उत्पाद विकास आदि में किए गए निवेश, एक व्यवसाय को उन ग्राहकों की पहचान करने का कारण बन सकते हैं जिनकी ज़रूरतें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं और ब्लू ओशन मार्केट की पहचान करना, जिससे यह दीर्घकाल में लाभ और संपत्ति अर्जित कर सके।

सहकारी समितियों द्वारा व्यापार विविधीकरण

एक इकाई को व्यवसाय में तभी कहा जाता है, यदि वह लाभ कमाने के उद्देश्य से वाणिज्यिक, औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों में लगी हुई है। वैधानिक संरचना होने के कारण, एक सहकारी समिति कानूनी रूप से, सहकारिता के अंतर्निहित सिद्धांतों का पालन करती है और अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति करती है। व्यावसायिक संस्थाओं के रूप में सहकारी समितियां, लाभ-साझा करने वाले उद्यम या गैर-लाभकारी संस्थाएं हो सकती हैं। वे सामान और सेवाएं प्रदान करके अपने सदस्यों की सेवा करती हैं, जो अनुपलब्ध हो सकती हैं या व्यक्तियों के रूप में उपयोग करने के लिए बहुत महंगी हो सकती हैं। एक सहकारी

समिति को कार्य करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसे अपनी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के तरीकों और साधनों की पहचान करनी होगी। समाजों को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य और जीवंत बनाने के लिए रणनीतिक विविधीकरण आवश्यक है। कॉर्पोरेट संस्थाओं के संदर्भ में 'रणनीति', इसके कथित 'विजन' और 'मिशन' को संदर्भित करती है। रणनीतिक निर्णय आमतौर पर संगठन के दृष्टिकोण और मिशन के अनुरूप होते हैं, और वे संगठन के आधार के स्तरों की ओर नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं। इस प्रकार, प्रासंगिक और प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए, सामुदायिक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सहकारी समितियों को अपने व्यवसायों में विविधता लाने की आवश्यकता है।

व्यवहार्य सहकारी व्यापार रणनीतियां

सहकारी समितियां सभी क्षेत्रों में कारोबार करती हैं। उन्हें अपने विजन और मिशन स्टेटमेंट को मज़बूत करने के साथ-साथ लक्ष्य एवं उद्देश्य को तैयार करने की आवश्यकता है जिसके लिए इन संस्थाओं का गठन किया गया है। यह जानकारी व्यवसायों के वस्तु विविधीकरण के लिए रणनीति विकसित करने में मदद कर सकती है। चित्र 1 परीक्षण करता है कि रणनीतिक प्रबंधन के पांच पहलुओं का विश्लेषण करके एक सहयोगी रणनीतिक रूप से खुद को कैसे विविधता प्रदान कर सकता है।

- प्रारंभ में, एक सहकारी को अपने लक्ष्यों की सटीक प्रकृति और उन विभिन्न उद्देश्यों को तय करना चाहिए जिनके पीछे लक्ष्यों को उनकी उपलब्धियों के लिए रेखांकित किया जाएगा।
- लक्ष्यों की पहचान के बाद, स्थानीय स्थिति की एक सामरिक समझ की आवश्यकता होगी, इसके बाद ताकत, कमजोरी, अवसर और जोखिम (एसडब्ल्यूओटी) के विश्लेषण करने के लिए एक आंतरिक और बाहरी पर्यावरण मूल्यांकन किया जाएगा।
- अगला कदम एक रणनीति तैयार करना है जिसके माध्यम से निर्णय लेने के उद्देश्यों के लिए प्रतिबिंब, प्राथमिकता और विकल्पों के विकास के माध्यम से लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। फिर रणनीति बनाने के लिए वैकल्पिक विकल्पों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- एक बार रणनीति तैयार हो जाने के बाद, इसकी उपलब्धि के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को उपलब्ध और आवंटित संसाधनों, कर्मियों और रणनीति को प्राप्त करने के तरीकों और साधनों का प्रभार दिया जाएगा। उन्हें चुनी हुई योजनाओं को अमल में लाना होगा, संसाधनों को मार्शल करना होगा और रणनीति की पहचान करनी होगी जिसके माध्यम से रणनीति को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके।
- अंतिम चरण गतिविधि की सफलता के बारे में एक मध्यावधि/आवधिक समीक्षा करने और सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, करने के लिए सहमत समयरेखा/सत्यापन पैटर्न के खिलाफ रणनीति की निगरानी करना है।

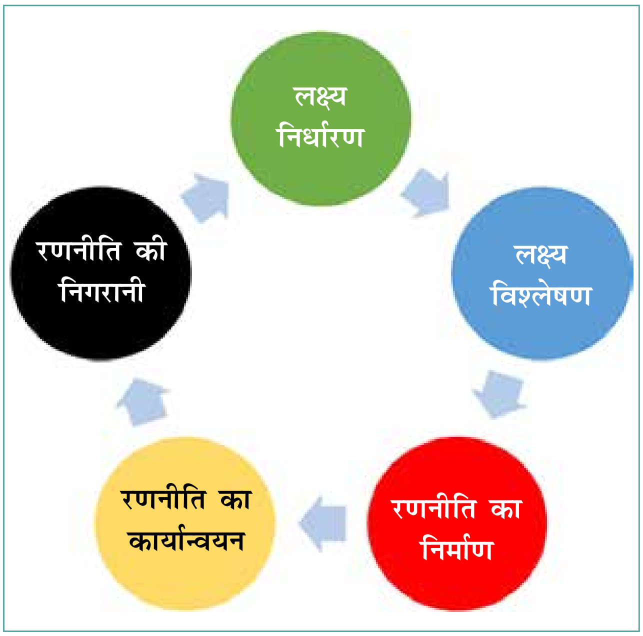

चित्र-1: रणनीतिक प्रबंधन के पांच पहलू

तालिका 1: सहकारी समितियों के विविधीकरण का निर्णय

प्रकार	विविधीकरण के तरीके	
उत्पाद विविधीकरण	नए बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए या ग्राहकों के स्वाद और प्राथमिकताओं में बदलाव के कारण सहकारी समितियां अपने उत्पाद/सेवा की पेशकशों में विविधता ला सकती हैं। उदाहरण के लिए, अमूल – भारत की सबसे बड़ी और सबसे सफल डेयरी सहकारी समितियों में से एक, ने अपने कारोबार को फैलाने के लिए 1996 में आइसक्रीम और अन्य जमे हुए दूध कन्फेक्शनरी की शुरुआत की।	Amul The Taste of India
भौगोलिक विविधीकरण	सहकारी समितियां नए बाजारों और ग्राहकों तक अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी उत्पाद पेशकशों में विविधता लाती हैं। उदाहरण के लिए, कर्नाटक दुग्ध महासंघ के स्वामित्व वाला दूध ब्रांड 'नंदिनी गुडलाइफ', भारत के विभिन्न राज्यों में प्रमुख खुदरा विक्रेताओं जैसे रिलायंस स्मार्ट बाजार आदि में उपलब्ध कराया गया है, जो इकाई के रणनीतिक उद्देश्यों के हिस्से के रूप में है। इसकी उपस्थिति देश के विभिन्न हिस्सों में महसूस की गई।	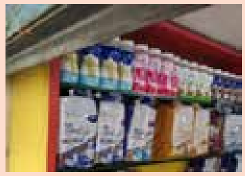
सेवा विविधीकरण	सहकारी समितियां अपने सदस्यों और ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने प्राथमिक उत्पादों और सेवाओं के अलावा नई सेवाएं प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, केरल में अंजारकंदी शहरी सहकारी बैंक, बैंकिंग पर आधारित अपने प्राथमिक उत्पादों और सेवाओं के अलावा, नारियल आधारित उत्पाद जैसे खोपरा, नारियल पानी/दूध/तेल बेचता है।	
संयुक्त उपक्रम	सहकारी समितियां संसाधनों और विशेषज्ञता को एक साथ जोड़ने करने के लिए संयुक्त उद्यम (जेवी) बना सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक सहकारी समिति, जो कृषि उत्पादों का उत्पादन करती है, नई सटीक कृषि तकनीकों को विकसित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ एक संयुक्त उद्यम का गठन कर सकती है। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) – एक उर्वरक उत्पादक सहकारी समिति ने पंजाब के लुधियाना में एक खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए स्पेन के कांगेलाडोस डी नवरारा के साथ एक संयुक्त उद्यम का गठन किया।	IFFCO पूर्णतः सहकारी स्वामित्व Wholly owned by Cooperatives
वर्टिकल एकीकरण	सहकारी समितियां अपने मौजूदा परिचालनों से अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम गतिविधियों को शामिल करके वर्टिकल रूप से एकीकृत कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक डेयरी सहकारी पशु आहार का उत्पादन शुरू कर सकता है। इसे अमरेली जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ जैसे संयुक्त उपक्रमों में देखा जा सकता है, जो उच्च गुणवत्ता वाले पशु आहार की आपूर्ति के लिए इफको किसान संचार के साथ एक संयुक्त उद्यम में प्रवेश कर रहे हैं।	
हॉरिजॉन्टल एकीकरण	सहकारी समितियां एक ही उद्योग में कार्यरत अन्य सहकारी समितियों या कंपनियों के साथ विलय या अधिग्रहण करके हॉरिजॉन्टल रूप से अपने संचालन को एकीकृत कर सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनके ग्राहकों और हितधारकों को विभिन्न लाभ देने वाले पैमाने की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं की उपलब्धि हो सकती है। उदाहरण के लिए, मुंबई स्थित गैर-बैंक वित्त कंपनी (एनबीएफसी) फर्म, सेंट्रम फाइनेंस लिमिटेड ने बैंक द्वारा कवर किए गए बाजारों में टैप (प्रयुक्त) करने के लिए पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक का अधिग्रहण किया।	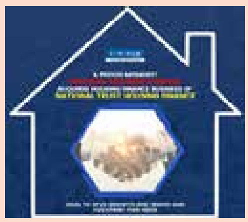

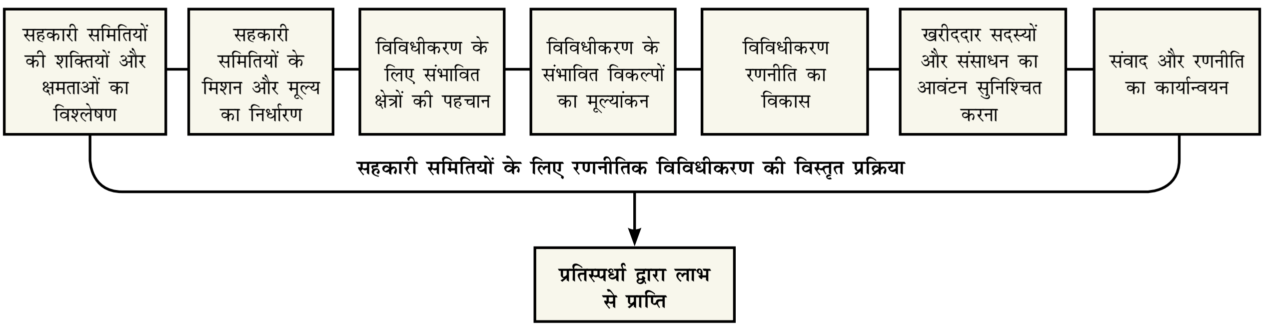

चित्र-2: रणनीतिक विविधीकरण के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक लाभ

सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तीकरण

मान देशी - एक महिला-केंद्रित सूक्ष्म-उद्यम सहकारी संगठन का मुख्यालय महाराष्ट्र के म्हसवड में है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय साक्षरता, व्यवसाय कौशल-विकास और समय पर, पर्याप्त और सस्ती वित्तीय सेवाओं तक पहुंच के माध्यम से महिला सहकारी उद्यमियों में सामाजिक रूप से जुटाकर उन्हें सशक्त बनाना था। स्थापना के बाद से, इसने ग्रामीण महाराष्ट्र में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण और 4,00,000 से अधिक महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। इसके मोबाइल एटीएम के माध्यम से, महाराष्ट्र में 300 से अधिक गांवों को अब समय पर ऋण सेवाएं मिल रही हैं। महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए, यह माइक्रोफाइनेंस, व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यवसाय विकास और बाजार लिंकेज जैसे विभिन्न कार्यक्रमों और सेवाओं की पेशकश करता है। इसने 250 से अधिक ग्रामीण महिलाओं के साथ एक ग्रामीण बीपीओ, 4 मिलियन से अधिक श्रोताओं के साथ एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन को शामिल करने के लिए बैंकिंग से परे अपने कार्यों का विस्तार किया है, और इसने 50 से अधिक बिजनेस स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं। मान देशी का प्रभाव आर्थिक सशक्तीकरण से भी अधिक है, क्योंकि इसने सामाजिक स्थिति में वृद्धि की है और अपने सदस्यों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार किया है। यह एक अग्रणी संगठन है जो भारत में ग्रामीण महिलाओं के जीवन को बदलने में मदद कर रहा है और उन्हें अपने समुदायों में सफल उद्यमी और अग्रणी बनने के तरीके और साधन प्रदान कर रहा है।

स्रोत: मान देशी बैंक एंड फाउंडेशन (https://manndeshifoundation.org पर उपलब्ध)

सहकारी समितियों का रणनीतिक विविधीकरण

विविधीकरण के वैकल्पिक तरीकों के माध्यम से हितधारकों द्वारा तय किए गए रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सहकारी समितियों को अपने विविधीकरण के तरीकों के बारे में (चित्र 1 में मॉडल के अनुसार) निर्णय लेना है। (तालिका 1)

निष्कर्ष

सहकारिता मंत्री ने विभिन्न मंचों से समुदाय के नेतृत्व वाले सहकारी आर्थिक विकास मॉडल की क्षमता पर बार-बार जोर दिया है। केंद्र सरकार ने मौजूदा प्राथमिक सहकारी समितियों को मज़बूत करने, बंद पड़ी सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करने और अगले 4 से 5 वर्षों के दौरान भारत में कम से कम 2 लाख अतिरिक्त प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों का निर्माण करने के अपने नेक इरादे को प्रदर्शित किया है। सहकारिता मंत्री के सक्षम मार्गदर्शन में, मंत्रालय सामरिक विविधीकरण के माध्यम से सहकारी समितियों के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसके लिए रणनीतिक प्रबंधन की प्रक्रिया के दौरान सदस्यों की शक्ति, मिशन और मूल्यों के साथ-साथ भागीदारी और समर्थन के बारे में जानकारी का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने की आवश्यकता है। सहकारी समितियों की अनूठी ताकत और क्षमताओं का लाभ उठाने और अपने मिशन और मूल्यों के साथ विविधीकरण के अवसरों के बीच तालमेल बिठाकर, सहकारी समितियां नए बाजारों और उत्पादों के विकास के साथ-साथ प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त कर सकती हैं। रणनीतिक विविधीकरण भारत में सहकारी समितियों को अपना ग्राहक आधार बढ़ाने, विशिष्ट बाजारों पर अपनी निर्भरता कम करने और अपने सदस्यों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने में सहायता कर सकता है। यदि सहकारी समितियां बाजारों की मांगों को पूरा कर सकती हैं, तो उनके पास लक्षित बाजार में प्रासंगिक होने की अधिक संभावना होगी। लंबे समय में, यह रणनीतिक लाभ और स्थिति विकसित करने में सहायता कर सकता है, जिससे सहकारी समितियों को उनकी गतिविधियों के रणनीतिक विविधीकरण के माध्यम से समावेशी बनाने के साथ-साथ व्यावसायिक लाभ प्राप्त करने में मदद मिलती है। ❑

(लेख में व्यक्त किए गए विचार निजी हैं)

विशेष आलेख

कृषि ऋण सहकारी समितियों को डिजिटलीकरण के माध्यम से सशक्त बनाना

तीव्र तकनीकी प्रगति के युग में, ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थानों को पारंपरिक ऋण से परे सेवाएं प्रदान करके अपने किसान सदस्यों के कल्याण को अधिकतम करने की आवश्यकता है। बैंकिंग सेवाओं को अधिक लागत प्रभावी, कुशल, त्वरित और सुरक्षित बनाने की आवश्यकता है। आज, कृषि ऋण प्रदान करने में भारी बदलाव आया है, और ऋण की आवश्यकताएं खाद्यान्न उत्पादन के वित्तपोषण से ऊपर हैं। यह किसान समूहों और उत्पादक संगठनों को निधि देने के लिए ग्रामीण ऋण सहकारी समितियों के लिए एक बड़ा वित्तपोषण अवसर प्रस्तुत करता है।

अंशु सिंह

सहकारी बैंकिंग और वित्त क्षेत्र में विशेषज्ञ और वेम्निकॉम, पुणे के पूर्व एसोशिएट प्रोफेसर।
ईमेल: knowanshu@gmail.com

भारत में, सहकारिता ने सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सहकारिता में उभरती जरूरतों और राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करके विकास की खामियों को दूर करने की अपार क्षमता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में, सहकारी ऋण संस्थाएं ऋण जुटाने और कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अल्पावधि ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) एक त्रि-स्तरीय संरचना है जिसमें राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी), जिला स्तर पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) और गांव स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) शामिल हैं। इस मॉडल का उद्देश्य किसान सदस्यों को समय पर, पर्याप्त तथा किफायती सहकारी ऋण प्रदान करना और सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करना है, जिसमें स्वयं सहायता तथा जमीनी स्तर की सामुदायिक भागीदारी से लेकर उत्पादन, वितरण और संसाधनों के आवंटन पर सामाजिक नियंत्रण तक शामिल हैं।

किसान, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों-पीएसीएस के सदस्य या मालिक हैं। पीएसीएस निकटतम जिला सहकारी

केंद्रीय बैंक-डीसीसीबी से जुड़े हैं, जबकि डीसीसीबी, राज्य सहकारी बैंक-एसटीसीबी के सदस्य हैं। इन सदस्य-संचालित और समुदाय-आधारित संस्थानों से वित्तीय सेवाओं की कुशल डोरस्टेप डिलीवरी के लिए सामंजस्यपूर्ण तरीके से कार्य करने की उम्मीद की जाती है। ये संस्थान भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक दायरे में आते हैं और इनकी देखरेख राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा की जाती है। वर्तमान में, 2,000 से अधिक शाखाओं वाले 34 राज्य सहकारी बैंक, लगभग 14,000 शाखाओं वाले 351 डीसीसीबी और लगभग 95,000 पीएसीएस हैं, जिनमें से लगभग 65,000 कार्यात्मक रूप से व्यवहार्य हैं।

सहकारी ऋण: मुद्दे और चुनौतियां

ग्रामीण ऋण के क्रमिक संस्थापन से अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से काम करने वाले कई वाणिज्यिक बैंकों और माइक्रोफाइनेंस संस्थान अस्तित्व में आए हैं। सहकारी समितियों के लिए ग्रामीण बैंकिंग अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बन गया है। अल्पकालिक फसल ऋण के अलावा, किसानों को वित्तीय, परामर्श और विपणन सहित कई प्रकार की सेवाओं की भी आवश्यकता होती है। सहकारी ऋण संस्थाएं प्रौद्योगिकी सक्षम समाधानों को अपनाने में असमर्थता के कारण प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकीं। सहकारी ऋण संस्थानों के अपार अवसरों का लाभ तभी उठाया जा सकता है जब उपयुक्त प्रौद्योगिकी आधारित डिजिटीकरण अभियान को अपनाया जाए। समाधान की मांग करने वाले कुछ सबसे आम मुद्दे हैं- कार्यालय प्रबंधन प्रणाली, पारदर्शिता, सुशासन तथा व्यावसायीकरण, उत्पाद नवाचार की गति, सेवा वितरण आदि।

प्रौद्योगिकी अंगीकरण और सहकारी ऋण

प्रौद्योगिकी अपनाने और प्रक्रिया डिजिटीकरण का सहकारी ऋण संरचना पर अत्यधिक सशक्त प्रभाव पड़ता है। केंद्रीय स्तर पर सहकारिता मंत्रालय की स्थापना तकनीकी अपनाने के माध्यम से विशिष्ट नीतिगत हस्तक्षेप और आधुनिकीकरण अभियान सुनिश्चित करके सहकारी आंदोलन को मज़बूत करने की दिशा में एक कारगर कदम है। सहकारी बैंकों के डिजिटीकरण को दो पहलुओं के संदर्भ में समझा जा सकता है-एसटीसीसीएस का डिजिटीकरण और ग्राहक इंटरफेस, सेवा वितरण तथा निर्णय लेने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाना।

क. एसटीसीसीएस का डिजिटीकरण

राज्य सहकारी बैंक और डीसीसीबी भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियामक दायरे में आते हैं। इन्हें केंद्रीकृत ऑनलाइन रीयल-टाइम एक्सचेंज (कोर) आधारित बैंकिंग समाधान (सीबीएस) द्वारा स्वचालित किया गया है। इससे बैंकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में खातों का एकल सेट बनाए रखने में मदद मिलती है। सीबीएस न केवल सहकारी बैंकों के लिए विनियामक और पर्यवेक्षी तंत्र को मज़बूत करता है बल्कि सदस्य ग्राहकों के लिए कभी भी, कहीं

ईकोबानेट: एर्नाकुलम सहकारी बैंक का नेटवर्क

2017 में लॉन्च किया गया, ईकोबानेट, कोच्चि में स्थित एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉप बैंक (ईडीसीसीबी) का एक एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच है। यह ईडीसीसीबी से संबद्ध सभी क्रेडिट संस्थानों को एक सामान्य तकनीक-आधारित प्लेटफॉर्म पर लाता है। यह एकीकृत समाधान वास्तविक समय के आधार पर सदस्यों को आधुनिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए जमीनी स्तर के सदस्य संस्थानों पीएसीएस को अनुमति देता है। वे प्रौद्योगिकी संचालित वित्तीय सेवा प्रदाताओं के रूप में कार्य कर सकते हैं, जिससे वे अपने सदस्यों को कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं जिनमें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), रुपे कार्ड, आरटीजीएस/एनईएफटी, मोबाइल पासबुक सेवाएं, ई-कॉमर्स सेवाएं और खाता खोलने की सेवाएं शामिल हैं। यह डीसीसीबी स्तर पर वास्तविक समय की निगरानी के साथ सदस्यों को पीएसीएस स्तर पर ही आधार सक्षम बचत बैंक और केसीसी खाते खोलने की अनुमति देता है। ईकोबानेट ने ग्रामीण ग्राहकों के लिए डिजिटल वित्तीय सेवाओं का एक नया प्रवेश द्वार खोला है जो पीएसी स्तर पर ही नए युग की बैंकिंग का अनुभव कर सकते हैं। ईकोबानेट से संबद्ध पीएस पूर्ण रूप से बैंकिंग बिंदुओं के रूप में कार्य करते हैं जिससे उनके संबंधित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन का स्तर गहरा होता है। ईकोबानेट इस बात का एक उत्साहजनक उदाहरण है कि कैसे प्रौद्योगिकी सक्षम प्लेटफॉर्म ग्रामीण ग्राहकों के लिए बेहतर बैंकिंग अनुभव ला सकते हैं। यह डिजिटल बैंकिंग समाधानों को लागू करने और कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए पीएसीएस जैसे जमीनी स्तर के संस्थानों को संभालने में डीसीसीबी जैसे बड़े क्रेडिट संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डालता है।

स्रोत: *NABARD [bird-cpec.nabard.org]*

भी बैंकिंग सुनिश्चित करता है। सीबीएस से बैंकिंग लेनदेन में आधुनिकता और पारदर्शिता आई है वहीं सहकारी बैंकों, विशेष रूप से डीसीसीबी के पास अभी तक पर्याप्त कार्यालय प्रबंधन प्रणालियां नहीं हैं।

एक मज़बूत कार्यालय प्रबंधन प्रणाली या एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) दिन-प्रतिदिन की व्यावसायिक गतिविधियों जैसे लेखांकन, आंतरिक लेखा परीक्षा, परियोजना प्रबंधन, सेवा वितरण, मानव संसाधन और विपणन कार्यों आदि के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। कई सहकारी बैंकों में ऋण संवितरण, प्रदर्शन मूल्यांकन, कार्यालय रिकॉर्ड के रखरखाव आदि जैसी आंतरिक व्यापार प्रक्रियाओं को अभी भी मैन्युअल रूप से किया जाता है, जो सहकारी बैंकों की दक्षता को कम करता है और व्यवसाय के प्रदर्शन को बाधित करता है। चूंकि ग्रामीण सहकारी ऋण प्रणाली का सामना करने वाले अधिकांश मुद्दे सहकारी बैंकों में आम हैं, अत: एसटीसीसीएस द्वारा मानक तकनीकी समाधान और कार्यालय प्रबंधन प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। प्रौद्योगिकी सक्षम आंतरिक प्रणालियां उचित प्रशासन, शासन और आंतरिक निगरानी सुनिश्चित करती हैं, जो बदले में आरबीआई के वैधानिक अनुपालन में सहायता करेगी। सभी राज्यों में कृषि ऋण प्रणाली में एकरूपता लाने के लिए एसटीसीसीएस में सामान्य तकनीकी प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर समय की मांग है।

चूंकि डीसीसीबी को व्यावसायिक प्रक्रियाओं का डिजिटीकरण करने की आवश्यकता है, अधिकांश पीएसीएस को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। कम्प्यूटरीकरण डिजिटीकरण की दिशा में पहला कदम है जो पीएसीएस स्तर पर विवेकपूर्ण मानदंडों और सीबीएस के एप्लीकेशन को सुनिश्चित करेगा, जिससे एकीकृत त्रि-स्तरीय संरचना के भीतर पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। गृह और सहकारिता मंत्री के सक्रिय नेतृत्व में भारत सरकार की पीएसीएस कंप्यूटरीकरण नीति में किसानों को ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में पीएसीएस की दक्षता बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। हालांकि, बाधित बिजली आपूर्ति, इंटरनेट कनेक्टिविटी और कंप्यूटर कौशल स्तर के मामले में ग्रामीण बुनियादी ढांचा अब भी अपर्याप्त है। पीएसीएस में अधूरे तथा असंगत खातों और दस्तावेज़ों से समस्या और भी बढ़ जाती है। पीएसीएस का कम्प्यूटरीकरण पीएसीएस को कुशल बनाने की दिशा में मूलभूत कदम है। इसके अलावा, ऊपरी स्तरों के साथ पीएसीएस का डिजिटल एकीकरण एक मज़बूत और पारदर्शी कृषि ऋण प्रणाली सुनिश्चित करेगा। कंप्यूटर अवसंरचना और इंटरनेट की उपलब्धता के अलावा, डाटा तैयार करने, डाटा प्रविष्टि, प्रशिक्षित तथा समर्पित जनशक्ति और ईआरपी के

अनुकूलन आदि के लिए पर्याप्त समर्थन की आवश्यकता होती है। गृह और सहकारिता मंत्री के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय ने 'पीएसीएस के कम्प्यूटरीकरण' पर 2,516 करोड़ रुपये की परियोजना लागू की। यह पहल 5 वर्षों की अवधि में लगभग 63,000 पीएसीएस का कम्प्यूटरीकरण करेगी और छोटे तथा सीमांत किसानों के बीच सेवा वितरण को बढ़ाएगी। इसके बाद, यह पीएसीएस को अपनी सेवाओं का डिजिटीकरण करने और उन्हें डीसीसीबी तथा राज्य सहकारी बैंक के साथ जोड़ने में सक्षम बनाएगा। इससे ऋणों का तेजी से निपटान सुनिश्चित होगा, ट्रांजिशन लागत कम होगी, ऑडिट तेज होगा और राज्य सहकारी बैंक तथा डीसीसीबी के साथ भुगतान और लेखांकन में असंतुलन में कमी आएगी। डाटा इंगित करता है कि देश में सभी संस्थाओं द्वारा दिए गए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋणों का 41 प्रतिशत (3.01 करोड़ किसान) पीएसीएस का है, और पीएसीएस के माध्यम से इन केसीसी ऋणों (2.95 करोड़ किसानों) का 95 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसानों को जाता है। पीएसीएस वित्तीय और गैर-वित्तीय सेवाओं जैसे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी), ब्याज सहायता योजना (आईएसएस), फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), और उर्वरक तथा बीज जैसे इनपुट के वितरण के लिए पंचायत स्तर पर नोडल केंद्र के रूप में भी काम करेगा।

ख. ग्राहक इंटरफेस, सेवा वितरण और निर्णय लेने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाना

डिजिटीकरण से बैंकिंग उद्योग में व्यापक परिवर्तन आया है। डिजिटल युग लोगों की अंत:क्रिया करने और रोजाना व्यापार करने के तरीके को उन्नत कर रहा है। तकनीकी प्रगति देश में बैंकिंग के भविष्य को प्रभावित कर रही है। हाल के वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था फिनटेक और एग्रीटेक क्रांतियों का केंद्र बन गई है, जहां कई स्टार्टअप संस्थाएं तकनीक आधारित समाधानों के माध्यम से ग्रामीण ग्राहकों को सेवाएं दे रही हैं। 2022 तक, भारत में फिनटेक और कृषि-स्टार्टअप का एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र है, जो इसे अभिनव वित्तीय उत्पादों को लॉन्च करने का सही समय बनाता है। इसने ग्रामीण ऋण सहकारी समितियों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा भी पेश की है, खासकर जब ग्राहक अनुभव और सेवा वितरण की बात आती है।

डिजिटीकरण से बैंकिंग उद्योग में व्यापक परिवर्तन आया है। डिजिटल युग लोगों की अंत:क्रिया करने और रोजाना व्यापार करने के तरीके को उन्नत कर रहा है। तकनीकी प्रगति देश में बैंकिंग के भविष्य को प्रभावित कर रही है। हाल के वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था फिनटेक और एग्रीटेक क्रांतियों का केंद्र बन गई है, जहां कई स्टार्टअप संस्थाएं तकनीक आधारित समाधानों के माध्यम से ग्रामीण ग्राहकों को सेवाएं दे रही हैं।

तेज गति से तकनीकी प्रगति के युग में, ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थानों को पारंपरिक ऋण से परे सेवाएं प्रदान करके अपने किसान सदस्यों के कल्याण को अधिकतम करने की आवश्यकता है। बैंकिंग सेवाओं को अधिक लागत प्रभावी, कुशल, तेज और सुरक्षित बनाने की आवश्यकता है। आज, कृषि ऋण देने में भारी बदलाव आया है, और ऋण की आवश्यकताएं खाद्यान्न उत्पादन के वित्तपोषण से ऊपर हैं। भारत विश्व स्तर पर फलों और सब्जियों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। इस क्षेत्र को अवसंरचना, रसद सुविधा और बेहतरीन मूल्य-श्रृंखला वित्तपोषण की आवश्यकता है। इसी तरह, गोदाम रसीद वित्तपोषण एक उभरता हुआ क्षेत्र है जहां खरीददार, विक्रेता, विनिमय, गोदाम और बैंक सहित पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को एक डिजिटल रिपॉजिटरी और उधार प्रणाली में एकीकृत किया गया है। यह किसान समूहों और उत्पादक संगठनों को निधि देने के लिए ग्रामीण ऋण सहकारी समितियों के लिए एक बड़ा वित्तपोषण अवसर प्रस्तुत करता है।

कई सहकारी ऋण संस्थान मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं को लागू करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। सिस्टम सुरक्षा में कम निवेश के कारण सहकारी बैंकों में साइबर सुरक्षा जोखिम और साइबर धोखाधड़ी की दर तुलनात्मक रूप से अधिक है। प्रौद्योगिकी अपनाने के अत्यधिक लाभ हैं, लेकिन लागत ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थानों की पहुंच के भीतर नहीं हो सकती है, इसलिए सहयोगी दृष्टिकोण और रणनीतिक गठजोड़ के माध्यम से तकनीकी संसाधनों को साझा करना वांछनीय है। उदाहरण के लिए, ग्रामीण क्रेडिट संस्थान ग्राहक अधिग्रहण, किसानों की क्रेडिट प्रोफाइलिंग, केवाईसी, सलाहकार सेवाओं का प्रसार, पर्यवेक्षण तथा संपत्तियों की निगरानी, अन्य वित्तीय सेवाओं के प्रावधान, डिजिटल ग्राहक इंटरफेस के विकास आदि के लिए फिनटेक के साथ रणनीतिक साझेदारी स्थापित कर सकते हैं।

एक अन्य उदाहरण खेतों की निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग का रहा है, जो कृषि-बीमा उत्पादों की दक्षता और सटीकता में सुधार कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्टफोन की तेजी से पहुंच के साथ, कृषक समुदाय को बेहतर बैंकिंग अनुभव प्रदान करने का एक बड़ा अवसर है। यह डिजिटल लेंडिंग, स्मार्ट रिकवरी,

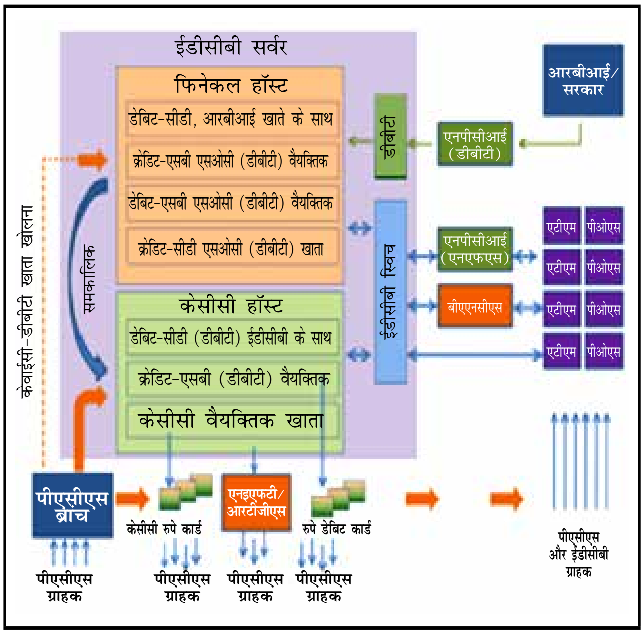

ईडीसीबी – एर्नाकुलम जिला केंद्रीय सहकारी बैंक	**सीडी** – क्रेडिट डेबिट निपटान खाता
एसबी – बचत बैंक खाता	**एसओसी** – सुरक्षा संचालन केंद्र
केसीसी – किसान क्रेडिट कार्ड	**डीबीटी** – डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर
केवाईसी – अपने ग्राहक को जानें	**पीएसीएस** – प्राथमिक कृषि ऋण समिति
एनपीसीआई – भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम	**एनएफएस** – राष्ट्रीय वित्तीय स्विच
पीओएस – प्वाइंट ऑफ सेल	**एटीएम** – स्वचालित टेलर मशीन

भुगतान समाधान, वित्तीय परामर्श, फसल सलाह और एकल डिजिटल विंडो के माध्यम से शिकायत निवारण के रूप में हो सकता है। यह सदस्य स्तर पर वित्तीय पहुंच में सुधार करता है।

ब्लॉकचेन जैसी कई उन्नत तकनीकों में साइबर सुरक्षा जोखिमों को दूर करने और सहकारी बैंकिंग कार्यों में पारदर्शिता लाने की क्षमता है। बिजनेस एनालिटिक्स एक अन्य उभरता हुआ क्षेत्र है जो सहकारी ऋण संस्थानों को ऋण देने और वसूली के बारे में समय पर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। सहकारी बैंक सीबीएस के माध्यम से बड़ी मात्रा में डाटा उत्पन्न करते हैं। हालांकि, अपने निजी समकक्षों के विपरीत, वे सूचित निर्णय लेने के लिए डाटा एनालिटिक्स का लाभ नहीं उठाते हैं। डिजिटीकरण अकेले सहकारी ऋण संस्थानों को बेहतर व्यावसायिक प्रदर्शन और सदस्य जुड़ाव के लिए सशक्त बनाने की क्षमता रखता है। यह बैंकिंग साधनों तथा तरीकों को नया करने और बदलने के लिए संगठनात्मक इच्छा की मांग करता है।

निष्कर्ष

गृह और सहकारिता मंत्री के कुशल मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय ने एसटीसीएसएस को नीतिगत समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए व्यवहार्य मार्ग तैयार किए हैं। पैन-इंडिया पीएसीएस कम्प्यूटरीकरण पहल में सहकारी बैंकिंग में क्रांति लाने और संरचना की दीर्घकालिक व्यवहार्यता को सुविधाजनक बनाने की क्षमता है। कम्प्यूटरीकरण के बाद डिजिटीकरण से वित्तीय और गैर-वित्तीय उत्पादों के सेवा वितरण में वृद्धि होगी। यह सहकारी बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र में बेहतर प्रशासन और सुशासन भी लाएगा। एसटीसीबी और डीसीसीबी को डिजिटीकरण का अधिक से अधिक स्वामित्व लेना होगा, अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में इसके लिए जोर देना होगा और पीएसी स्तर पर उचित सहायता सुनिश्चित करनी होगी।

कृषक समुदाय के साथ सहकारी ऋण संस्थानों की निकटता, उनके सदियों पुराने बैंकिंग ज्ञान के साथ, उन्हें अपने वाणिज्यिक समकक्षों की तुलना में कृषि-ऋण के क्षेत्र में बड़ा लाभ देती है। सही तकनीक और डिजिटीकरण के साथ, सहकारी ऋण संस्थान भारतीय कृषि की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डिजिटीकरण कृषि ऋण प्रणाली के पूर्ण परिवर्तन की मांग करता है ताकि सहकारी ऋण गतिविधियों को वित्तीय समावेशन, टिकाऊ कृषि और कृषि आय में वृद्धि जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ जोड़ा जा सके। जैसे-जैसे भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का योगदान काफी हद तक बढ़ जाएगा। ऐसा माना जाता है कि इस वृद्धि का नेतृत्व कृषि, कृषि व्यवसाय, गैर-कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों द्वारा किया जाएगा। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ता है, वैसे-वैसे वित्तीय बाजार का आकार भी बढ़ेगा। ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थान लाभप्रद व्यावसायिक प्रस्तावों को तराश सकते हैं और बड़े व्यापक आर्थिक लक्ष्यों में प्रभावी रूप से योगदान कर सकते हैं। नीतिगत समर्थन के साथ-साथ, तकनीकी उन्नयन कृषि ऋण सहकारी समितियों को ग्रामीण समृद्धि के एजेंट के रूप में पुनर्स्थापित करने के लिए एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। ❑

संदर्भ

1. सहकारिता मंत्रालय (2022)। पैक्स परियोजना के कम्प्यूटरीकरण पर दिशानिर्देश। https://cooperation.gov.in/guidelines-computerization-pacs-project पर उपलब्ध है।
2. एनएएफएससीओबी (2022)। ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्यवाही। https://www.nafscob.org/master/publication/images/PROCEEDINGS%20BOOK%20-%2005-11-2022(Final).pdf पर उपलब्ध है।

(लेख में व्यक्त किए गए विचार निजी हैं)

गैर-ऋण सहकारी समितियों के लिए विकास के मार्ग

गैर-ऋण सहकारी समितियां अपनी प्रकृति में विषम हैं, और उनकी अत्यधिक विविधता और विभिन्न क्षेत्रों और इलाकों में व्यापक फैलाव के कारण, 'सभी के लिए उपयुक्त एक वस्तु' का दृष्टिकोण सभी क्षेत्रों के लिए सफल नहीं हो सकता है। गैर-ऋण सहकारी समितियों के विकास मार्गों की शुरुआत करने के लिए, सम्मिश्रण, जागरुकता सृजन, प्रशिक्षण, सलाह, तकनीकी उन्नयन और डिजिटलीकरण सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

डॉ इशिता जी त्रिपाठी | विकास आयुक्त (एमएसएमई) के कार्यालय में अपर विकास आयुक्त, 1999 बैच की आईईएस अधिकारी। ईमेलः igtripathy@gmail.com

नीतिशा मान | विकास आयुक्त (एमएसएमई) के कार्यालय में उपनिदेशक, 2016 बैच की आईईएस अधिकारी। ईमेलः nitisha.mann@gov.in

दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते, भारत के लिए एक ऐसे आंदोलन का स्थान होना स्वाभाविक है जो समान रूप से जमीनी स्तर पर लोकतंत्रीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। सहकारिता एक शताब्दी से अधिक समय से भारतीय अर्थव्यवस्था के अभिलेखागार में मौजूद है। 29 करोड़ लोगों की सदस्यता वाली 8.54 लाख सहकारी समितियां भारत में संचालित होने का अनुमान है। भारत में सहकारी समितियों का विकास और उसकी प्रगति विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है। विकास को गति देने के लिए संबंधित राज्य के प्रशासनिक तंत्र द्वारा अपनाए गए विविध फोकस क्षेत्रों और दृष्टिकोणों के कारण राज्यों में अंतर उत्पन्न होता है। यह महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में पंजीकृत गैर-ऋण सहकारी समितियों की संख्या में आनुपातिक रूप से परिलक्षित होता है, जो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, असम आदि जैसे अन्य बड़े राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है।[1]

सहकारी समितियों की सफलता उनके गठन और कार्यप्रणाली, विशेष रूप से स्वैच्छिक भागीदारी, समान प्रतिनिधित्व, पेशेवर प्रबंधन और बिचौलियों की अनुपस्थिति के कारण लाभ का अधिक हिस्सा जैसी उनकी विशेषताएं, में निहित है। इस संदर्भ में, यह पेपर उन रास्तों पर ध्यान केंद्रित करता है जिनका पालन गैर-ऋण क्रेडिट सहकारी समितियां अपने निर्वाह, विकास, प्रगति और प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए कर सकती हैं।

भारत में सहकारी संरचना

सहकारी समिति अधिनियम, 1912; म्युचुअली एडेड कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट सोसायटी एक्ट; और बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 भारत में सहकारी समितियों के कानूनी ढांचे का निर्माण करता है। देश में दो प्रकार की सहकारी संरचनाएं हैं, अर्थात्, राज्य सहकारी समितियां और बहु-राज्य सहकारी समितियां। बहु-राज्य सहकारी समितियां केंद्र सरकार के अधीन आती हैं और राज्य सहकारी समितियां राज्य सरकारों के अधीन आती हैं। भारत में मुख्य रूप से सहकारी समितियां, अन्य बातों के साथ-साथ, कृषि, डेयरी, ऋण और बैंकिंग, आवास, उत्पादक सहकारी समितियों आदि के रूप में कार्य करती हैं।

महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) अधिक प्रभावी भूमिका निभाते हैं।[2] हालांकि, अनौपचारिक, स्वयं सहायता समूहों को अल्पविकसित सहकारी समितियों के रूप में भी माना जा सकता है, भले ही वे छोटे पैमाने पर काम करते हों और आमतौर पर महिलाओं जैसे अपेक्षाकृत वंचित समूहों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हों। दूसरी ओर, बड़े पैमाने की सहकारी समितियां उत्पादों या कार्यों के संदर्भ में व्यावसायिक रूप से अधिक केंद्रित हैं।

वैश्वीकरण

काफी हद तक यह माना जाता था कि वैश्वीकरण के आगमन से सहकारी समितियों के विकास में बाधा आएगी। हालांकि, अमूल, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग सोसायटी (हॉपकम्स), इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको), उड़ीसा स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन, कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (केएमएफ) और केरल कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (केसीएमएमएफ) जैसी कुछ सहकारी समितियों की सफलता ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया है।

सफलता की इन कहानियों के माध्यम से चलने वाला सामान्य सूत्र एक बहु-स्तरीय प्रणाली का अस्तित्व है जो एक मज़बूत आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने में मदद करता है। चाहे वह अमूल हो, ओएमएफईडी (बॉक्स 1 देखें) या इफको, एक सफल सहकारी समिति की रीढ़ एक अच्छी तरह से काम करने वाली ई2ई (एंड-टू-एंड) आपूर्ति श्रृंखला का सम्मिश्रण है, जिसमें कच्चे माल की खरीद, उत्पाद विनिर्देश, विनिर्माण, शेड्यूलिंग, वितरण से लेकर उपभोक्ताओं को उत्पादों की डिलीवरी तक शामिल है।

इन सहकारी समितियों की सफलता का श्रेय उत्पादों के विविधीकरण, तरीकों और इनपुट के तकनीकी उन्नयन के लिए, या तो दानेदार स्तर पर या उनकी उत्पादन सुविधाओं में, विपणन पर ध्यान केंद्रित करना और उनकी उपस्थिति, यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और पेशेवर प्रबंधन को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ये कहानियां केवल इस बात को दोहराती हैं कि फलने-फूलने के लिए, किसी भी संस्था को अपने संबंधित बाजार को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से सेवा देनी चाहिए, अच्छी तरह से प्रबंधित होना चाहिए, वित्तीय व्यवहार्यता की दिशा में काम करना चाहिए और एक दीर्घकालिक दृष्टि रखनी चाहिए। कुछ कृषि-आधारित और डेयरी सहकारी समितियों की प्रतिष्ठित सफलता यह संकेत देती है कि सहकारी समितियों के पास खाद्य-प्रसंस्करण, भारतीय अर्थव्यवस्था में एक उदीयमान क्षेत्र में योगदान करने के लिए बहुत कुछ हो सकता है।

भविष्य का मार्ग

गैर-ऋण सहकारी समितियां अपनी प्रकृति में विषम हैं, और उनकी अत्यधिक विविधता और विभिन्न क्षेत्रों और इलाकों में व्यापक फैलाव के कारण, 'सबके लिए अनुकूल एक वस्तु' के दृष्टिकोण सभी क्षेत्रों के लिए सफल नहीं हो सकता है। कुछ क्षेत्रों के लिए, अधिक केंद्रित दृष्टिकोण आवश्यक हो सकता है। इस संदर्भ में, जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था जब जैविक उत्पादों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति स्थापित करने और बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया था, जो स्वास्थ्य और पर्यावरण चेतना के बढ़ते स्तर के साथ महत्व प्राप्त कर रहा है। गैर-ऋण

उड़ीसा राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ (ओएमएफईडी)

सहकारी समिति अधिनियम, 1962 के तहत पंजीकृत, ओएमएफईडी की मुख्य गतिविधियों में दूध और दुग्ध उत्पादों का प्रचार, उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण और विपणन शामिल है। इसका उद्देश्य राज्य में ग्रामीण कृषक समुदाय का आर्थिक विकास सुनिश्चित करना रहा है।

ओएमएफईडी की ताकत इसकी कुशलतापूर्वक प्रबंधित आपूर्ति श्रृंखला में निहित है, जो इसे अपने घोषित उद्देश्यों और ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। अमूल द्वारा मूल रूप से स्थापित त्रि-स्तरीय प्रणाली के बाद ग्रामीण सहकारी समिति प्रथम श्रेणी का प्रतिनिधित्व करती है। यह एक गांव में दुग्ध उत्पादकों का एक स्वैच्छिक संघ है जो सामूहिक आधार पर निकटतम जिला दुग्ध संघ को दूध बेचने के इच्छुक हैं, जो कि द्वितीय स्तर का है। समिति फिर कुछ और लोगों को सहायक (दूध परीक्षक आदि) के रूप में कार्य करने के लिए चुनती है।

दुग्ध संघ एकत्रित दूध को अपने प्रसंस्करण केंद्रों तक पहुंचाता है। दुग्ध संघ ग्रामीण समाजों को तकनीकी इनपुट (नई विधियां), प्रशिक्षण और कभी-कभी पशुओं के लिए चारा और खाद्य पदार्थ, (खल, बिनौले) आदि भी प्रदान करते हैं।

तीसरा स्तर दुग्ध महासंघ है, जो संघ डेयरी में दूध और दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण, पैकिंग और विपणन की व्यवस्था करता है। उत्पादों के विपणन के बाद, जो भी धनराशि प्राप्त होती है, उसे आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से प्रत्येक 7-10 दिनों में एक बार उत्पादकों को वापस भेज दिया जाता है। फेडरेशन में विभिन्न एमयू और ओडिशा राज्य सरकार से भी प्रतिनिधित्व है। उत्पादों का विपणन ओएमएफईडी के अधिकृत खुदरा विक्रेताओं द्वारा पूरे राज्य में किया जाता है और शहरी उपभोक्ता ओएमएफईडी की दूध आपूर्ति श्रृंखला का अंतिम बिंदु है।

ओएमएफईडी ने 1980 के दशक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जब उड़ीसा में बड़े पैमाने पर औपचारिक डेयरी क्षेत्र नहीं था और अमूल की शानदार सफलता ने सहकारी समितियों की क्षमता का प्रदर्शन किया था। ओएमएफईडी ने उन सभी छोटे डेयरी किसानों को अवसर दिया जिनके पास छोटी डेयरियां स्थापित करने के लिए संसाधन नहीं थे लेकिन बेचने के लिए अतिरिक्त दूध था। इससे उनकी आय में वृद्धि हुई, और छोटी नकद राशि उन्हें नियमित भुगतान के साथ प्रोत्साहित करती है।

डेयरी किसान और कटक दुग्ध संघ के सदस्य अनिल महापात्र लगभग 30 वर्षों से ओएमएफईडी की आपूर्ति कर रहे हैं। उनका कहना है कि चूंकि उच्च गुणवत्ता से बेहतर कीमत मिलती है, इसलिए वह अपने दुधारू पशुओं के चारे और स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देते हैं। पशु चिकित्सकों के नियमित दौरे से भी किसानों को मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि सुनिश्चित मांग और भुगतान के कारण, आस-पास के गांवों के अधिकांश परिवारों ने भी अपनी आय के पूरक के लिए दुधारू पशु रखना शुरू कर दिया है।

स्रोत: 1. http://omfed.com/default.asp?lnk=home&
2. डेयरी किसानों के साथ बातचीत पर आधारित।

सहकारी समितियों के विकास मार्गों की शुरुआत करने के लिए, सम्मिश्रण, जागरुकता सृजन, प्रशिक्षण, संरक्षण और तकनीकी उन्नयन और डिजिटलीकरण सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

सम्मिश्रण

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार सहकारी समितियों को उद्यम पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से एमएसएमई के रूप में पंजीकरण करने की अनुमति देता है। इससे सहकारी समितियों के लिए कई रास्ते खुलते हैं। उद्यम के आंकड़ों के अनुसार, पोर्टल पर 16,000 से अधिक सहकारी समितियों ने एमएसएमई के रूप में पंजीकरण कराया है। आंकड़ों के एक और विश्लेषण से पता चलता है कि एनआईसी कोड 10 के तहत सबसे अधिक संख्या में सहकारी समितियां पंजीकृत हैं, जो खाद्य उत्पादों के विनिर्माण से संबंधित हैं। इस संहिता के तहत सहकारी समितियां खरीद, वितरण, प्रसंस्करण, भंडारण, पैकेजिंग आदि में लगी हुई हैं।

क्लस्टर आधारित कार्यक्रम ऐसी कई योजनाएं हैं जिनसे एमएसएमई को व्यापक रूप से लाभ हुआ है। ऐसी योजनाएं सामान्य सुविधा केंद्रों, प्रदर्शन केंद्रों, प्रसंस्करण केंद्रों, रिसाइक्लिंग/संसाधन भरपाई संयंत्रों, परीक्षण और गुणवत्ता उत्पादन केंद्रों, बुनियादी ढांचे के विकास और कौशल विकास के उद्देश्य से सॉफ्ट इंटरवेंशन की स्थापना के लिए धन प्रदान करती हैं। घरेलू खरीद और विपणन योजना और अंतरराष्ट्रीय सहकारी योजना के माध्यम से विपणन संबंध बनाने के मामले में भी एमएसएमई को लाभ होता है। प्रसंस्करण और निर्माण में लगी सहकारी समितियों को इस तरह के क्रियाकलापों के माध्यम से उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता में वृद्धि के मामले में वास्तव में बढ़ावा मिल सकता है। एमएसएमई के लिए, उद्यम लगभग 'अपने ग्राहक को जानें' जैसा है। इस संदर्भ में, प्राधिकरण किसी अन्य दस्तावेज के बजाय उद्यम प्रमाणीकरण को सहकारी समितियों के लिए कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए मूल दस्तावेज के रूप में मान सकते हैं। यह 'संपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण' के अनुरूप भी होगा। एमएसएमई का दर्जा दिए जाने के इस तरह के कदम का एक सबसे महत्वपूर्ण लाभ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देना होगा।

जागरुकता, प्रशिक्षण और संरक्षण

छात्रों को इस बात से अवगत कराना समय की मांग है कि सहकारी क्षेत्र करियर का एक संपूर्ण विकल्प हो सकता है। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण देने की जरूरत है। पूरे भारत में क्षमता निर्माण के लिए सहकारी समितियों के बारे में जागरुकता कार्यक्रमों की आवश्यकता है। सहकारी समितियों को उनके कर्मचारियों/श्रमिकों के कौशल उन्नयन के लिए विभिन्न मंत्रालयों और ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से भी जोड़ा जा सकता है। सॉफ्ट-स्किल इंटरवेंशन, जो वर्तमान में क्लस्टर-स्तरीय योजनाओं में किया जा रहा है, सहकारी समितियों को भी लाभ पहुंचा सकता है।

समान डोमेन में काम करने वाली बड़ी बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए, छोटी सहकारी समितियों के लिए एक्सपोजर यात्राओं का आयोजन भी समान संगठनात्मक और परिचालन प्रणालियों का अनुकरण करने में मदद करने के लिए उपयोगी हो सकता है। बड़ी सहकारी समितियों द्वारा सलाह देने से छोटी सहकारी समितियों को लाभ हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक मेंटरशिप कार्यक्रम की कल्पना की जा सकती है, जिसमें बड़ी सहकारी समितियां समान गतिविधियों में लगी राज्य-स्तरीय सहकारी समितियों को मज़बूत करने के लिए गहन भागीदारी, सहयोग और रचनात्मक सहयोग प्रदान कर सकती हैं।

इस संबंध में, भारत सरकार ने (i) राष्ट्रीय-स्तर की बहु-राज्य सहकारी बीज समितियों के गठन की घोषणा की है, जो उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, भंडारण, विपणन और गुणवत्ता वाले बीजों का वितरण और रणनीतिक अनुसंधान एवं विकास; और (ii) जैविक उत्पादों के एकत्रीकरण, प्रमाणन, परीक्षण, खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, रसद सुविधाओं और विपणन के लिए एक अंब्रेला संगठन के रूप में कार्य करने के लिए एक बहु-राज्य सहकारी जैविक सोसायटी के लिए एक शीर्ष संगठन के रूप में कार्य करेगी। चूंकि सभी स्तरों पर सहकारी समितियां सदस्यों के रूप में शामिल होने के लिए पात्र होंगी, समान कार्यों में लगे लोग योगदान करने में मदद कर सकते हैं और पूर्ण मूल्य-श्रृंखला का हिस्सा बनने

इन सहकारी समितियों की सफलता का श्रेय उत्पादों के विविधीकरण, तरीकों और इनपुट के तकनीकी उन्नयन के लिए या तो दानेदार स्तर पर या उनकी उत्पादन सुविधाओं में, विपणन पर ध्यान केंद्रित करना और उनकी उपस्थिति, यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और पेशेवर प्रबंधन को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

से लाभान्वित भी हो सकते हैं। यह पहले उल्लिखित सफलता की कहानियों के एक आदर्श अनुकरण के रूप में सामने आता है, जिसमें चुने हुए क्षेत्रों (जहां सहकारी समितियों की पूर्व उपस्थिति और अनुभव है) को शुरू से अंत तक कवर किया जाता है।

प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जब तक प्रौद्योगिकी, उत्पादन और व्यवसाय मॉडल को उन्नत नहीं किया जाता है और प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण नहीं किया जाता है, सहकारी समितियां प्रासंगिक और प्रतिस्पर्धी बने रहने में सक्षम नहीं हो सकती हैं। इस संबंध में सरकार की ओर से समर्थन कई रूपों में उपलब्ध है, जिसमें प्रत्यक्ष सब्सिडी से लेकर विभिन्न प्रकार की ऋण सुविधाएं शामिल हैं, जिनका इस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। सहकारी समितियों को क्लस्टर के रूप में मानकर और उन्हें प्रासंगिक क्लस्टर योजनाओं से जोड़कर भौतिक बुनियादी ढांचा तैयार करने जैसे ठोस क्रियाकलाप उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

समापन टिप्पणी

हालांकि, सहकारी समितियों को भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के संदर्भ में नजरअंदाज किया गया है, समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देने में उनकी प्रासंगिकता निर्विवाद बनी हुई है। सहकारी उद्यम विकास के भीतर जबरदस्त अंतर्निहित समावेशिता ने भारत के प्रधानमंत्री को 'सहकार से समृद्धि' का एक स्पष्ट आह्वान करने के लिए प्रेरित किया। सहकारिता और सहकारी विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाले एक नए समर्पित मंत्रालय का गठन इस डिजिटल युग में समुदाय के नेतृत्व वाले सामाजिक-आर्थिक विकास पर केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से जोर दिए जाने को प्रदर्शित करता है। सहकारिता मंत्रालय द्वारा उपयुक्त और समय पर हस्तक्षेप से सहकारी उद्यमों के विकास की बाधाओं को दूर करने और मौजूदा और अच्छी तरह से संरचित सहकारी समितियों के प्रदर्शन को बढ़ावा देने की उम्मीद है।

एक कार्ययोजना की परिकल्पना वाली एक सुविचारित रणनीति जिसके माध्यम से अधिक से अधिक राज्य सहकारी समितियों को उन क्षेत्रों में बहु-राज्य सहकारी समितियों के रूप में जोड़ा या एकीकृत किया जा सकता है जहां बड़े, सक्रिय सदस्यता आधार के लिए पर्याप्त गुंजाइश है, स्थायी विकास सुनिश्चित करेगा। ❑

संदर्भ

1. स्टेटिस्टिकल प्रोफाइल ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, 2018, https://pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=1776506
2. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।

ADMISSION OPEN 2023

IIHMR University, Jaipur is a leading post-graduate research university for healthcare programs focused on transforming management education.

Healthcare has become one of the largest sectors of the Indian economy in terms of both revenue and employment, creating several opportunities for students to work with government, for-profit and not-for-profit organisations. The healthcare industry comprises central/state government, public health institutions/programmes, development partners, public/private hospitals, pharmaceutical companies, health insurance, healthcare research and consulting, medical devices, diagnostic, digital health, and CSR foundations.

IIHMR UNIVERSITY
JAIPUR

Courses Offered By IIHMR University

MBA Programmes
MBA (Hospital and Health Management)
MBA (Pharmaceutical Management)
MBA (Development Management)
Apply with CAT/XAT/NMAT/MAT/CMAT/ATMA/IIHMRU-MAT score

Executive Programmes for Working Professionals
Master of Public Health (Executive)
Master of Hospital Administration (Executive)

Guided Campus Tour on Saturdays and Sundays between 10:30 am to 4:30 pm
For Admission Scan this QR Code
For Registrations, please call :
+91 9145989952 / 9358893199

1, Prabhu Dayal Marg, Near Sanganer Airport, Jaipur-302029 | admissions@iihmr.edu.in | www.iihmr.edu.in

YH-2366/2023

आर्थिक विकास के लिए सहकारी उद्यमशीलता को मज़बूत करना

एक सहकारी समिति की सफल होने की क्षमता उसके सदस्यों, प्रबंधन और नेतृत्व के साथ उसके संबंधों की प्रभावशीलता पर निर्भर करती है। प्रत्येक हिस्सेदार को अपने कर्तव्यों के बारे में पता होना चाहिए और सहकारी समिति को सभी सदस्यों और प्रबंधन के साथ संचार की लाइनें खुली रखनी चाहिए। सहकारी उद्यम के सदस्यों, प्रबंधकों और नेताओं का नियमित प्रशिक्षण सहकारिता के विकास के लिए जरूरी है। केंद्र सरकार ने योजनाबद्ध हस्तक्षेपों के माध्यम से देश में सहकारी उद्यमिता को मज़बूत करने के लिए सहायता सेवाओं का विस्तार किया है।

सागर किसन वाडकर | सलाहकार, राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली। ईमेल: sagarkwadkar@gmail.com

सहकारी उद्यमिता सामूहिक या संयुक्त उद्यमिता का एक रूप है। 'सहकारी उद्यमी' एक सामाजिक नेता के अलावा और कुछ नहीं है, वह विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत लाभ के बजाय, लोकतांत्रिक तरीके से व्यावसायिक मामलों के प्रबंधन के लिए मज़बूत रणनीति तैयार करने की दृष्टि रखता है। सहकारी नेता मज़बूत दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता के साथ काम करते हैं, नवाचार करने और 'बॉक्स के बाहर सोचने की क्षमता रखते हैं' और जोखिम लेने की इच्छा रखते हैं। सहकारी के सदस्य - चाहे उपभोक्ता हों, श्रमिक हों या उत्पादक - व्यवसाय के मालिक होने के साथ-साथ वस्तुओं और सेवाओं के उपयोगकर्ता भी होते हैं। सहकारी समितियों को एक सदस्य, एक वोट के आधार पर शासित किया जाता है। सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक शासन, सहकारी मॉडल की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। सामुदायिक समस्याओं को हल करना और क्षेत्रीय रुझानों का अवलोकन करना सहकारी समितियों के निर्माण के अवसरों को खोजने के लिए दो प्रभावी तरीके हैं।

पृष्ठभूमि

भारत में सहकारिता आंदोलन ने समावेशिता और सामुदायिक विकास के लिए हमेशा सामाजिक और वित्तीय पूंजी का लाभ उठाया है। भारत में सहकारी आंदोलन और उद्यमशीलता ऐतिहासिक रूप से समृद्ध और विविध हैं। सहकारी उद्यमिता सामुदायिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन, धन सृजन और उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग पर केंद्रित है। व्यक्तियों के सदस्य-संचालित और सदस्य-नियंत्रित संघों के रूप में, इन संस्थाओं में सामुदायिक व्यापार भावना, सामंजस्य और सामाजिक बंधन सहित गहनता के साथ जमीनी स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं को वितरित करने की अपार क्षमता है। भारत में सहकारिता के लाभ में है, हमारे कृषि वित्तपोषण में सहकारी समितियों का हिस्सा 19 प्रतिशत, उर्वरक वितरण का 35 प्रतिशत, उर्वरक उत्पादन का 30 प्रतिशत, चीनी उत्पादन का 40 प्रतिशत, गेहूं की खरीद का 13 प्रतिशत और धान की खरीद का 20 प्रतिशत है (एनसीयूआई: 2018)। लोगों के जीवन और आजीविका पर सहकारी आंदोलन के निहित जबरदस्त सशक्त प्रभाव को देखते हुए, भारत के प्रधानमंत्री ने सहकार से समृद्धि - एक भागीदारी विकास दृष्टिकोण की शुरुआत करने का मंत्र दिया और भारत में एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया। भारत और विश्व की अर्थव्यवस्था के बदलते रूपों को देखते हुए सहकारिता मंत्रालय की ओर से भारत के पहले सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारी समितियों के विकास के लिए एक विशिष्ट, प्रभावी और जीवंत प्रशासनिक, कानूनी और नियामक ढांचे की पेशकश करने और सहकारी समितियों के बीच एक नवीन और रणनीतिक उद्यमशील संस्कृति को बढ़ावा देने की उम्मीद की जाती है।

सहकारी उद्यमिता का लक्ष्य सहकारी समितियों के संचालन में रणनीतिक प्रबंधन, रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देना है। सहकारी समिति के पास एकता के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गतिशील शासी संरचना, योग्य, सक्षम और प्रतिबद्ध मानव संसाधन और अत्याधुनिक प्रबंधन प्रणाली होनी चाहिए।

सहकारी उद्यमों और सहकारी आंदोलन की सफलता और निर्वाह का सीधा संबंध सहकारी उद्यमिता से है। सहकारी उद्यमिता, जैसा कि सहकारी क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, वह प्रक्रिया है जहां सदस्यों के सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक जरूरतें और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए व्यक्तियों के एक समूह द्वारा अपने वित्तीय और गैर-वित्तीय संसाधनों को इकट्ठा करके एक नया सहकारी शुरू करना या एक मौजूदा सहकारी को फिर से तैयार किया करना है।

सहकारी उद्यमिता का लक्ष्य सहकारी समितियों के संचालन में रणनीतिक प्रबंधन, रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देना है। सहकारी समिति के पास एकता के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गतिशील शासी संरचना, योग्य, सक्षम और प्रतिबद्ध मानव संसाधन और अत्याधुनिक प्रबंधन प्रणाली होनी चाहिए।

पूरे देश में कई सहकारी व्यापार मॉडल हैं जो सदस्यों और गैर-सदस्यों दोनों की जरूरतों को पूरा करते हैं। उनमें से सोलह को वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2022 (आईसीए, 2022) की 'टर्नओवर ओवर जीडीपी पर कैपिटा' श्रेणी में चित्रित किया गया है। इसमें इफको (इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली [रैंक प्रथम]; गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क एंड मार्केटिंग फेडरेशन (जीसीएमएमएफ), आणंद, गुजरात [रैंक दूसरा]; कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (कृभको), नई दिल्ली [रैंक तीसरा]; सात राज्य सहकारी बैंक, अर्थात् केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और

उत्तर प्रदेश; चार शहरी सहकारी बैंक: सारस्वत सहकारी बैंक, मुंबई; टीजेएसबी सहकारी बैंक, ठाणे; कॉसमॉस सहकारी बैंक, पुणे; और एसवीसी सहकारी बैंक, महाराष्ट्र; और दो प्राथमिक समितियां, अर्थात् बुलढाणा अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी, महाराष्ट्र, और यूरालुंगल लेबर कॉन्ट्रैक्ट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (यूएलसीसीएस), केरल शामिल हैं।

अर्थव्यवस्था के उभरते क्षेत्रों जैसे विनिर्माण, सेवाओं, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, परिवहन, हथकरघा, हस्तकला, स्वास्थ्य, छात्र/परिसर उपभोक्ता सहकारी समितियों आदि में सहकारी समितियों के गठन और पोषण के लिए एक विशाल अप्रयुक्त क्षमता मौजूद है। इसके अतिरिक्त, समाज कल्याण क्षेत्र में अपार क्षमता है, जो आमतौर पर अन्य प्रकार के निजी उद्यम के आर्थिक रूप से आगे बढ़ने में संभव नहीं है। सहकारी समितियों का अद्वितीय बिक्री प्रस्ताव (यूएसपी) 'लाभ पर लोगों की प्रधानता', अपने सदस्यों को स्वैच्छिक रूप से काम पर लगाने के माध्यम से खर्च बचाना संभव है।

सहकारी उद्यमिता

सहकारी उद्यमिता सामूहिक या संयुक्त उद्यमिता का एक रूप है। 'सहकारी उद्यमी' एक सामाजिक नेता के अलावा और कुछ नहीं है, जो विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत लाभ के बजाय, लोकतांत्रिक तरीके से व्यावसायिक मामलों के प्रबंधन के लिए मज़बूत रणनीति तैयार करने की दृष्टि रखता है। सहकारी नेता मज़बूत दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता के साथ काम करते हैं, नवाचार की क्षमता रखते हैं और रूढ़िगत सोच से भिन्न होकर जोखिम लेने की इच्छा रखते हैं। सहकारी उद्यमिता तभी संभव हो सकती है, जब समान विचारधारा और सही सोच वाले व्यक्तियों का एक समूह एक साथ, एकजुट होकर अपने संसाधनों को इकट्ठा करके व्यापार उद्यम को सफल और जीवंत बनाने के लिए मिलकर काम करने का निर्णय लेता है।

सहकारी के सदस्य - चाहे उपभोक्ता हों, श्रमिक हों या उत्पादक - व्यवसाय के मालिक होने के साथ-साथ वस्तुओं और सेवाओं के उपयोगकर्ता भी होते हैं। सहकारी समिति एक सदस्य, एक वोट के आधार पर शासित की जाती है। सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक शासन सहकारी मॉडल की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। अधिकतर, सहकारी समितियों में जोखिम की प्रकृति और अधिशेष का वितरण सदस्यों और शेयरधारकों के बीच समान रूप से साझा किया जाता है। सहकारी उद्यम की स्थायी प्रतिस्पर्धा के लिए, फिर चाहे वह सहकारी समिति, निजी कंपनी, स्टार्ट-अप या यहां तक कि मालिकाना उद्यम शुरू करने के लिए व्यावहारिक व्यवसाय योजना की पूर्व-आवश्यकता होगी। संपूर्ण उद्यमशीलता प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित कदम आवश्यक हैं।

अवसर की पहचान

संपूर्ण उद्यमशीलता प्रक्रिया के लिए एक व्यावहारिक व्यवसाय योजना आवश्यक है। सहकारी समितियों के निर्माण के अवसरों को खोजने के लिए सामुदायिक समस्याओं को हल करना और क्षेत्रीय रुझानों का अवलोकन करना दो प्रभावी तरीके हैं। जब बाजार की विफलता की प्रतिक्रिया में सहकारी समितियों की स्थापना की जाती है, तब इसे 'समस्याओं को हल करना' कहा जाता है। क्षेत्रीय रुझानों के अनुसार उद्यमी सहकारी रूप से अविकसित क्षेत्रों में एक सफल दृष्टिकोण का पुनरुत्पादन कर सकते हैं।

संगठनात्मक डिजाइन

प्रारंभिक प्रवर्तकों और नेताओं द्वारा व्यावसायिक विचार में व्यावसायिक क्षमता होने की बात समझने पर, अगला कदम निम्नलिखित पहलुओं के साथ संगठनात्मक डिजाइन को परिभाषित करना है:

- उद्देश्य: उद्यम के सामने उद्देश्य के केंद्र समझे जाने वाले (सदस्यों और ग्राहकों के लिए) आवश्यकताओं को बताते हुए स्पष्ट रूप से लक्ष्य और उद्देश्य को रेखांकित करें।

<table>
<tr><th colspan="4">तालिका 1: सहकारी विकास के लिए मंत्रालय-वार और क्षेत्र-वार योजनाएं</th></tr>
<tr><th>क्र.</th><th>क्षेत्र</th><th>मंत्रालय/विभाग</th><th>लागू योजनाएं</th></tr>
<tr><td>1</td><td>डेयरी</td><td rowspan="2">मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी</td><td>• पशुपालन अवसंरचना विकास निधि
• डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों के समर्थन में राष्ट्रीय पशुधन मिशन</td></tr>
<tr><td>2</td><td>मछली पालन</td><td>• मात्स्यिकी और एक्वाकल्चर अवसंरचना विकास निधि
• प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना</td></tr>
<tr><td>3</td><td rowspan="3">हथकरघा और हस्तशिल्प</td><td>कपड़ा</td><td>• राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम
• हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना
• अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना
• हथकरघा समूह विकास कार्यक्रम - हथकरघा मेगा समूह
• रेशम उद्योग के विकास के लिए एकीकृत योजना
• मेगा-इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल क्षेत्र और अपैरल पार्क
• एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम; पावर लूम क्लस्टर विकास योजना
• उत्तर-पूर्व वस्त्र संवर्धन योजना; राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम
• हस्तशिल्प क्लस्टर विकास कार्यक्रम - हस्तशिल्प मेगा क्लस्टर</td></tr>
<tr><td>4</td><td>एमएसएमई</td><td>• पारंपरिक उद्योगों के पुनर्जनन के लिए कोष की योजना
• सौर चरखा मिशन; खादी ग्रामोद्योग विकास योजना</td></tr>
<tr><td>5</td><td>अल्पसंख्यक मामले</td><td>• विकास के लिए पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण</td></tr>
<tr><td>6</td><td rowspan="2">स्वास्थ्य</td><td>आयुष</td><td>• आयुर्ज्ञान के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना
• औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना
• राष्ट्रीय आयुष मिशन</td></tr>
<tr><td>7</td><td>स्वास्थ्य और परिवार कल्याण</td><td>• प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन
• राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना</td></tr>
<tr><td>8</td><td rowspan="3">पर्यटन और परिवहन</td><td>नागरिक उड्डयन</td><td>• कृषि उड़ान योजना</td></tr>
<tr><td>9</td><td>पर्यटन</td><td>• तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत वृद्धि अभियान</td></tr>
<tr><td>10</td><td>भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम</td><td>• भारतीय योजना में (हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक) वाहन का तेज़ अंगीकरण और निर्माण</td></tr>
<tr><td>11</td><td rowspan="3">महिलाएं, एससी, एसटी, आदिवासी आदि।</td><td>जनजातीय मामले</td><td>• अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रम (प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना)</td></tr>
<tr><td>12</td><td>सामाजिक न्याय और अधिकारिता</td><td>• वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता योजना
• प्रधानमंत्री दक्ष और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना
• डीएनटी/एनटी/एसएनटी के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए योजना
• आजीविका और उद्यम के लिए उपेक्षित व्यक्तियों को सहायता</td></tr>
<tr><td>13</td><td>अल्पसंख्यक मामले</td><td>• अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए नई रोशनी योजना</td></tr>
<tr><td>14</td><td rowspan="2">पर्यावरण और जैव विविधता</td><td>पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन</td><td>• हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन
• राष्ट्रीय तटीय मिशन</td></tr>
<tr><td>15</td><td>नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा</td><td>• जैव ऊर्जा कार्यक्रम- बायो पावर (ऑफ-ग्रिड)
• जैव ऊर्जा कार्यक्रम- बायोगैस कार्यक्रम (ऑफ-ग्रिड)
• पवन और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा के लिए कार्यक्रम
• सौर ऊर्जा: सोलर पावर (ग्रिड) और सोलर पावर (ऑफ-ग्रिड)</td></tr>
<tr><td>16</td><td rowspan="2">उत्पादक/वस्तु</td><td>खाद्य प्रसंस्करण उद्योग</td><td>• सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारिकता के लिए योजना
• पीएम किसान सम्पदा (कृषि-समुद्री प्रसंस्करण और कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर विकास के लिए योजना)</td></tr>
<tr><td>17</td><td>कृषि और किसान कल्याण</td><td>• राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन शहद मिशन
• बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन
• पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास पर मिशन</td></tr>
<tr><td colspan="4">(स्रोत: लेखक का संकलन www.indiabudget.gov.in से साभार)</td></tr>
</table>

- साझा उद्देश्य: संस्थापक सदस्यों और प्रवर्तकों को सहकारिता के लिए निर्धारित उद्देश्यों पर सहमत होना चाहिए।
- स्वामित्व संरचना: सहकारी के सदस्यता प्रकार (उदाहरण के लिए, श्रमिक, ग्राहक और समुदाय), सदस्यों की पहचान या वर्गीकरण के तरीके (उदाहरण के लिए, शेयरों की खरीद के माध्यम से), और परिसंपत्ति के स्वामित्व प्रकार (सामान्य रूप से या संयुक्त रूप से) पर स्पष्टता आनी चाहिए।
- लोकतांत्रिक शासन: शासन की प्रणालियों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया जाना चाहिए - उदाहरण के लिए, सहकारिता के शासन में सदस्यों की भागीदारी (बैठकों और वार्षिक आम सभा की बैठकों (एजीएम) में मतदान, निदेशक मंडल का चयन, बोर्ड के निर्णय लेने के तौर-तरीके साप्ताहिक या मासिक बैठकें आदि।
- अधिशेष का वितरण: संगठन को सहकारी समिति के अधिशेष में से सदस्यों की पात्रता, व्यावसायिक निर्णयों में भाग लेने के तरीके, क्षतिपूर्ति संरचना तैयार करना, भंडार बनाए रखना, अधिशेष धन को सहकारी समिति में निवेश करना आदि को परिभाषित करने की आवश्यकता है।
- सदस्यता: सदस्यों, सहकारी समितियों के साथ उनके संबंधों, सहकारी में शामिल होने की प्रक्रिया और सदस्यता प्राप्त करने के पीछे के अभियान पर स्पष्टता आवश्यक है। समुदाय, पर्यावरण, कर्मचारियों, उपभोक्ताओं और आपूर्तिकर्ताओं सहित सहकारी अपने विभिन्न हिस्सेदारों के साथ कैसे संपर्क करता है, इस पर विचार करना आवश्यक है।
- पूंजीगत आवश्यकताएं: वित्त पोषण के स्रोत जैसे सदस्यों से शेयरों या ऋणों के रूप में धन, विशेष सहकारी निधियों से ऋण, सहकारी विकास संगठनों से अनुदान, वाणिज्यिक उधारदाताओं से ऋण आदि को परिभाषित करने की आवश्यकता है।

व्यवहार्यता अध्ययन और व्यवसाय योजना

व्यवसाय रणनीति के निर्माण के साथ आगे बढ़ने से पहले, सहकारी प्रवर्तकों की टीम को व्यवहार्यता अध्ययन या विश्लेषण करना चाहिए। लक्षित बाजार अध्ययन किया जा सकता है, जिसमें बाजार का आकार, ग्राहक विभाजन, प्रतियोगिता विश्लेषण, संभावित उपभोक्ताओं के पसंद और प्राथमिकताएं और वर्तमान बाजार रुझान शामिल होंगे। व्यवसाय नियोजन अभ्यास को निम्नलिखित पर विचार करने की आवश्यकता है:

- दीर्घकालिक और अल्पकालिक उद्देश्यों की रणनीतिक समीक्षा
- विपणन की योजना
- संचालनात्मक योजना - जिस तरह से संसाधनों का सृजन और उपयोग किया जाएगा
- उत्पादों और सेवाओं का पोर्टफोलियो - जिस तरह से राजस्व उत्पन्न होगा, लागत का प्रबंधन और किए जाने वाले निवेश।
- पूंजी जुटाना

सहकारिता के लिए एक उपयुक्त कानूनी रूप चुनना उद्यमशीलता की प्रक्रिया का अगला चरण है। यदि बहु-राज्य या राज्य-स्तरीय सहकारी समिति है, तो प्रवर्तक सहकारी समितियों

के रजिस्ट्रार (केंद्रीय या राज्य) से संपर्क कर सकते हैं।

प्रबंध और अग्रणी

निदेशक मंडल या नेताओं की भूमिका उद्यमशीलता की प्रक्रिया में इस बिंदु पर महत्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सहकारी अपने मिशन और उद्देश्यों के प्रति वफादार रहे और सदस्यों और समुदायों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करें। सहकारी समिति के सफल होने की क्षमता उसके सदस्यों, प्रबंधन और नेतृत्व के साथ उसके संबंधों की प्रभावशीलता पर निर्भर करती है। प्रत्येक हितधारक को अपने कर्तव्यों के बारे में पता होना चाहिए, और सहकारी को सभी सदस्यों और प्रबंधन के साथ खुला संचार बनाए रखना चाहिए। निदेशक मंडल को सहकारी समितियों की वित्तीय स्थिति और निवेश की जांच करनी चाहिए और सहकारी समितियों पर सख्त वित्तीय नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। उन्हें वैधानिक रजिस्टरों और अभिलेखों की पुस्तकों के रखरखाव की गारंटी देनी चाहिए और व्यावसायिक संभावनाओं को खोजने के लिए अथक प्रयास करना चाहिए।

सहकारी पहचान में प्रतिष्ठित शिक्षा और प्रशिक्षण सहकारी आंदोलन के प्रमुख पहलू रहे हैं। सहकारिता के विकास के लिए सहकारी उद्यम के सदस्यों, प्रबंधकों और नेताओं का नियमित प्रशिक्षण जरूरी है।

केंद्र सरकार ने योजनाबद्ध हस्तक्षेपों के माध्यम से भारत में सहकारी उद्यमिता को मज़बूत करने के लिए सहायता सेवाओं का विस्तार किया है। ऐसे कई कार्यक्रम जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने के सहकारी उद्यमों का समर्थन करते हैं, तालिका 1 में सूचीबद्ध हैं।

निष्कर्ष

सहकारी उद्यमिता अप्रयुक्त संसाधनों को अप्रयुक्त बाजार संभावनाओं के साथ उद्यमों के एक नेटवर्क में नवाचार की एक सतत धारा का व्यावसायीकरण है। जब नेटवर्क में स्वतंत्र फर्म और समाज एक साथ काम करते हैं, तब मूल्य वितरण के बजाय चल रहे नवाचार के माध्यम से मूल्य निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। नेटवर्क उद्यमों के समुदाय के सदस्यों के बीच बहुत विश्वास है क्योंकि वे विचारों को एक सामान्य संसाधन के रूप में देखते हैं और क्षमताओं को अधिकतम करने के लिए मिलकर काम करते हैं।

सहकारी आंदोलन की सहायता करने में भारत सरकार का व्यापक लक्ष्य नौकरी के अवसर बढ़ाना, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और भूख और गरीबी के मामलों को कम करना है। इसलिए, सहकारी समितियों को उचित और न्यायसंगत सामाजिक-आर्थिक विकास के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए जैसा कि पहले केंद्रीय सहकारिता मंत्री - श्री अमित शाह ने बार-बार उद्धृत किया है।

मुद्दों और संभावित समाधानों पर चर्चा करने, विचारों का आदान-प्रदान करने, व्यापार गठजोड़ को बढ़ावा देने और सहकारी उद्यमिता में करियर बनाने के लिए युवा लोगों और महिलाओं को प्रेरित करने के लिए एक मंच प्रदान करना महत्वपूर्ण है। युवा लोगों और महिलाओं को मज़बूत व्यावसायिक रणनीतियों को विकसित करने और उनके उत्पादों और सेवाओं का विपणन करते समय सहकारी पहचान, मूल्यों और सिद्धांतों को सिखाया जाना चाहिए। ❑

संदर्भ

1. आईसीए (2022)। एक्सप्लोरिंग द कोऑपरेटिव इकोनॉमी रिपोर्ट 2022। वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर।

आत्मनिर्भर भारत
सहकारी समितियों के माध्यम से

सहकारी समितियां आर्थिक और व्यापारिक उद्यमों का सबसे शुद्ध और सहज स्वरूप हैं जो मां-प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों का मिलजुलकर उपभोग करने का प्रतिरूप हैं। सहकारी उद्यमों में लोग सम्मिलित प्रयास करके और संसाधनों को एक साथ जुटाकर आर्थिक लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं जबकि अकेले इस लक्ष्य को नहीं पाया जा सकता। कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले समर्थन और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के कारण तथा प्रशासनिक व्यय को मिलाकर सरकार पर बहुत भारी बोझ पड़ता है। भारत में सहकारी व्यवस्था के सशक्त आधार और कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिए जाने का ही यह नतीजा है कि सरकार ने खाद्य उत्पादन और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम का प्रबंधन कृषि सहकारी समितियों को सौंपने का सर्वथा उचित निर्णय लिया!

दीनानाथ ठाकुर

देश में सहकारिता विकास को समर्पित सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के पूर्व उपप्रबंध निदेशक। ईमेलः dnthakur@yahoo.com

'सहकार' भारत की विचारधारा रही है और सहकारी आंदोलन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है। इस समय देश में लगभग 29 करोड़ लोग सीधे देश के सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए हैं। सहकारी समितियां विशेषकर कृषि, दुग्धपालन (डेयरी) और मत्स्यपालन ग्रामीण जनसंख्या के लिए रोज़गार के अवसर जुटाने के साथ ही समुदाय-आधारित दृष्टिकोण के जरिये वित्तीय सुरक्षा व्यवस्था भी उपलब्ध कराती हैं।

प्रधानमंत्री का 'सहकार से समृद्धि' आह्वान का और 6 जुलाई, 2021 को सहकारी क्षेत्र के विकास की दृष्टि से अलग मंत्रालय गठित करने के फैसले का सभी सहकारी समितियों ने जोरदार स्वागत किया। इससे देश में सहकारी क्षेत्र के विकास और उसे प्रोत्साहन देने के प्रति तत्कालीन सरकार की निष्ठा का पता चला। साथ ही, यह भी पता चला कि सरकार सहकारी समितियों को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प मानती है जिनके माध्यम से देश में समावेशी अर्थव्यवस्था विकसित करके आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न साकार किया जा सकता है।

सहकारिता का सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण पर प्रभाव

सहकारी समितियां सामाजिक-आर्थिक नीति और कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के सबसे प्रभावी माध्यम हैं क्योंकि इनमें गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और रोजगार के अवसर जुटाने की विशेषताएं निहित हैं। ये सहकारी समितियां जन-केंद्रित नागरिक

संगठन होने के नाते वस्तुएं और सेवाएं बिना किसी झंझट या परेशानी के लोगों के घर तक पहुंचा सकती हैं।

सहकारी उद्यमों में लोग साझे प्रयास करके और संसाधनों को एकजुट करके उन आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें अकेले या अलग-अलग प्रयासों से नहीं पाया जा सकता। सहकारी उद्यम बाजार तक सुगम और सुनिश्चित पहुंच बनाकर स्वतंत्र बाजार व्यवस्था कायम करने में उल्लेखनीय भूमिका निभा सकते हैं। तभी तो ये उद्यम देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।

सहकारी समितियां, कृषि और खाद्य सुरक्षा

किसानों की समृद्धि और स्थायी खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य पाने के लिए भारत को नए तरीके अपनाने होंगे। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें क्रांतिकारी और आमूलचूल बदलाव लाने और अन्न के उत्पादन, आपूर्ति और खपत तक की पूरी खाद्य शृंखला में हर कदम पर नवाचार लागू करने की जरूरत होगी।

हमें ऐसी नई प्रणालियां विकसित करनी होंगी जिनसे उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, सुरक्षा और विस्तार भी किया जा सके। इसके लिए 'समावेशी' दृष्टिकोण में बदलाव की ऐसी प्रक्रिया आवश्यक है जो स्वदेशी और परम्परागत जानकारी पर आधारित हो और जिसमें सहकारी समितियों जैसे समुदाय-आधारित संस्थानों के महत्व और उपयोगिता को पूरी तरह स्वीकार करके समुचित मान्यता प्रदान की जाए। किसानों को उनकी अपनी सहकारी समितियों के माध्यम से सक्रिय करना होगा ताकि वे पूरी कुशलता और दक्षता से फसल चक्र में लचीलापन अपनाने, उत्पादकता बढ़ाने और आजीविका के साधन जुटाने के प्रयासों में लग जाएं तथा जमीन या मिट्टी की उर्वरता और जैव-विविधता को भी सुधारें। हमें इकोसिस्टम फिर से तैयार करते समय कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक समाधान अपनाने होंगे।

कृषि समर्थन और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों से सरकार को भारी वित्तीय बोझ और प्रशासनिक व्यय सहना पड़ता है। देश में सहकारिता का सशक्त आधार होने और कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान केंद्रित रहने के कारण ही सरकार ने खाद्य उत्पादन और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम का प्रबंधन कृषि सहकारी समितियों को सौंपने का निर्णय लिया है। सरकार को समझना होगा कि खाद्य सुरक्षा, रोजगार, गरीबी कम करने और वित्तीय समावेशन जैसे प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की समस्याओं को जानने और उन्हें हल करने में सहकारी समितियों की भूमिका सबसे अहम है। भारत की सबसे बड़ी ताकत है उसके लोग और खासकर देश के लाखों किसान परिवार। देश में किसानों की ताक़त और व्यावसायिक प्रबंधन में समन्वय स्थापित करके बड़े से बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है।

सहकार ग्राम-देश का भविष्य

इस दिशा में बढ़ने के उद्देश्य से सुझाव दिया जा सकता है कि सरकार द्वारा उपयुक्त नीतियां और प्रोत्साहन योजनाएं चलाकर किसानों को सहकारी समितियों से जुड़ने के लिए बढ़ावा दिया जाए और देश के हर गांव को 'आत्मनिर्भर सहकार ग्राम' बनने की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। 'सहकार ग्राम' की धारणा के अंतर्गत कृषि विकास और खाद्य प्रबंधन का असल जिम्मा गांवों और किसानों को ही सौंप दिया जाए। इस प्रकार किसानों को अपने प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों को पूल करके (एकत्र करके) सुनिश्चित करना होगा कि इनका उपयोग पूरी कुशलता के साथ लम्बे समय तक होता रहे और इनकी सुरक्षा और संरक्षण भी हो। जमीन, पानी और पशुओं के कुशल प्रबंधन से यह पक्का हो सकेगा कि किसी प्रकार की बर्बादी नहीं हो रही और कृषि आदानों को केवल तभी इस्तेमाल किया जाएगा जब कोई अन्य विकल्प नहीं होगा।

राष्ट्रीय सहकारी खाद्य ग्रिड स्थापित करने पर जोर

सरकार राष्ट्रीय सहकारी खाद्य ग्रिड (एनसीएफजी) स्थापित करने की संभावना पर विचार कर सकती है। भारत के हर गांव में एक कृषि सहकारी समिति बनाई जा सकती है जो वहां की सभी आर्थिक गतिविधियों का प्रबंधन सहकारिता के सिद्धांतों के आधार पर करेगी। इससे उत्पादन लागत कम होगी और उत्पादकता बढ़ेगी। ग्राम स्तर की हर सहकारी समिति में कृषि संबंधी यंत्र तथा पशुओं की देखभाल के लिए केंद्र होना चाहिए। ग्राम स्तर की ऐसी दो या तीन सहकारी समितियां मिलकर बहुउद्देश्यीय ग्राम सहकारी समिति (एमपीवीसीएस) गठित कर सकती हैं जिसमें जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के भंडारण, चयन, वर्गीकरण, पैकेजिंग और क्रय-विक्रय की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये एमपीवीसीएस अपने सदस्यों को ऋण सुविधा भी देंगी तथा हरित ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा उपलब्ध कराएंगी जिसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र भी हो। इन समितियों को ही सरकार का खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम संभालने का पूरा जिम्मा भी दिया जाएगा। समुदाय स्तर पर और 2 लाख बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियां स्थापित करने के सहकारिता मंत्रालय के हाल के फैसले से भारत में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में बड़ी मदद मिलेगी।

गांव में पैदा होने वाले अन्न का एक-एक दाना इन सहकारी समितियों के माध्यम से ही एनसीएफजी तक पहुंचना चाहिए। इससे अन्न का नुकसान और बर्बादी एकदम समाप्त हो जाएगी। ग्राम सहकारी समिति प्रत्येक सदस्य से उसकी उपज लेकर एमपीवीसीएस को पहुंचाएगी जो सरकार द्वारा निर्धारित दरों के हिसाब से उस उपज के मूल्य की राशि संबंधित सदस्य के खाते में तुरंत जमा कर देगी। जहां सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य उपलब्ध नहीं होंगे वहां सदस्यों को सबसे बढ़िया बाजार-भाव के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। यदि कोई किसान अपनी फसल तुरंत न बेचना चाहे तो वह सहकारी समिति को इस बारे में बता सकता है। किसान को अपनी 'पसंद', अपनी 'आवाज़' और अपनी 'कीमत' का विकल्प हर हाल में मिलना चाहिए। एमपीवीसीएस खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चलाने के लिए अन्न का भंडारण कर सकती है और इसके लिए उन्हें सरकारी एजेंसियों से उचित भुगतान मिलना चाहिए।

यदि समूचे देश में यह अवधारणा लागू हो जाए तो हमारे पास कुल करीब 7 लाख ग्रामीण कृषि सहकारी समितियां

और लगभग 3.5 लाख एमपीवीसीएस हो जाएंगी। ग्राम स्तर की सहकारी समितियों और एमपीवीसीएस के पूरे नेटवर्क को डिजिटली कनेक्ट करके राष्ट्रीय सहकारी खाद्य ग्रिड (एनसीएफजी) की स्थापना की जा सकती है। मेरा मानना है कि अन्न उत्पादन लागत कम करके और सरकार के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के खर्च को व्यवस्थित करके एनसीएफजी देश में हर वर्ष 3 ट्रिलियन डॉलर रुपये की बचत करा सकता है। यह राष्ट्रीय सहकारी खाद्य ग्रिड ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध कराके ग्रामीण विकास की नई लहर ला सकता है।

एनसीएफजी की मदद के लिए 'राष्ट्रीय ग्रामीण और कृषि समृद्धि कोष (एनआरएफपीएफ)' भी स्थापित किया जा सकता है जिससे सहकारी मूल्य-आधारित उद्यमों के माध्यम से 'आत्मनिर्भर भारत' आंदोलन को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। इस नवाचार-आधारित रचनात्मक पहल से एनआरएफपीएफ और एनसीएफजी के लिए मौजूदा बजट प्रावधानों में से ही आसानी से आवश्यक आर्थिक सहायता उपलब्ध हो जाएगी। यदि सरकार और निगमित क्षेत्र से मिलने वाली आर्थिक सहायता का कुशलता और सावधानी से इस्तेमाल किया जाए तो यह आर्थिक और सामाजिक कल्याण का ऐसा महत्वपूर्ण साधन बन सकता है जिससे देशवासियों के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी।

कृषि उत्पादन व्यवस्था के कारगर प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा और खाद्य सप्लाई चेन प्रबंधन, स्वच्छ और हरित माध्यमों से ऊर्जा सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों की रोकथाम तथा सामाजिक सद्भाव बनाए रखना देश के समक्ष प्रमुख भावी चुनौतियों में से हैं और इन क्षेत्रों में ही सहकारी समितियों के लिए अपार संभावनाएं भी निहित हैं। सहकारी समितियां इन अवसरों का लाभ उठाने में सबसे अधिक उपयोगी और सहायक संस्थाएं हैं और सही मायनों में सहकारिता के मूल्यों पर आधारित उद्यम की पहल कभी विफल नहीं हो सकती आर्थिक स्थिति और बाजार की व्यवस्था चाहे जैसी भी हो। देश में अभी यह देखा जाना है कि सदस्यों की कुशलता से संचालित सहकारी समिति क्या कमाल कर सकती है और फिर यह भी कि ऐसी सहकारी समितियों से ही हर प्रकार का शोषण पूरी तरह रोका जा सकता है, तभी तो हम सब प्रकार से संपन्न और समृद्ध बन सकेंगे। 'विकास और आत्मनिर्भर भारत' का मार्ग देश के लोगों, गांवों, नदियों, खेतिहर भूमि, प्राकृतिक संसाधनों और सहकारिता के सशक्त आधार से ही होकर जाता है। ❑

(लेख में व्यक्त किए गए विचार निजी हैं)

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
नवी मुंबई	701, सी-विंग, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एस्प्लेनेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुवनंतपुरम	प्रेस रोड, गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवाड़ीगुड़ा, सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बेंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2675823
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज	226024	0522-2325455

भारतीय सहकारी समितियों के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी

सहकारिताओं के पास प्रौद्योगिकी संचालित परियोजनाओं अर्थात् सौर और पवन अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की क्षमता है। भारत में 8.5 लाख सहकारी इकाइयां हैं, जिनमें से 20 प्रतिशत साख सहकारी समितियां हैं। एक आविष्कार नवप्रवर्तक को निरीक्षण करने, विचारों को उन्मुख करने और नए विचारों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इन विचारों को कार्य रूप देने की आवश्यकता है, ताकि एक नया उत्पाद, एक नई प्रक्रिया, और या एक नई सेवा प्रस्तुत की जा सके, जिससे व्यवसाय या यहां तक कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। वर्तमान में, सर्वोत्तम व्यावसायिक प्रक्रियाएं डिजिटल रूप से सक्षम हैं। डिजिटल रूप से सक्षम वेब 4.0 और उद्योग 4.0 मशीन लर्निंग (एमएल), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), वर्चुअल रियलिटी (वीआर), ऑगमेंटेड रियलिटी (एआर), और डिजिटल ट्विंस के माध्यम से लाभ प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए कुछ नवाचार हैं।

प्रो हरेकृष्ण मिश्र | प्रोफ़ेसर, ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आणंद (आईआरएमए), गुजरात। ईमेल: hkmishra@irma.ac.in

अकसर इस बात पर बहस होती है कि आज जब समाज में अन्य कारोबारी उद्यम मौजूद हैं तो क्या सहकारी समितियों को कारोबारी संगठन के रूप में बढ़ावा मिलना चाहिए। सहकारी समिति सामूहिक दृष्टि के माध्यम से स्थानीय व्यापार व्यवस्था, विपणन सम्बन्धी जोखिम और आजीविका की चुनौतियां पूरी करती है। माना यह जाता है इसमें व्यक्ति बाज़ार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए, अपने जैसी कार्य व्यवस्था वालों के साथ मिलकर अपने संसाधन एक जगह एकत्र कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबन्धन (आईसीए) सहकारिता को एक संगठन के रूप में परिभाषित करता है जिसका गठन, नियन्त्रण और प्रबंधन इसके सदस्य करते हैं। ये सदस्य स्वेच्छा से शामिल होते हैं। यह एक उद्यम भी है जो सामाजिक और सांस्कृतिक लोकाचार बनाए रखते हुए आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से सदस्यों की सामूहिक आकांक्षाएं पूरी करने का प्रयास करता है। मूल रूप से सामूहिकता और कारोबार के अन्य रूपों के बीच प्रमुख अंतर हैं:

- सहकारी समिति के स्वामी और वित्त पोषण करने वाले लोग ही इसका उपयोग करते हैं;
- जो लोग इसका उपयोग करते हैं वही इसे नियन्त्रित करते हैं; और
- सहकारी समिति के लाभ इसके सदस्यों के बीच उनके उपयोग और योगदान के आधार पर बांट दिया जाता है।

संगठनों के सहकारी रूप अनेक आर्थिक क्षेत्रों जैसे- खुदरा कारोबार, आवास, उपयोगिताओं जैसे क्षेत्रों में मिल सकते हैं; लेकिन कृषि क्षेत्र में यह प्रमुखता से देखे जा सकते हैं।

सहकारी समितियों का प्रसार और पहुंच

विश्व की 12 प्रतिशत से अधिक आबादी दुनिया के 30 लाख सहकारी संगठनों में से किसी एक का हिस्सा है। विश्व सहकारिता मॉनिटर (2022) के अनुसार, सबसे बड़ी 300 सहकारी समितियों और म्यूचुअल ने कुल 2,146 अरब अमरीकी डॉलर का कारोबार सूचित किया है। सहकारी समितियां दुनिया भर में 28 करोड़ लोगों को नौकरी या काम के अवसर देती हैं, जो दुनिया की नियोजित आबादी का 10 प्रतिशत है। आईसीए की रिपोर्ट के अनुसार 1 अरब से अधिक सहकारी सदस्य, विश्व की 30 लाख सहकारी समितियों में से किसी एक के सदस्य हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अनुसार वैश्विक कृषि उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक का विपणन, सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाता है।

विकासशील देशों में, सहकारी समितियों के माध्यम से ही सहयोग देखा जाता है जहां औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रियाएं घरेलू श्रमिकों, भवन निर्माण श्रमिकों और फेरी वाले व्यापारियों को एक साथ ला कर स्व-सहायता समूह बनाती हैं। सहकारी समितियों जैसे समूहों के पास, उत्पादक संसाधनों तक पहुंचने, प्रक्रियाओं का प्रबंधन और स्वामित्व लेने, उत्पाद बाज़ारों तक पहुंच बनाने और अपनी व्यवस्था बनाने के प्रावधान भी होते हैं। शहरी क्षेत्रों में भी सहकारिता देखी जाती है। सहकारी समितियां हालांकि स्थानीय हैं लेकिन मोंड्रैगन (स्पेन का श्रमिक सहकारिता संघ), भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लि. (इफ़्को), कृषक भारती सहकारी लिमिटेड (कृभको) और गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (अमूल) जैसी विश्व में अग्रणी बनने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित हैं जिनमें प्रौद्योगिकी, बाज़ार अभिमुखता और ब्रांडिंग जैसी सर्वोत्तम प्रथाएं शामिल की गयी हैं। सहकारी समितियों में वैश्विक मूल्य श्रृंखला विशेषकर कॉफी, कोको, कपास और मछली पकड़ में देखी जाती है। सहकारी समितियों के पास तकनीक-संचालित परियोजनाएं जैसे सौर और पवन नवींकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने की क्षमता है। भारत में साढ़े 8 लाख सहकारी इकाइयां हैं जिनमें से 20 प्रतिशत साख सहकारी समितियां हैं। शेष 80 प्रतिशत गैर-ऋण सहकारी समितियां हैं जिनमें विभिन्न गतिविधियां जैसे मछलीपालन, डेयरी, उत्पादक, प्रसंस्करण, उपभोक्ता, औद्योगिक, विपणन, पर्यटन, अस्पताल, आवास, परिवहन, श्रम, खेती, सेवा, पशुधन, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां आदि में शामिल हैं।

सहकारी समितियों में नवाचार, प्रौद्योगिकी और उद्यमिता

व्यवसायी उद्यम हमेशा बाज़ार से प्रभावित होता है चाहे उसके क़ानूनी सम्पर्क जो भी हों और सहकारी समितियां भी अपवाद नहीं हैं। नवाचार और उद्यमिता तथा सिद्ध व्यवसायी मॉडल और उचित तकनीकें अपनाना, व्यवसायी उद्यमों की

निरन्तर रणनीति रहती हैं। यह समझना आवश्यक है कि यह रणनीतियां सहकारी समितियों के लिये आदर्श हो सकती हैं। इनकी प्रासंगिकता समझने के लिये आइये हम देखें कि यह आयाम किस तरह योगदान कर सकते हैं। अकसर तर्क दिया जाता है कि नवाचार आविष्कार को सफल बनाता है। एक आविष्कार, नवप्रवर्तक को नए विचारों का पर्यवेक्षण करने, उन्मुख करने और विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इन विचारों को कार्रवाई में बदलने की आवश्यकता है ताकि एक व्यवसाय या यहां तक कि जीवन की गुणवत्ता सुधारने में एक नये उत्पाद, एक नई प्रक्रिया और / या एक नई सेवा पेश की जा सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नवाचार किसी उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा के लिए हो सकता है। इसके अलावा, नवाचार के सामाजिक आर्थिक और मूल्य संवर्धित आयाम हो सकते हैं।

नवाचार और उद्यमिता के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका को पूरे विश्व ने स्वीकारा है। आज सबसे बढ़िया व्यवसायी प्रक्रियाएं डिजिटल रूप से सक्षम हैं। डिजिटली सक्षम वेब 4.0 और उद्योग 4.0 कुछ ऐसे नवाचार हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल), वर्चुअल रियलिटी (वीआर) और ऑगमेंटेड रियलिटी (एआर) का लाभ लेने के लिये तैयार किये गये हैं। उद्योग 4.0 का बाज़ार तेजी से बढ़ रहा है और 2024 तक 156 अरब 60 करोड़ अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 2019 से 2024 तक के कम्पाउण्ड ऐनुअल ग्रोथ रेट-सीएजीआर के आधार पर 16.9 प्रतिशत है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकियां पारदर्शी लेनदेन को सहारा देने के लिए अभूतपूर्व रूप से बढ़ रही हैं, हालांकि यह समय से पहले है। एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) एक अन्य बाज़ार है जो आपूर्ति श्रृंखला या ऐसे नेटवर्क के लिए प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है।

उद्यमिता या तो नवाचार-संचालित या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) संचालित-दृष्टिकोण है। किसी भी मामले में, एक नीतिगत समर्थन आवश्यक है। नवोन्मेष-संचालित उद्यमिता (आईडीई) और एमएसएमई को बाजार में प्रवेश करने और बाहर निकलने के जोखिम को कम करने के लिए एक नीतिगत प्रोत्साहन की आवश्यकता है। प्रवेश बाधाओं में उत्पाद सेवा शुरू करने के लिए उद्यमी के सामने आने वाली शुरुआती नकदी की कमी शामिल है, आंतरिक संपत्ति का प्रबंधन तब तक करें जब तक कि प्रयास से राजस्व उत्पन्न न होने लगे। बाहर निकलने की बाधाएं संपत्ति के प्रकार और रूप और उनके द्वारा बनाए गए बाजार पर निर्भर करती हैं। भारत सरकार (जीओआई) की स्टार्ट-अप नीति का उद्देश्य एक सुनियोजित प्रवेश और निकास की रुकावट का पता लगाने की प्रणाली के माध्यम से आईडीई खंड का समर्थन करना है। एमएसएमई खंड के लिए, भारत सरकार के पास उड़ान और जीईएम पोर्टल-आधारित नीति-संचालित समर्थन है। इसके अलावा, भारत सरकार के पास कृषि-आधारित उद्यमियों (आईडीई और एमएसएमई) का समर्थन करने के लिए एक ई-नाम योजना है।

प्रौद्योगिकी-संचालित उद्यमशीलता को उद्यमिता और नवाचार आधारित उद्यमों को बढ़ावा देकर विभिन्न बाजार-व्यवहार्य तकनीकी नवाचारों को बढ़ाने और कार्यरूप में बदलने के लिए एक इकोसिस्टम की आवश्यकता है। इस तरह के प्रयासों को नेटवर्क के माध्यम से एक विशिष्ट क्षेत्र, उद्योग या क्लस्टर से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करके समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास लाने पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो आर्थिक लाभ और धन सृजन में परिवर्तित हो। इन उद्यमों को अच्छी सामाजिक और बाजार स्वीकृति उत्पन्न करने में सक्षम होना चाहिए। उद्यमी उद्यम बाद में बाजार के अवसरों का दोहन करके और एक उपयुक्त व्यवसाय मॉडल के साथ तालमेल बिठाकर पहचाने गए नवीन समाधानों को कार्यरूप में परिवर्तित करने में सक्षम होंगे। इन उद्यमों के मूल्यवर्धित उत्पादों और सेवाओं को उचित मूल्य पर अपने अंतिम ग्राहक तक पहुंचना चाहिए ताकि बाजार में अच्छी पहुंच हो।

सहकारिता, विशेष रूप से प्रमुख ब्रांड, आज के तेजी से बदलते कारोबारी माहौल में प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता का लाभ उठाने में अग्रणी रहे हैं। परंपरागत रूप से, सहकारी समितियां त्रि-स्तरीय संरचना (प्राथमिक, मध्यम और सर्वोच्च) में काम करती हैं, अपने सदस्यों की मांगों को पूरा करती हैं, और ऐसी सेवाएं प्रदान करती हैं। प्रकृति और डिजाइन के अनुसार सहकारी समितियों को आईडीई और एमएसएमई सेगमेंट की सभी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सहकारिता सामाजिक और आर्थिक नवाचारों के माध्यम से उभरती है। सहकारिता का प्रत्येक सदस्य उपलब्ध कौशल सेट के आधार पर उत्पादों या सेवाओं का

अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबन्धन (आईसीए) सहकारिता को एक संगठन के रूप में परिभाषित करता है जिसका गठन, नियन्त्रण और प्रबंधन इसके सदस्य करते हैं। ये सदस्य स्वेच्छा से शामिल होते हैं। यह एक उद्यम भी है जो सामाजिक और सांस्कृतिक लोकाचार बनाए रखते हुए आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से सदस्यों की सामूहिक आकांक्षाएं पूरी करने का प्रयास करता है।

निर्माण करता है। सदस्य अक्सर आजीविका की चुनौतियों से तनावग्रस्त रहता है और प्रवेश और निकास बाधाओं के तत्काल समाधान की तलाश में रहता है। एक सहकारी को इन व्यक्तिगत सदस्यों की देखभाल करने और ऐसी चुनौतियों का सामना करने में सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होती है। सदस्य की मांग को पूरा करने का प्रयास करते हुए, सहकारी समिति को अपने निपटान में उपलब्ध उत्पादों और सेवाओं के एकत्रीकरण के कारण इन्वेंट्री होल्डिंग की चुनौती का सामना करना पड़ता है। इस तरह की इन्वेंट्री होल्डिंग लागत चिंता का विषय है क्योंकि सदस्य ऐसी इन्वेंट्री वॉल्यूम की भविष्यवाणी करने या बाजार में लाने के लिए अच्छी तरह से कुशल नहीं है। कम से कम देरी के साथ इन उत्पादों और सेवाओं के बाजार अवशोषण को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इस चुनौती का समाधान करने, हितधारक सहकारी समितियों में परेशानी मुक्त सेवा प्रवाह सुनिश्चित करने और सहकारी समितियों के सदस्यों को बाजार के जोखिमों से मुक्त करने हेतु समान प्रकार की सहकारी समितियां एक संघ बनाने के लिए एक साथ आती नवाचार, प्रौद्योगिकी-प्रेरित प्रक्रियाओं और बाजार जोखिमों के प्रबंधन के चक्र में जाता है। यह सदस्य सहकारी समितियों के लाभ के लिए जटिल मूल्यवर्धन सुनिश्चित करने के लिए भारी निवेश करता है। बाजार, ब्रांड और आउटरीच को मज़बूत करने के लिए एक सहकारी महासंघ बनाकर यूनियनों के और क्लस्टरिंग की गुंजाइश है।

डेयरी क्षेत्र की एक ठेठ सहकारी समिति का मामला

भारत में डेयरी क्षेत्र में सहकारी समितियां त्रि-स्तरीय संरचना का पालन करती हैं। पहला स्तर डेयरी उत्पादक सदस्यों द्वारा गठित उत्पादक सहकारी है। निर्माता सदस्य समाज से इनपुट प्राप्त करते हैं। संघ के समर्थन से इन निर्माता सदस्यों के माध्यम से समिति, इनपुट बाजारों और सदस्यों की जरूरतों का बहुत सावधानी से अध्ययन करता है और निरंतर दूध उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि उत्पन्न करता है। ये उत्पादक परिवार के सदस्यों की मदद से खुद को इस प्रक्रिया में शामिल करते हैं, जिसमें मवेशी उत्पादन इकाइयां होते हैं। समूह का आकार उत्पादक परिवार के लिए भी व्यवसाय को और अधिक जटिल बना देता है। इस प्रकार, व्यावसायिक जटिलताओं पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, और व्यावसायिक इकाइयों को किसी भी सामान्य रणनीतिक व्यापार इकाई (एसबीयू) के बराबर माना जाता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) की भूमिका इन इनपुट सेवाओं के लिए बाजार और बाजार कीमतों का पता लगाने में काफी मददगार है। वर्तमान में, सदस्य सक्रिय रूप से सदस्यों की जरूरतों को खोजने के लिए एमएल, एआई और बिजनेस एनालिटिक्स का उपयोग कर रहे हैं। उत्पादकों को मवेशी, चारा, पशु चारा, पशु स्वास्थ्य देखभाल, बीमा और पशुपालन सेवाएं जैसी इनपुट सेवाएं प्राप्त होती हैं। इस स्तर में, उत्पादक सहकारी समिति के लिए एक ग्राहक के रूप में कार्य करता है, और सहकारी समिति बाजार के दबाव से सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे उत्पादक के स्थान पर दूध उत्पादन की लागत को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। आज, पशु चारा संयंत्र, चारा प्रबंधन सेवाएं, बैल पालन केंद्र, कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं कुछ ऐसी पहलें हैं जो श्रृंखला में जबरदस्त मूल्यसंवर्धन कर रही हैं। यह किसी भी डेयरी मूल्य श्रृंखला के लिए आधार है। सदस्यों द्वारा पोस्ट-प्रोडक्शन, सहकारी उत्पादकों के लिए दूध पूलिंग बिंदु की देखभाल करता है। आज, पारदर्शी लेन-देन सुनिश्चित करते हुए किसान के दरवाजे पर यह सुविधा प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवाओं की योजना बनाई गई है।

स्वचालित दूध संग्रह इकाइयां (एएमसीयू) अब परिपक्व प्रौद्योगिकियों पर आधारित हैं जिनमें लेनदेन में पारदर्शिता का समर्थन करने और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने की क्षमता है। रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) आधारित दुग्ध मशीनों का उपयोग आज श्रमसाध्यता को कम करने और उत्पादक के परिसर में दूध की मात्रा और गुणवत्ता के बारे में समय पर जानकारी सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। सहकारी समितियां आईओटी- आधारित बल्क मिल्क चिलिंग यूनिट्स (बीएमसीयू) और कुछ चिलिंग सेंटरों से सुसज्जित हैं, ताकि गुणवत्ता संबंधी चिंताओं से समझौता किए बिना एकत्र किए गए दूध को स्टोर और फॉरवर्ड किया जा सके।

दूसरी परत सहकारी संघ है। आपूर्ति श्रृंखला और रसद मॉडल जो अब आईसीटी-सक्षम हैं, की स्थापना करके सहकारी समितियों द्वारा संग्रहीत दूध को संघ अपने हाथ में लेता है। इन आईसीटी-आधारित मॉडलों का लक्ष्य रूट प्लानिंग के माध्यम से परिवहन की लागत का अनुकूलन करना है। टैंकरों के आकार और आवाजाही की योजना बनाने के लिए संघ बीएमसीयू में संग्रहीत दूध की मात्रा को पहले से जानता है। विशेष रूप से विभिन्न आईसीटी-सक्षम सेवाएं भी उपलब्ध हैं, जिनमें एएमसीयू, बीएमसीयू, चिलिंग सेंटर, टैंकर, दूध संग्रह का समर्थन और उत्पादकों के लिए बिलिंग, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) और सामान्य पैकेट रेडियो सेवाएं (जीपीआरएस)-सक्षम सेवाएं शामिल हैं। संघ के स्तर पर, प्रसंस्करण इकाइयां गुणवत्ता आश्वासन मानकों को बनाए रखते हुए और लागत अनुकूलन रणनीतियों को लागू करते हुए मूल्यवर्धित उत्पाद बनाने के लिए रोबोट सहित उन्नत तकनीकों को व्यापक रूप से अपना रही हैं। संघ विभिन्न रूपों में मज़बूती से उभरे हैं, जैसे सहकारी संरचनाओं के तहत दुग्ध उत्पादक संघ और उत्पादक कंपनी अधिनियमों के तहत उत्पादक कंपनियां। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बैक-एंड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के समर्थन से, यूनियन डेयरी क्षेत्र में प्रक्रिया दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि करते हैं। आपूर्ति श्रृंखला गतिविधियों, सूची योजना और पूर्वानुमान के सेंसर-आधारित ट्रैकिंग के कारण आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में भी सुधार हुआ है। अंततः लागत अनुकूलन और संसाधन नियोजन के लाभ छोटे उत्पादक सदस्य के पक्ष में हैं।

प्रौद्योगिकी-संचालित उद्यमशीलता को उद्यमिता और नवाचार आधारित उद्यमों को बढ़ावा देकर विभिन्न बाजार-व्यवहार्य तकनीकी नवाचारों को बढ़ाने और कार्यरूप में बदलने के लिए एक इकोसिस्टम की आवश्यकता है।

भारत में डेयरी सहकारी क्षेत्र की तीसरी परत संघ है। डेयरी सहकारी संघों को निरंतर प्रक्रियाओं और बाजार नवाचार के माध्यम से भविष्य के लिए तैयार करने के लिए महासंघ एक बड़े छत्र के रूप में उभरता है। महासंघ का उद्देश्य बाजार के व्यवहार को समझने, पैमाने और दायरे की अर्थव्यवस्थाओं का प्रबंधन करने और बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के तरीके और साधन खोजना है। इस दृष्टिकोण में फेडरेशन के लिए बिजनेस इंटेलिजेंस (बीआई) का अधिग्रहण शामिल है।

निष्कर्ष और आगे का रास्ता

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) जो उद्यमशीलता से प्रेरित हैं, आर्थिक विकास और मानव विकास के प्रमुख चालक हैं। भारत को 'आत्मनिर्भर भारत' पर आधारित एक सतत विकास मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, इसमें आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश और पर्यावरणीय स्थिरता शामिल होनी चाहिए। ऐसा करते समय, पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को बढ़ावा देने, स्वदेशी तकनीकों को विकसित करने और जमीनी स्तर पर नवाचार को प्रोत्साहित करने पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है। विघटनकारी और प्रभावशाली तकनीकों के उभरने से नई चुनौतियां सामने आती हैं और साथ ही, अधिक से अधिक अवसर भी मिलते हैं। सहकारी समितियों में इन आयामों का समर्थन करने की क्षमता है।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष की नई नीति का उद्देश्य व्यक्तियों और संगठनों दोनों की ओर से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने वाले एक पोषित इकोसिस्टम का निर्माण करके अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक मिशन मोड परियोजनाओं के माध्यम से गहरा बदलाव लाना है। इसका उद्देश्य भारत में साक्ष्य- और हितधारक संचालित एसटीआई योजना, सूचना, मूल्यांकन और नीति अनुसंधान के लिए एक मज़बूत प्रणाली को बढ़ावा देना, विकसित करना और पोषण करना है। नीति देश के सामाजिक-आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करने और भारतीय एसटीआई इकोसिस्टम को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए भारतीय एसटीआई इकोसिस्टम की ताकत और कमजोरियों की पहचान करेगी और उनका समाधान करेगी। डिजिटल इंडिया पॉलिसी ने कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) के माध्यम से डिजिटल सेवाओं को प्रसारित करने का समर्थन किया है। सीएससी सेवाओं को पीएसीएस के साथ जोड़ने में सहकारिता मंत्रालय का हस्तक्षेप एक बड़ा कदम है। सहकारी समितियों के लाभ के लिए एमएल, एआई, बीआई और डिजिटल जुड़वां सेवाओं के प्रभावी उपयोग के लिए राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस एक उभरता हुआ मंच है। डैशबोर्ड के उभरने से नीतिगत निर्णयों का समर्थन करने की भी क्षमता होगी। जीईएम पोर्टल, ई-नाम, और संबंधित सेवाओं, जिसमें प्रशिक्षण और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए धन शामिल है, में राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस के साथ सम्मिश्रण करने की क्षमता है। सहकारी समितियों को एग्रीगेटर के रूप में आगे आना चाहिए और आधुनिक प्रौद्योगिकी नवाचार क्रांति का हिस्सा बनकर अपनी उत्पादकता में सुधार के लिए सहायक नीतियों का लाभ उठाना चाहिए। अब समय आ गया है कि सहकारी समितियों को रणनीतिक व्यावसायिक इकाइयों के रूप में माना जाए जो किसी राष्ट्र के विकास और सतत विकास के लिए मूलभूत हैं। ❑

(लेख में व्यक्त किए गए विचार निजी हैं)

आर्थिक विकास के लिए मत्स्य सहकारी क्षेत्र का उत्थान

शीत जल और सजावटी मत्स्यपालन के अलावा समुद्री, अंतर्देशीय और खारे पानी जैसे उप-क्षेत्रों के साथ मत्स्यपालन क्षेत्र काफी विविधतापूर्ण है। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के साथ, देश में मत्स्य सहकारी आंदोलन की गति 2021 में बढ़ी और तब से, उन्हें प्राथमिकता देते हुए वास्तविक तौर पर ध्यान दिया गया है। बदले हुए आर्थिक परिदृश्य में हर स्तर पर मत्स्य सहकारी समितियों की भूमिका पर विचार किया जाना चाहिए, और उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और स्थिरता के लिए एक प्रगतिशील आपूर्ति और मूल्य शृंखला के लिए धन का समर्थन किया जाना चाहिए। भारत सरकार पर्याप्त नीति और वित्तीय सहायता के माध्यम से मत्स्य सहकारी क्षेत्र के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है।

बी के मिश्र

राष्ट्रीय मत्स्य सहकारी संघ, दिल्ली के पूर्व एमडी और भारत में मत्स्य सहकारी समितियों के संचालन और शासन क्षेत्र के विशेषज्ञ। ईमेल: bimalk1234@hotmail.com

भारत में मत्स्यपालन एक उभरता हुआ क्षेत्र है। भारत में इस क्षेत्र को लेकर आर्थिक विकास की अपार संभावनाएं हैं, जिसकी 8,000 कि.मी. से अधिक लंबा समुद्रतट है, 2 मिलियन वर्ग कि.मी. से अधिक का एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है, और देश की लंबाई और चौड़ाई में फैले विशाल जलाशय हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जो वैश्विक मछली उत्पादन में 7.93 प्रतिशत का योगदान देता है, और विश्व स्तर पर एक्वाकल्चर मछली उत्पादक देशों में दूसरा सबसे बड़ा देश है। मत्स्यपालन का क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग एक प्रतिशत योगदान करता है। यह तेज गति से आगे बढ़ रहा है, न केवल राष्ट्रीय आय में बल्कि भारत के निर्यात, खाद्य और पोषण सुरक्षा के साथ-साथ रोजगार सृजन में भी योगदान कर रहा है। यह 2.8 करोड़ से अधिक मछुआरों और मत्स्यपालन करने वाले लोगों को आजीविका प्रदान करता है। भारत खारे और ठंडे पानी सहित समुद्री और अंतरदेशीय दोनों क्षेत्रों में जल संसाधनों की प्रचुरता से संपन्न है, और इसके पास कुशल लोगों की एक महत्वपूर्ण जनसंख्या भी मौजूद है। मत्स्य क्षेत्र से देश की वार्षिक निर्यात आय 50,000 करोड़ रुपये से अधिक है।

मत्स्यपालन का विकास: भारत सरकार का जोर

मत्स्य क्षेत्र के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा 20,050 करोड़ रुपये के कुल परियोजना परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) शुरू की गई थी। सरकार ने 2014 में नीली क्रांति की भी शुरुआत

की, जिससे न केवल मछली उत्पादन बल्कि मत्स्यपालन क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को भी बढ़ावा मिला। आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने के लिए इस क्षेत्र में उद्यमशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई लाभार्थी अभिमुख योजनाएं शुरू की गई हैं। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के साथ 2021 में देश में मत्स्यपालन सहकारी आंदोलन की गति तेज हुई। आर्थिक विकास के चालक बनने के लिए सहकारी समितियों और उनके सदस्यों को मज़बूत और सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा यह एक ऐतिहासिक निर्णय था।

भारत में मत्स्यपालन सहकारिता आंदोलन

भारत में मत्स्यपालन सहकारिता आंदोलन की शुरुआत 1913 में हुई थी, जब महाराष्ट्र में 'करला मच्छीमार सहकारी समिति' के नाम से पहली मछुआरा संस्था का गठन किया गया था। 110 वर्षों के दौरान, भारतीय मात्स्यिकी सहकारिता आंदोलन विभिन्न स्तरीय संरचनाओं के साथ सभी राज्यों में पहुंच गया है, लेकिन इसकी पूरी क्षमता का दोहन किया जाना अभी बाकी है।

24 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में प्रत्येक का राज्य-स्तरीय मत्स्य संघ है। केवल तीन राज्यों में 6 क्षेत्रीय संघ हैं। 126 जिलों में जिला स्तरीय मत्स्य संघ हैं। कुल मिलाकर, भारत में 27,391 प्राथमिक मत्स्यपालन समितियां हैं, जिनमें 39.57 लाख मछुआरे सदस्य हैं। प्रति सोसायटी सदस्यता औसतन 144 मछुआरे रहे हैं। पुदुच्चेरी, तमिलनाडु, कर्नाटक और बिहार में 500 से अधिक सदस्यों वाली प्राथमिक मत्स्य समितियां पाई गईं। असम, बिहार, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुदुच्चेरी] केवल 10 ऐसे राज्य/केंद्रशासित प्रदेश थे जहां प्रति समिति सदस्यता 144 प्रति समिति के राष्ट्रीय औसत से अधिक दर्ज की गई थी (तालिका-1)।

मत्स्यपालन सहकारी संघ की भूमिका

नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशर्स कोऑपरेटिव्स लिमिटेड (फिशकॉपफेड) भारत में मत्स्यपालन सहकारिता आंदोलन के विकास के लिए शीर्ष और राष्ट्रीय स्तर का सहकारी संगठन है।

सारणी-1: भारत में मत्स्यपालन सहकारी समितियों की मौजूदा संरचना							
क्र.	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	समितियों की संख्या (स्तर)			कुल में से प्राथमिक समिति का %	सदस्यों की संख्या	प्रति समिति किसानों की संख्या
		राज्य	जिला	प्राथमिक			
1	आंध्र प्रदेश	1	13	2,810	10.26	2,86,410	102
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	11	0.04	230	21
3	असम	1	2	520	1.90	90,000	173
4	बिहार	1	5	528	1.93	4,10,007	777
5	छत्तीसगढ़	1	5	1671	6.10	55,685	33
6	गोवा	-	-	26	0.09	1,503	58
7	गुजरात	1		701	2.56	94,893	135
8	हरियाणा	-	-	124	0.45	1,276	10
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	62	0.23	9,742	157
10	झारखंड	1		520	1.90	32,635	63
11	कर्नाटक	1	-	714	2.61	4,82,115	675
12	केरल	1	-	985	3.60	4,60,486	467
13	मध्य प्रदेश	1	-	2,734	9.98	96,817	35
14	महाराष्ट्र*	1	36	3,775	13.78	3,32,636	88
15	मणिपुर*	1	3	800	2.92	14,258	18
16	मेघालय	1	-	128	0.47	611	5
17	मिजोरम	1	1	47	0.17	1,656	35
18	नगालैंड	1	-	370	1.35	9,234	25
19	ओडिशा*	1	-	775	2.83	1,54,318	199
20	पंजाब	-	1	9	0.03	95	11
21	राजस्थान	1	1	137	0.50	4,130	30
22	सिक्किम	-	-	8	0.03	230	29
23	तमिलनाडु	1	12	1,475	5.38	7,61,521	516
24	तेलंगाना	1	-	5,200	18.98	3,64,357	70
25	त्रिपुरा	1	-	308	1.12	22,967	75
26	उत्तर प्रदेश	1	23	1,125	4.11	54,521	48
27	उत्तराखंड	1	1	167	0.61	634	4
28	पश्चिम बंगाल	1	20	1,433	5.23	1,31,578	92
29	अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह	-	1	129	0.47	4,149	32
30	दमन-दीव	-	-	19	0.07	3,176	167
31	लक्ष्यद्वीप	-	-	6	0.02	2,910	485
32	जम्मू-कश्मीर	-	1	6	0.02	162	27
33	पुदुच्चेरी	1	1	67	0.24	72,162	1077
34	लद्दाख	-	-	1	0.00	21	21
कुल		24	126	27,391	100	39,57,104	144

स्रोत: फिशकॉपफेड डाटा बैंक-संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से एकत्र किए गए डाटा

*नोट: *भारत में 9 क्षेत्रीय मत्स्यपालन संघ हैं। ओडिशा, महाराष्ट्र और मणिपुर में क्रमशः 6, 2 और 1 क्षेत्रीय मत्स्यपालन संघ हैं।*

1980 में पंजीकृत, महासंघ ने 1982 में अपना संचालन शुरू किया और अब पूरे देश में 104 सदस्य संस्थान हैं, जिनमें मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) शामिल हैं।

फिशकॉपफेड देश में मत्स्यपालन सहकारी समितियों के सशक्तीकरण के लिए समर्पित है। यह अंतरराष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन का सदस्य है और अंतरराष्ट्रीय सहकारी मत्स्यपालन संगठन (आईसीएफओ) और एशिया और प्रशांत (एनईडीएसी) में कृषि सहकारी समितियों के विकास के लिए नेटवर्क का भी सदस्य है। फिशकॉपफेड प्राथमिक मत्स्यपालन सहकारी समितियों की आसानी के लिए खुदरा और थोक व्यापारी के रूप में कई राज्यों में मछली विपणन के अलावा मत्स्यपालन क्षेत्र में विभिन्न प्रचार और कल्याणकारी गतिविधियों में लगा हुआ है। फलस्वरूप यह एक निर्बाध विपणन चैनल प्रदान करता है और विक्रेताओं को उनकी उपज के लिए बेहतर कीमत देता है।

मत्स्य सहकारी समितियों का राष्ट्रीय डाटाबेस

सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के साथ, मत्स्यपालन सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी गई है और वास्तविक तौर पर उनकी ओर ध्यान दिया गया है। देश के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में आने वाले पांच वर्षों में देश की प्रत्येक पंचायत को कवर करने वाली मत्स्यपालन सहकारी समितियों को 2 लाख संख्या तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) और फिशकॉपफेड को संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के अधिकारियों के साथ समन्वय में काम में तेजी लाने का काम सौंपा गया है। ठंडे पानी और सजावटी मत्स्यपालन के अलावा समुद्री, अंतरदेशीय और खारे पानी जैसे उप-क्षेत्रों के साथ मत्स्यपालन क्षेत्र काफी विविधतापूर्ण है। मछुआरे मछली प्रसंस्करण और विपणन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और मत्स्यपालन सहकारी समितियों में काफी सक्रिय हैं; इसके अलावा, विशेष मछुआरा सहकारी समितियां हैं। डाटाबेस हमें क्षेत्रवार अंतर की पहचान करने में मदद कर सकता है। इसके आधार पर अंतर को पाटने के प्रयास किए जाएंगे।

मात्स्यिकी क्षेत्र की प्राथमिक समितियों ने केरल और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इन समितियों को प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ (पैक्स) के अनुरूप एक वेतनभोगी सचिव और स्वचालन के साथ पेशेवर रूप से प्रबंधित करने की आवश्यकता है। मन मुताबिक सदस्यता के साथ मत्स्य सहकारी समितियों के कामकाज को मज़बूत करने के लिए जलाशयों और उत्पादन इकाइयों का मानचित्रण आवश्यक है। फिशकॉपफेड के तत्वावधान में ऊपरी स्तरों के साथ एकीकरण के माध्यम से, सभी मत्स्यपालन

मत्स्यपालन की सफलता की कहानियां

कुछ राज्य संघ मत्स्यपालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, जैसे कि केरल में मत्स्यफेड, गुजरात में गुजरात मत्स्यपालन केंद्रीय सहकारी संघ (जीएफसीसीए), और पश्चिम बंगाल में बेनफिश, इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य संघ, तमिलनाडु राज्य संघ, एमपी राज्य संघ और एपी स्टेट फेडरेशन। अन्य राज्य संघ भी अच्छी प्रगति कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश सहकारी समितियों ने उत्पादन, विपणन और सदस्यों को सेवाएं प्रदान करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। प्राथमिक मत्स्यपालन सहकारी समितियों का मार्गदर्शन करने के लिए जिला-स्तरीय संघों के कामकाज पर ध्यान केंद्रित करने और उनकी भूमिका को और अधिक सक्रिय रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है।

मत्स्यफेड - केरल

1984 में पंजीकृत एक प्रगतिशील राज्य स्तरीय संघ, संघ के पास सदस्यों के रूप में 668 प्राथमिक मत्स्यपालन सहकारी समितियां हैं। फेडरेशन का पिछले तीन वर्षों से लगातार 300 करोड़ रुपये से अधिक का कुल कारोबार है और घरेलू बिक्री और मछली के निर्यात में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसकी केरल राज्य में मछली की खुदरा दुकानों की एक शृंखला है और इसका अपना जाल बनाने और प्रसंस्करण संयंत्र है। संघ ने प्रशिक्षण और सामाजिक सुरक्षा उपायों के माध्यम से प्राथमिक मत्स्यपालन सहकारी समितियों को सशक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई है।

गुजरात फिशरीज सेंट्रल कोऑपरेटिव एसोसिएशन (जीएफसीसीए)

1956 में पंजीकृत, जीएफसीसीए सबसे पुराने राज्य संघों में से एक है, जिसमें 308 प्राथमिक मत्स्यपालन सहकारी समितियां सदस्य हैं। फेडरेशन का वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक 544.23 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इसके पास दिल्ली में सफल मछली खुदरा दुकानों के अलावा मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाओं को ईंधन प्रदान करने के लिए डीजल आउटलेट्स की एक शृंखला है। इसने राज्य में मत्स्यपालन सहकारी समितियों को मज़बूत किया है।

स्रोत: फिशकॉपफेड

सहकारी समितियों की नेटवर्किंग और पुनर्गठन आवश्यक है।

राष्ट्रीय महासंघ को मज़बूत करना

फिशकॉपफेड ने 1982-2020 की अवधि के दौरान दुर्घटना बीमा के माध्यम से गरीब मछुआरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है। वे उचित क्षमता निर्माण के अलावा जमीनी स्तर पर या पीएमएमएसवाई और सहकारिता के सिद्धांतों के बारे में ऑनलाइन जागरुकता निर्माण के माध्यम से मछुआरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में अग्रणी हैं। भारत सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा संघ की पहचान अंतिम कार्यान्वयन एजेंसी (ईआईए) के रूप में की गई है। मत्स्यपालन सहकारी क्षेत्र के सतत विकास के लिए संघ को विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रशिक्षण और सामाजिक-सुरक्षा कार्यक्रमों के तहत इक्विटी समर्थन और धन के साथ पर्याप्त रूप से मज़बूत किया जाना है। मत्स्यपालन सहकारी क्षेत्र में एफएफपीओ के आयोजन में महासंघ अग्रणी भूमिका निभा सकता है।

मत्स्य क्षेत्र के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा 20,050 करोड़ रुपये के कुल परियोजना परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) शुरू की गई थी। सरकार ने 2014 में नीली क्रांति की भी शुरुआत की, जिससे न केवल मछली उत्पादन बल्कि मत्स्यपालन क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को भी बढ़ावा मिला।

देश में मत्स्यपालन सहकारी प्रबंधन संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता है। भुवनेश्वर में कौशल्यागंगा देश में एक मान्यताप्राप्त मत्स्यपालन केंद्र है, जहां फिशकॉपफेड का एक प्रशिक्षण केंद्र है, जिसे मात्स्यिकी सहकारी क्षेत्र में कौशल विकास के लिए योजनाबद्ध लेकिन चरणबद्ध तरीके से क्षेत्रीय नेटवर्क के साथ राष्ट्रीय मात्स्यिकी सहकारी प्रबंधन संस्थान के रूप में उन्नत किया जा सकता है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान

प्रधानमंत्री द्वारा सही कहा गया है, "भारत जब आत्मनिर्भर बनने की बात करता है, तो यह एक आत्म-केंद्रित प्रणाली की वकालत नहीं करता है। भारत की आत्मनिर्भरता में; पूरे विश्व के सुख, सहयोग और शांति की चिंता है।" उन्होंने 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। आने वाले पांच वर्षों में मत्स्यपालन क्षेत्र में केंद्रित निवेश में अतिरिक्त 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभकारी रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता है।

निष्कर्ष

भारत में प्राथमिक मत्स्यपालन सहकारी समितियों के माध्यम से लगभग 4 मिलियन लोग आर्थिक रूप से लाभान्वित हैं। मत्स्यपालन सहकारी क्षेत्र हमारे समाज में कमजोर समूहों को आजीविका सुरक्षा, पोषण सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर सकता है। मत्स्यपालन सहकारी समितियों द्वारा डिजिटल तकनीक को अपनाने की तत्काल आवश्यकता है, ताकि वे अपनी सेवाएं दरवाजे पर उपलब्ध करा सकें और लोगों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। बदले हुए आर्थिक परिदृश्य में हर स्तर पर मत्स्यपालन सहकारी समितियों की भूमिका पर विचार किया जाना चाहिए, और उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और स्थिरता के लिए एक प्रगतिशील आपूर्ति और मूल्य श्रृंखला के लिए धन का समर्थन किया जाना चाहिए। भारत सरकार पर्याप्त नीति और वित्तीय सहायता के माध्यम से मत्स्यपालन सहकारी क्षेत्र के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है।

देश के गृह और सहकारिता मंत्री के सक्षम मार्गदर्शन में राष्ट्रीय स्तर पर दोनों मंत्रालयों, यानी सहकारिता मंत्रालय और मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के सहक्रियाशील दृष्टिकोण के साथ मत्स्यपालन सहकारी क्षेत्र गति प्राप्त करने के लिए तैयार है। धन के अलावा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), एनसीडीसी और एनएफडीबी द्वारा स्वतंत्रता के बाद से मौजूद अंतर को मज़बूत करने के लिए सहायता प्रदान की जानी है। पहले कदम के रूप में अगले 2 से 3 वर्षों के भीतर समूह दुर्घटना बीमा योजना (जीएआईएस) के तहत एक करोड़ से अधिक मछुआरों का बीमा करने की आवश्यकता है। सभी चार मिलियन मत्स्यपालन सहकारी सदस्यों को पीएमएमएसवाई योजना और सहकारी सिद्धांतों के बारे में ऑनलाइन जागरुकता प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। चूंकि मात्स्यिकी सहकारी क्षेत्र कमजोर वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, जो ज्यादातर गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं, उन्हें घरेलू विपणन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए स्थायी व्यवसाय योजना के लिए विपणन सहायता प्रदान की जाएगी, जो आणंद मिल्क यूनियन लिमिटेड (अमूल) के अनुरूप बढ़ सकती है। एक प्राथमिक मत्स्यपालन सहकारी समिति के कम्प्यूटरीकरण से सूक्ष्म स्तर पर भी क्षेत्र के विकास में तेजी आ सकती है। ❑

(लेख में व्यक्त किए गए विचार निजी हैं)

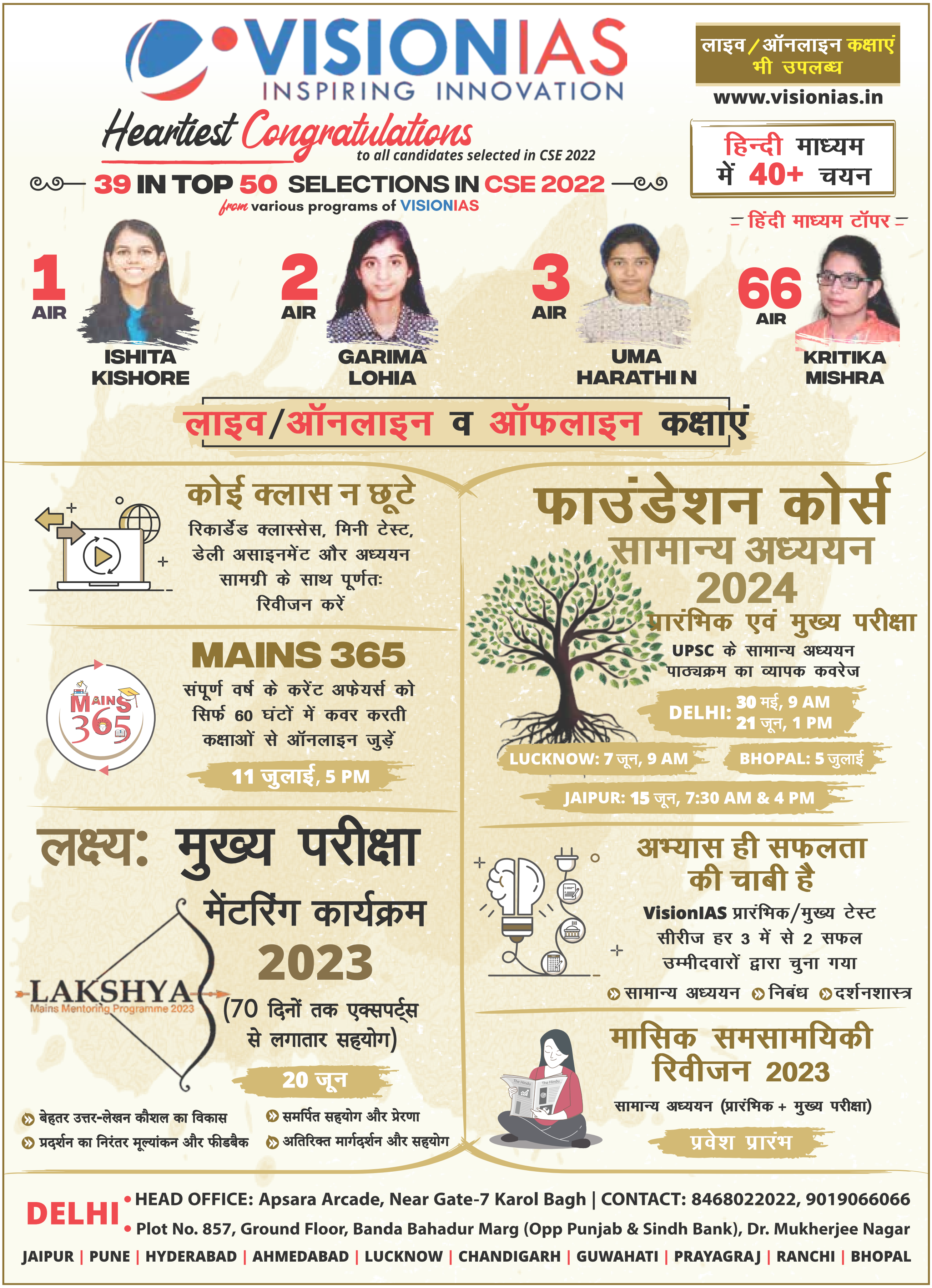
VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
लाइव/ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध
www.visionias.in
Heartiest Congratulations
to all candidates selected in CSE 2022
39 IN TOP 50 SELECTIONS IN CSE 2022
from various programs of VISIONIAS
हिन्दी माध्यम में 40+ चयन
हिंदी माध्यम टॉपर
1 AIR ISHITA KISHORE
2 AIR GARIMA LOHIA
3 AIR UMA HARATHI N
66 AIR KRITIKA MISHRA
लाइव/ऑनलाइन व ऑफलाइन कक्षाएं
कोई क्लास न छूटे
रिकार्डेड क्लास्सेस, मिनी टेस्ट, डेली असाइनमेंट और अध्ययन सामग्री के साथ पूर्णतः रिवीजन करें
MAINS 365
संपूर्ण वर्ष के करेंट अफेयर्स को सिर्फ 60 घंटों में कवर करती कक्षाओं से ऑनलाइन जुड़ें
11 जुलाई, 5 PM
लक्ष्य: मुख्य परीक्षा
मेंटरिंग कार्यक्रम 2023
LAKSHYA
Mains Mentoring Programme 2023
(70 दिनों तक एक्सपर्ट्स से लगातार सहयोग)
20 जून
बेहतर उत्तर-लेखन कौशल का विकास
समर्पित सहयोग और प्रेरणा
प्रदर्शन का निरंतर मूल्यांकन और फीडबैक
अतिरिक्त मार्गदर्शन और सहयोग
फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन 2024
प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा
UPSC के सामान्य अध्ययन पाठ्यक्रम का व्यापक कवरेज
DELHI: 30 मई, 9 AM
21 जून, 1 PM
LUCKNOW: 7 जून, 9 AM
BHOPAL: 5 जुलाई
JAIPUR: 15 जून, 7:30 AM & 4 PM
अभ्यास ही सफलता की चाबी है
VisionIAS प्रारंभिक/मुख्य टेस्ट सीरीज हर 3 में से 2 सफल उम्मीदवारों द्वारा चुना गया
सामान्य अध्ययन
निबंध
दर्शनशास्त्र
मासिक समसामयिकी रिवीजन 2023
सामान्य अध्ययन (प्रारंभिक + मुख्य परीक्षा)
प्रवेश प्रारंभ
DELHI
HEAD OFFICE: Apsara Arcade, Near Gate-7 Karol Bagh | CONTACT: 8468022022, 9019066066
Plot No. 857, Ground Floor, Banda Bahadur Marg (Opp Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar
JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI | PRAYAGRAJ | RANCHI | BHOPAL

YH-2391/2023

भारत बनेगा वैश्विक ड्रोन हब

'सहकार से समृद्धि' का सपना पूरा करने के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को प्राथमिकता देकर सुदृढ़ किया जाना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 2030 तक भारत को एक वैश्विक ड्रोन हब बनाने के दृष्टिकोण के साथ उदार ड्रोन नियम 2021 की घोषणा की है। भारत में ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र सरकार ने 120 करोड़ रुपये के ड्रोन और उसके पुर्जों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी देकर आयात पर प्रतिबंध लगा दिया जिससे घरेलू विनिर्माण क्षेत्र के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ है।

सचिन कुमार

सहकारिता मंत्रालय में अवर सचिव। ईमेलः sachin.sinha@nic.in

भारत सरकार देशभर में सहकारी आंदोलन मज़बूत करने पर अधिक ध्यान दे रही है। इसने सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने और प्रधानमंत्री के 'सहकार से समृद्धि' का सपना पूरा करने के लिए 6 जुलाई, 2021 को सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। यह भी महसूस किया गया कि इस सपने को साकार करने के लिये प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को प्राथमिकता देकर सुदृढ़ किया जाना चाहिए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण पैक्स, 3-स्तरीय अल्पकालिक सहकारी ऋण (एसटीसीसी) का सबसे निचला स्तर है जिनके लगभग 13 करोड़ किसान सदस्य हैं।

नए मंत्रालय के गठन के बाद सहकारी क्षेत्र का दायरा

प्रगतिशील खेती और ड्रोन तकनीक का एक मामला

महाराष्ट्र के सतारा ज़िले के वाई तालुका के ओज़ार्डे गांव में प्रगतिशील किसानों का वर्चस्व है। गांव में 2500 एकड़ ज़मीन है। ग्रामीण स्तर पर संचालित महात्मा गांधी ओज़ार्डे प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की ऋण आवश्यकताएं पूरी करने के लिये हैं। 1962 में पैक्स की शुरुआत, गांवों के किसान सदस्यों को फसल ऋण प्रदान करने के लिए हुई थी। सोसायटी ने ग्रीनहाउस, पॉलीहाउस, नर्सरी, विदेशी सब्ज़ियां, गन्ना, स्ट्रॉबैरी और हल्दी की खेती जैसी अभिनव कृषि प्रथाएं अपनाने में किसानों की मदद की है। इसे विविध व्यवसायों वाली बहुउद्देशीय सहकारी समिति के रूप में स्थापित किया गया है। क्षेत्रीय राज्य सरकार ने सोसायटी को 'ए' श्रेणी में रखा है। सोसायटी को 2003 में कम्प्यूटरीकृत किया गया। पैक्स ने किसान समुदाय के लिए ड्रोन तकनीक अपनाई। पैक्स ने हैदराबाद की कम्पनी फ्लाईमोर से तीन साल की वारंटी के साथ 2021 में तीन लाख पचास हजार रुपये की लागत से उपकरण ख़रीदे। कम्पनी का कोल्हापुर में एक सहायक कार्यालय भी है। ड्रोन में रिचार्जेबल लिथियम बैटरी के साथ 10 लीटर का एक टैंक है और यह साठ फीट की ऊंचाई तक खेत पर छिड़काव करने में सक्षम है। 1.5 एकड़ ज़मीन का छिड़काव करने में लगभग सात से 10 मिनट लगते हैं। ड्रोन में इस्तेमाल की जाने वाली बैटरियों के एक सेट की कीमत पचास हज़ार रुपये है। पैक्स के पास तीन रिज़र्व बैटरी सैट हैं। देखा गया है कि एक साल में ड्रोन के रखरखाव की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। ड्रोन ने उर्वरकों, कीटनाशकों और टॉनिक के साथ खेतों पर छिड़काव करके किसान समुदाय की मदद की है। ड्रोन के लिए तकनीकी व्यक्ति को प्रशिक्षित किया गया और फिर उसे ड्रोन चलाने के लिये रिमोट सौंपा गया। ड्रोन 800 रुपये प्रति एकड़ की दर से किराये पर दिये जाते हैं। किसानों से मिलने वाले इस किराये से पैक्स को आमदनी होती है। सोसायटी उन किसानों को भी ड्रोन देती है जो सोसायटी के सदस्य नहीं हैं और दो किसान सदस्यों को ड्रोन संचालित करने की सुविधा उपलब्ध कराती है। ड्रोन प्रौद्योगिकी के फ़ायदों ने पैक्स को अधिक उपयोगी और व्यावहारिक बनाने में मदद की है।

बढ़ा है। हाल में, सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के बीच 2 फ़रवरी, 2023 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए। इसका उद्देश्य पैक्स (पीएसीसी) को सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के रूप में कार्य करने में सक्षम करना है। पैक्स के बहुउद्देशीय होने से ग्रामीण आबादी, विशेष रूप से देश के दूरदराज़ स्थित छोटे गांवों के लिए 300 से अधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

पैक्स, सहकारी आंदोलन की प्राथमिक संस्थाएं हैं और 20 से अधिक सेवाओं से जुड़ने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अधिक अवसर पैदा होंगे। इसी क्रम में 'वन पैक्स वन ड्रोन' (ओपीओडी) की पहल के तहत प्रत्येक पैक्स को ड्रोन उपलब्ध करवा कर मज़बूती दी जा सकती है। यह पैक्स की आर्थिक स्थिति मज़बूत करेगा और इस क्षेत्र में नए उद्यमियों के प्रवेश को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, आगे बढ़ने और इस पहल को ठोस बनाने से पहले ड्रोन के उपयोग पर खुल कर पूरी चर्चा करना अनिवार्य है।

ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भारत में सटीक खेती को बढ़ावा देने का बड़ा क़दम उठाते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने ड्रोन प्रौद्योगिकी को कृषि क्षेत्र के हितधारकों के लिए किफ़ायती बनाने के दिशानिर्देश दिये हैं।

ड्रोन नीति

ड्रोन एक मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) है। यह एक ऐसा वाहन है जिसमें न कोई चालक होता है और न कोई सवारी। यह तो मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) का एक घटक है, जिसमें यूएवी को धरातल से किसी नियन्त्रक और संचार प्रणाली से जोड़ा जाता है। यूएवी की उड़ान को मानव ऑपरेटर, रिमोट कंट्रोल से दूरस्थ पायलट विमान (आरपीए) की तरह संचालित कर सकता है अथवा ऑटो पायलट जैसी कुछ हद तक स्वायत्तता या पूरी तरह से स्वायत्त विमान का प्रावधान किया जा सकता है जिसमें मानव हस्तक्षेप का कोई प्रावधान नहीं होता।

ड्रोन नियम 2021 की घोषणा 2030 तक भारत को विश्व में ड्रोन का गढ़ बनाने की दृष्टि के तहत की गई थी। भारत में ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 120 करोड़ रुपये के ड्रोन और पुर्ज़ों के वास्ते उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) मंज़ूर की और आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया जिससे घरेलू विनिर्माण क्षेत्र का मार्ग प्रशस्त हुआ। उम्मीद है कि ड्रोन का पुर्जा उद्योग, अगले कुछ वर्षों में 500 अरब डॉलर तक का निवेश आकर्षित करेगा।

ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भारत में सटीक खेती को बढ़ावा देने का बड़ा क़दम उठाते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने ड्रोन प्रौद्योगिकी को कृषि क्षेत्र के हितधारकों के लिए किफ़ायती बनाने के दिशानिर्देश दिये हैं। कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) के दिशानिर्देशों में संशोधन किया है जिसमें किसानों के खेतों पर यह तकनीक बड़े पैमाने पर दिखाने के लिये फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों, आईसीएआर संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा ड्रोन की ख़रीद के लिए अनुदान के रूप में ड्रोन की लागत का 100 प्रतिशत या 10 लाख रुपये, जो भी कम हो, देने की परिकल्पना की गई है। किसानों को यह तकनीक दिखाने के लिये किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) कृषि ड्रोन की लागत का 75 प्रतिशत तक अनुदान ले सकेंगे।

ड्रोन के उपयोग से कृषि सेवाएं प्रदान करने के लिए ड्रोन की मूल लागत का 40 प्रतिशत या 4 लाख रुपये, जो भी कम होगा, वो किसानों, एफ़पीओ और ग्रामीण उद्यमियों की सहकारी समिति द्वारा स्थापित मौजूदा कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) से वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाएगा। एसएमएएम, आरकेवीवाई या किसी अन्य योजना की वित्तीय सहायता के साथ किसानों, एफपीओ और ग्रामीण उद्यमियों की सहकारी समितियों द्वारा स्थापित किए जाने वाले सीएचसी या हाई-टेक हब भी सीएचसी/हाई-टेक हब की परियोजनाओं में ड्रोन को अन्य मशीनों के साथ शामिल कर सकते हैं।

कृषि और किसान कल्याण विभाग (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय) ने ड्रोन क्षेत्र के सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद, कीटनाशक और पोषक तत्वों के उपयोग में ड्रोन का इस्तेमाल करने की मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) प्रकाशित की हैं जिनमें संचालन सम्बन्धी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ड्रोन के प्रभावी और कुशल उपयोग के दिशानिर्देश और निर्देश दिये गये हैं।

कृषि क्षेत्र में ड्रोन क्यों?

भारतीय कृषि क्षेत्र कम उपज, मिट्टी का कटाव, सिंचाई सुविधाओं की कमी, आदानों का अकुशल उपयोग, रासायनिक उर्वरकों का अवैज्ञानिक उपयोग, उर्वरकों में असंतुलित एनपीके अनुपात, फसल के बाद प्रबंधन की कमी, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच आदि जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियों से गुज़र रहा है। चौथी औद्योगिक क्रान्ति की प्रौद्योगिकियां इन चुनौतियों का सामना करने में प्रमुख भूमिका निभा सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) की रिपोर्ट में कहा गया है कि डिजिटल तकनीक पर आधारित कृषि का मूल्य 2025 तक 65 अरब डॉलर तक हो सकता है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर डिजिटल कृषि का प्रभाव और भी अधिक होगा।

ड्रोन एक ऐसी तकनीक है जिसे कृषि क्षेत्र में प्रमुखता मिल रही है। भूमि मानचित्रण, कृषि रसायन और तरल उर्वरकों का छिड़काव (जैसे नैनो यूरिया/नैनो डीएपी/सागरिका आदि), सीडिंग, फसल उपज मूल्यांकन, और ड्रोन-आधारित विश्लेषण ड्रोन के सबसे प्रमुख उपयोग हैं। प्रारम्भिक परिणाम आशाजनक रहे हैं। एग्रोकेमिकल्स और तरल उर्वरकों के छिड़काव में इसके सक्रिय उपयोग की क्षमता है क्योंकि यह इनपुट की लागत 25-90 प्रतिशत तक घटाता है, त्वचा का जोखिम 90 प्रतिशत तक कम करता है और फसल की उपज सुधारता है। मानचित्रण दूसरा प्रमुख उपयोग है जिसमें सटीक कृषि और भूमि विवाद कम करने की क्षमता है।

देखने में आया है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तरी राज्यों में मशीनों से खेती (कुल मिलाकर 70-80 प्रतिशत तथा धान और गेहूं की खेती में 80 से 90 प्रतिशत) में वृद्धि हुई है। हालांकि, चीन (70 प्रतिशत से अधिक), ब्राजील (75 प्रतिशत से अधिक), और संयुक्त राज्य अमरीका (95 प्रतिशत से अधिक) जैसे अन्य देशों की तुलना में यह अब भी कम है। मशीनीकरण का निम्न स्तर (भारत में 50 प्रतिशत से कम) फसल और कटाई के बाद के चरणों में अक्षमता बढ़ाता है, जो फसलों की कम उपज होने का एक कारण है। कृषि क्षेत्र में ड्रोन की शुरुआत के साथ, इनपुट लागत कम करते हुए उपज बढ़ाना सम्भव है। भारतीय कृषि में बार-बार कीट-पतंगों के हमले का ख़तरा रहता है। ड्रोन से कीटनाशकों/फफूंदनाशी/तरल उर्वरकों आदि का छिड़काव करके कीट संक्रमण और फसलों पर उनके दुष्प्रभाव की समस्या हल की जा सकती है।

इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) की रिपोर्ट में कहा गया है कि डिजिटल तकनीक पर आधारित कृषि का मूल्य 2025 तक 65 अरब डॉलर तक हो सकता है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर डिजिटल कृषि का प्रभाव और भी अधिक होगा। ड्रोन भारतीय कृषि को बदलने में मदद कर सकते हैं, कृषि जीडीपी को 1-1.5 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं, कम से कम 5 लाख नई नौकरियां पैदा कर सकते हैं, और समृद्धि के एक नए डिजिटल युग की शुरुआत करने में देश को मदद दे सकते हैं।

ड्रोन, किसानों की परिचालन लागत कम करने का एक प्रभावी उपकरण है जो उनके इनपुट को भी अधिक उपयोगी बनाएगा। ड्रोन के सर्वेक्षण, सीडिंग, छिड़काव, परागण आदि जैसे अनेक उपयोग हैं जो प्रौद्योगिकी और व्यवसाय मॉडल बनने के विभिन्न चरणों में हैं।

वन पैक्स वन ड्रोन: कार्रवाई और लाभ

सरकार ने देश भर में बहुउद्देशीय पैक्स स्थापित करने का निर्णय लिया है। हर एक पैक्स के पास एक ड्रोन होगा जो इसकी आर्थिक स्थिति मज़बूत करेगा। अगर सरकार पैक्स द्वारा खरीदे जाने वाले कृषि ड्रोनों की लागत में 75 प्रतिशत अनुदान दे जैसा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कृषि उत्पादन संगठनों (एफपीओज़) को देता है तो यह पैक्स को एक बड़ी मदद होगी।

ड्रोन भारतीय कृषि को बदलने में मदद कर सकते हैं, कृषि जीडीपी को 1-1.5 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं, कम से कम 5 लाख नई नौकरियां पैदा कर सकते हैं और समृद्धि के एक नए डिजिटल युग की शुरुआत करने में देश को मदद दे सकते हैं। पैक्स (पीएसीएस) से जुड़े ग्रामीण उद्यमी जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं या इसके समकक्ष उत्तीर्ण की है और नागरिक उड्डयन महानिदेशक (डीजीसीए) द्वारा निर्दिष्ट संस्थानों से पायलट लाइसेंस ले रखा है, वे कृषि ड्रोन उड़ा सकेंगे।

भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग ने तरल उर्वरकों का ड्रोन से छिड़काव करने वाले उद्यमी विकसित करने के बारे में जो दिशानिर्देश प्रकाशित किये हैं उनमें कृषि स्प्रे ड्रोन की वाणिज्यिक लागत गणना शामिल है जिसमें कहा गया है कि उद्यमियों और पैक्स (पीएसीएस) से जुड़े सदस्यों का शुद्ध वार्षिक लाभ लगभग 5 से 6 लाख रुपये की सीमा में होगा।

निष्कर्ष

कृषि में ड्रोन तकनीक का कार्यान्वयन अब भी एक बड़ा मुद्दा है। कुछ कॉर्पोरेट कृषि संस्थानों या बड़े किसानों- या प्रगतिशील किसानों ने कृषि में ड्रोन का उपयोग करने में रुचि दिखाई है। इस 'वन पैक्स वन ड्रोन' पहल के माध्यम से, प्रौद्योगिकी का लाभ छोटे और सीमान्त किसानों तक भी पहुंच सकता है। भारतीय सहकारी समितियां, उभरते युवा उद्यमियों की मदद से ग्रामीण भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं और ग्रामीण युवाओं को उनके मूल स्थानों पर ही रोज़गार उपलब्ध करवा सकती हैं। 'वन पैक्स वन ड्रोन' की पहल, प्रौद्योगिकी की मदद से सहकारी क्षेत्र में परिवर्तन की एक मिसाल होगी। ❑

(लेख में व्यक्त किए गए विचार निजी हैं)

कृषि-आपूर्ति शृंखला प्रबंधन

कृषि सहकारी समितियों का ध्यान अब विपणन और प्रसंस्करण के अलावा उत्पादन से गुणवत्तापूर्ण उपज पर है। सहकारी विपणन समितियां बेहतर भण्डारण सुविधाओं, संसाधनों के कुशल प्रबंधन, किसानों को समय पर भुगतान और अपशिष्ट कम करने की दिशा में प्रगति कर रही हैं। कृषि जिंसों की प्रभावी ग्रेडिंग, छंटाई और संभाल, एक कुशल आपूर्ति शृंखला बनाने में मदद कर सकती है। सहकारी समितियां सिलसिलेवार आपूर्ति शृंखलाएं बना कर अधिकतम मुनाफ़ा कमाने से परे जलवायु, सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय पर ध्यान दे रही हैं।

स्नेहा कुमारी

सिम्बॉयसिस स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स, सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल (मानद विश्वविद्यालय) पुणे में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत। ईमेल: snehakumari1201@gmail.com

आपूर्ति शृंखलाएं अपने संगठनों के सदस्यों के बीच उत्पादों और सूचनाओं से जुड़ी रहती हैं। इनका काम, माल को अंतिम उत्पाद के रूप में तैयार करना और तैयार उत्पादों को इनके अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाना होता है। किसी भी आपूर्ति शृंखला की सफलता का असली पैमाना यह है कि वह आपूर्ति शृंखला के भीतर ही हर तरह के मूल्य और मुनाफ़ा बनाने की गतिविधियों में कितनी कुशलता से समन्वय करती हैं। आपूर्ति शृंखला, उत्पादक से ग्राहक तक कृषि जिंसों के प्रवाह की निगरानी पर केन्द्रित है जिसमें उसे माल के संचालन, ढुलाई, स्टोर, ख़रीद, भंडारण, प्रबंधन और प्रसंस्करण तक पर नज़र रखनी होती है। कृषि आपूर्ति शृंखला प्रबंधन (एएससीएम) कुशल नियोजन, डिज़ाइन, समन्वय, संगठन, भंडारण, प्रसंस्करण और खेत से थाली तक कृषि जिंसों के प्रवाह की निगरानी करना है। हालांकि इन आपूर्ति शृंखलाओं के समक्ष प्रायः मौसम, बाज़ार के उतार-चढ़ाव, बाज़ार मूल्य दर, और आपूर्ति शृंखला में बाधा जैसी अनेक चुनौतियां रहती हैं। जलवायु-चतुर सिलसिलेवार कृषि आपूर्ति शृंखला अपनाने से कृषि पर सामाजिक और पर्यावरणीय दबाव कम होगा।

आपूर्ति शृंखला प्रबंधन का महत्व

कृषि आपूर्ति शृंखला, किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं, संग्राहकों, थोक विक्रेताओं, वितरकों, खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं

जैसे विभिन्न हितधारकों को जोड़कर, खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि विकास सुनिश्चित करती है। ख़रीद, विपणन और वितरण के लिए किसान, आपूर्ति शृंखला के मध्यस्थों पर निर्भर हैं। आपूर्ति शृंखला प्रबंधन को अपनी भंडारण समस्याओं, परिवहन समस्याओं और इन्वेंट्री प्रबंधन संभालने के लिए संसाधनों के सही आवंटन की आवश्यकता होती है।

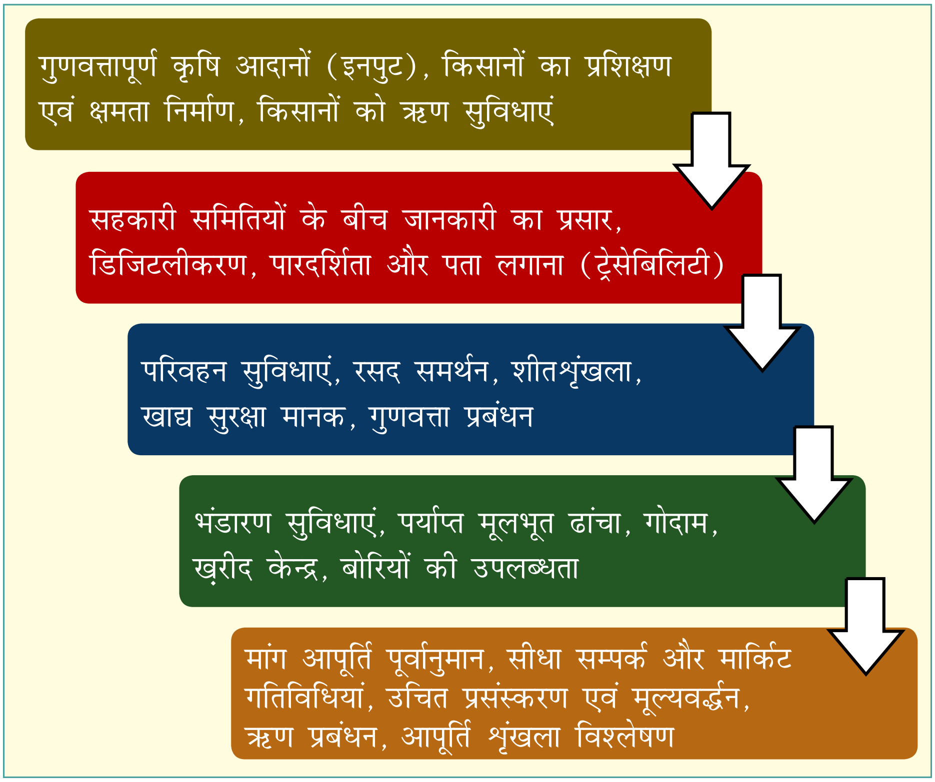

चित्र1: सहकारी समितियों के माध्यम से आपूर्ति शृंखला का प्रबंधन

कृषि-आपूर्ति शृंखला में सहकारी समितियां

सहकारी समितियां, कृषि आपूर्ति शृंखला के तकनीकी, वित्तीय और संचालन सम्बन्धी कार्यों में मदद करती हैं। किसान उत्पादक संगठन (एफ़पीओ), क्लस्टर-आधारित व्यावसायिक संगठन (सीबीबीओ), सहकारी विपणन समितियों जैसे समूह, कृषि-आदानों की थोक ख़रीद, ऋण सुविधा देने, कृषि-सलाहकार सेवाएं देने, सामूहिक विपणन के लिए उपज का एकत्रीकरण और कृषि वस्तुओं के प्रसंस्करण जैसी विविध व्यावसायिक गतिविधियों के लिए उत्तरदायी हैं। सहकारी समितियां, सूचना प्रसार, विपणन, परिवहन और कृषि वस्तुओं के वितरण का मंच प्रदान करती हैं। उत्पादक सहकारी समितियों ने सहजीवी कार्यों के माध्यम से आपूर्ति शृंखला गतिविधियां एकीकृत की हैं। सहकारी समितियां उचित कृषि-आदानों (बीज, उर्वरक, कृषि रसायन, कृषि उपकरण और जैव उर्वरक) की आपूर्ति करके ऋण सुविधाओं की पेशकश करने और गुणवत्तापूर्ण उपज प्राप्त करने में मदद करती हैं।

सहकारी विपणन और आपूर्ति शृंखला

कृषि सहकारी समितियां अब विपणन और प्रसंस्करण के अलावा उत्पादन से गुणवत्तापूर्ण उपज लेने पर ध्यान दे रही हैं। सहकारी विपणन समितियां बेहतर भंडारण सुविधाओं, संसाधनों के कुशल प्रबंधन, किसानों को समय पर भुगतान और अपशिष्ट कम करने की दिशा में प्रगति कर रही हैं। कृषि वस्तुओं की प्रभावी ग्रेडिंग, छंटाई और संभाल, एक कुशल आपूर्ति शृंखला बनाने में मदद कर सकती है।

प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी (पैक्स) भंडारण और आपूर्ति शृंखला प्रबंधन

भारत के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय से बुनियादी ढांचे को हाल में मिले बढ़ावे से देश सहकारी आंदोलन में तेज़ी से विकास देखने जा रहा है। प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी (पीएसीएस-पैक्स) बहुउद्देश्यीय बनने की आशा है और यह बहु-आयामी गतिविधियां करने में सक्षम होगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मत्स्यपालन, डेयरी, ग्रामीण गोदामों का निर्माण, खाद्यान्नों की ख़रीद, कृषि आदानों (बीज, उर्वरक) का भंडारण, एलपीजी/सीएनजी/पेट्रोल वितरण, अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण, कस्टम हायरिंग केंद्र, सामान्य सेवा केंद्र, उचित दर दुकानें (एफपीएस), सामुदायिक सिंचाई, व्यापार गतिविधियां आदि शामिल हैं।

आपूर्ति शृंखला, उत्पादक से ग्राहक तक कृषि जिंसों के प्रवाह की निगरानी पर केन्द्रित है जिसमें उसे माल के संचालन, ढुलाई, स्टोर, ख़रीद, भंडारण, प्रबंधन और प्रसंस्करण तक पर नज़र रखनी होती है। कृषि आपूर्ति शृंखला प्रबंधन (एएससीएम) कुशल नियोजन, डिज़ाइन, समन्वय, संगठन, भंडारण, प्रसंस्करण और खेत से थाली तक कृषि जिंसों के प्रवाह की निगरानी करना है।

कच्चे माल से मूल्य संवर्द्धन तकः सफल सहकारी समितियों की यात्रा

वेंकटेश्वर कोऑपरेटिव पॉवर एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड का किसानों और पूर्व सैनिकों के सदस्यों के रूप में एक मज़बूत संगठन है जिसकी स्थापना 2019 में शिवाजी डोले ने की थी। अभी इस सहकारी समिति के 20,000 किसान सदस्य हैं। सोसायटी का संचालन क्षेत्र महाराष्ट्र से कर्नाटक तक है। यह संगठन कृषि-जिंसों के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और निर्यात में शामिल है। नाशिक ज़िले में मालेगांव के अजंग-वाडेल में सहकारी समिति का 528 एकड़ भूमि का खेत है। सहकारी समिति ने काजू प्रसंस्करण के लिए अभिनव रणनीतियां विकसित की हैं और एक विपणन परियोजना, नागपुर में एक दूध प्रसंस्करण केंद्र, जिरेनियम खेती, एनारोबिक माइक्रोन्यूट्रिऐंट कम्पोस्टिंग बैग परियोजना, कृषि भंडारण/गोदाम, जैविक हल्दी प्रसंस्करण इकाइयां, मोती की खेती, फल और सब्ज़ी निर्यात, बकरी पालन और पशुधन निर्यात परियोजनाएं सफलतापूर्वक लागू की हैं।

[स्रोतः www.venkateshwarapoweragro.com]

असम की ईस्टर्न ऐग्रो प्रोसेसिंग एंड टी वेयरहाउसिंग कोऑपरेटिव सोसायटी की स्थापना गोपाल चंद्र बैश्य ने 1971 में की थी। सोसायटी ने सरसों मूल्य शृंखला को बढ़ावा देने के लिए सरसों तेल पैकेजिंग सुविधाएं, सोया परिष्कृत तेल पैकेजिंग इकाई और गुणवत्ता वाली असम चाय के लिए चाय पैकेजिंग इकाई स्थापित की। सोसायटी ने नीलामी केंद्रों पर चाय भंडारण की सुविधा दी है। सामूहिक दृष्टि की वजह से गुणवत्ता सुनिश्चित हुई और एक विश्वसनीय ब्राण्ड तैयार हुआ। सोसायटी ने भंडारघर और गोदाम संरचनाओं के माध्यम से वस्तुओं की आपूर्ति शृंखला को पुनर्जीवित किया है। विभिन्न स्थानों पर बिक्री केंद्र बनाने से लाभकारी नेटवर्क बनाने में मदद मिली।

[स्रोतः easternagro.co.in]

गोदामों, ख़रीद केन्द्रों, और उचित दर की दुकानों के प्रबंधन में बदलाव लाने के लिये गुणवत्तापूर्ण उत्पाद, इन्वेंट्री, रसद और सूचना प्रबंधन पर ध्यान देते हुए कारकों में सुधार लाने की ज़रूरत होती है।

प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसायटी (पैक्स) को बहु-सेवा केन्द्रों के रूप में विकसित किया गया है जो ऋण आवश्यकताएं पूरी करने के साथ-साथ कृषि उपज की ख़रीद और विपणन में किसानों की सहायता करते हैं। पैक्स द्वारा कृषि उपकरणों और कृषि-आदानों का भंडारण करने से किसानों को गुणवत्तापूर्ण आदान उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है। पैक्स गांवों में वितरण की सुविधा प्रदान करके, सामान्य सेवा केन्द्रों के रूप में कार्य कर रहे हैं। समय के साथ पैक्स, कृषि-आदान सुविधाएं, कृषि उपकरण और भंडारण क्षमता प्रदान करने के लिए अपने व्यवसाय में विविधता लाया है।

पैक्स (पीएसीएस) ने गुणवत्तापूर्ण उत्पादन सुनिश्चित करने के लिये किसानों को घर-घर जाकर खेती के लिये उचित बीज, उर्वरक और भंडारण की सुविधा दी है। हाल के वर्षों में उन्होंने कृषि ख़रीद, गोदाम बनाने, प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र, कस्टम हायरिंग केन्द्र, छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयों और कोल्ड चेन सुविधाओं, परख इकाइयों, रसद सुविधा, स्मार्ट और सटीक कृषि के लिए बुनियादी ढांचे, फसल समूहों के लिए आपूर्ति शृंखला बुनियादी ढांचे, पैकेजिंग इकाइयों, जैविक आदानों के उत्पादन, राइपनिंग चैंबर, समग्र परियोजना, जैव- उत्पादन इकाइयों, साइलो, वैक्सिंग प्लांट, फसलों के निर्यात समूहों के लिए आपूर्ति शृंखला बुनियादी ढांचा और अन्य के लिए ऋण प्राप्त किया है।

आपूर्ति शृंखला में जोखिम प्रबंधन

सहकारी समितियों को गुणवत्ता मानकों, उपलब्ध मानव संसाधनों, बाज़ार दर में उतार-चढ़ाव, जलवायु सम्बन्धी कारकों, रसद में देरी, कच्चे माल की उपलब्धता, दक्षता और कृषि-संचालन, वित्त, पैकेजिंग और विपणन आदि में उत्पादकता से जुड़े आपूर्ति शृंखला जोखिमों आदि का प्रबंधन करने की आवश्यकता है (चित्र 1)। सहकारी समितियों में आपूर्ति शृंखला जोखिमों का डिजिटलीकरण और डाटा विश्लेषण के माध्यम से प्रबंधन किया जा सकता है। सहकारी समितियां, मात्रा, सत्यता,

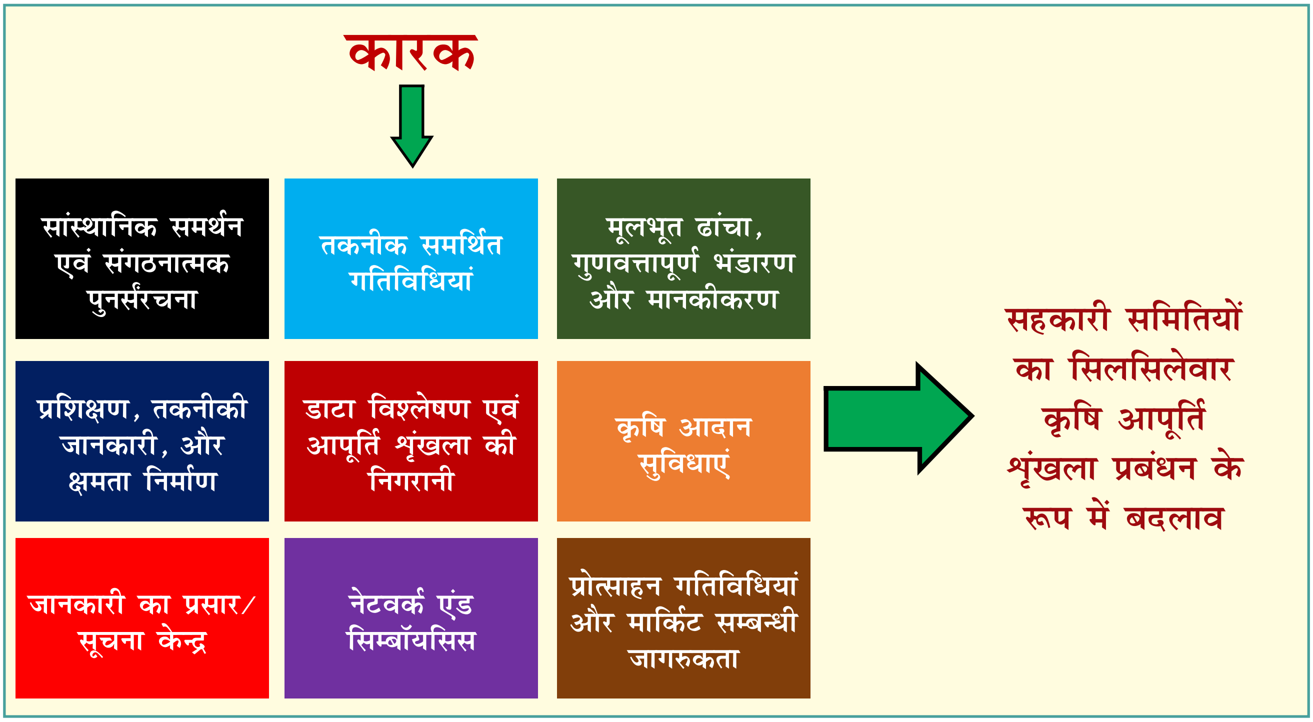

चित्र 2: सहकारी समितियों द्वारा कृषि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन: कारक

विविधता और वेग की विशेषता वाली आपूर्ति श्रृंखला में डाटा का अच्छी तरह से प्रबंधन कर सकती हैं।

आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के कारक

सहकारी समितियां, आपूर्ति श्रृंखला के सफल मॉडल लाकर, पुनरुत्पादक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बदल गई हैं। पुनर्योजी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहकारी समितियां, अधिकतम लाभ कमाने से परे जाकर जलवायु, सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय का ध्यान रख रही हैं। यह आपूर्ति श्रृंखला में उत्पन्न होने वाले उप-उत्पाद कम करने, उन्हें दोबारा उपयोग करने और उन्हें किसी अन्य रूप में बदलने यानी रीड्यूस, रीयूज़ और रिसायकल-3आर पर केंद्रित है और अपशिष्ट की मात्रा कम करता है। कृषि सहकारी समितियों को कृषि उत्पादों की उपयोग अवधि (शेल्फ लाइफ़) बढ़ाने के लिए भंडारण संरचनाओं और भंडारण की योजना बनाने के विशेष संदर्भ के साथ कारक (चित्र 2) पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

सहकारिता मंत्रालय ने हाल में तीन क्षेत्र-विशेष राष्ट्र स्तरीय सहकारी समितियां -बीज, निर्यात और जैविक समितियां बनाने अधिसूचना जारी की है। इन सहकारी समितियों की स्थापना और संवर्द्धन के लिए, सहकारी समितियों के सदस्यों के स्वामित्व, संचालन और प्रबंधन में एक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता होगी। 500 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ बीज बहु-राज्य सहकारी सोसायटी, गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण और वितरण जैसी आपूर्ति श्रृंखला के कार्यों में फिर से प्राण संचार करने में मदद देगी। जैविक उत्पाद सोसायटी प्रयोगशाला नेटवर्क के माध्यम से प्रमाणन और मानकीकरण लाकर जैविक खाद्य बाज़ार को लाभ पहुंचाएगी। सोसायटी, कृषि आपूर्ति श्रृंखलाओं के कार्यों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की सुविधा देगी। निर्यात समिति, ख़रीद, भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग जैसी विभिन्न आपूर्ति श्रृंखला गतिविधियों से सहकारी समितियों के 29 करोड़ सदस्यों को लाभान्वित करेगी।

सिलसिलेवार आपूर्ति श्रृंखला अपनाने से सहकारी समितियों को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ मिले हैं। संस्थागत समर्थन, संगठनात्मक पुनर्गठन, नेटवर्क और पारस्परिक निर्भरता (सिम्बॉयसिस), प्रशिक्षण, तकनीकी जानकारी, कृषि-आदान सुविधाएं, जानकारी का प्रसार, पर्याप्त बुनियादी ढांचा, गुणवत्तापूर्ण भंडारण, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, प्रचार गतिविधियां, बाज़ार सम्बन्धी जागरुकता, डाटा विश्लेषण और निगरानी जैसे कारकों की मदद से सहकारी समितियां, आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन बेहतर करने में मदद करेंगी। सहकारी समितियों के बीच औद्योगिक सहजीवन और आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क ने आपूर्ति श्रृंखला और समग्र सहकारी विकास में फिर से प्राण फूंकने में भी मदद की है। उप-उत्पादों के बारे में जानकारी का विस्तार करने और उनके उपयोग का पता लगाने की आवश्यकता है। सहकारी समितियों का कृषि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन इस बात पर निर्भर करता है कि सदस्यों को आपूर्ति श्रृंखला में हाल की प्रगति और प्रभावी प्रबंधन की दिशा में उनके अनुप्रयोगों के बारे में कितनी अच्छी तरह से जागरूक किया जाता है। ❑

(लेख में व्यक्त किए गए विचार निजी हैं)

सहकारिता क्षेत्र के विकास में सरकार और बैंकों की भूमिका

भारत की आज़ादी के (75वें) अमृत काल में शहरों और गांवों के बीच की खाई को पाटने, रोज़गार के नित्य नये अवसर उत्पन्न करने और इस विशाल भारत के ग्रामवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने में देश का सहकारिता क्षेत्र बेहद अहम भूमिका निभा सकता है, इस सच्चाई को समझते हुए भारत सरकार ने इस क्षेत्र को मज़बूत बनाने के उद्देश्य से 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की।

मंजुला वाधवा | नाबार्ड में उपमहाप्रबंधक। ईमेल: manjula.jaipur@gmail.com

भारत की आज़ादी के 75वें अमृत काल में शहरों और गांवों के बीच की खाई को पाटने, रोज़गार के नित्य नये अवसर उत्पन्न करने और इस विशाल भारत के ग्रामवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने में देश का सहकारिता क्षेत्र बेहद अहम भूमिका निभा सकता है, इस सच्चाई को समझते हुए भारत सरकार ने इस क्षेत्र को मज़बूत बनाने के उद्देश्य से 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। 'सहकार से समृद्धि' के विजन को साकार करने हेतु नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का मसौदा तैयार करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु के नेतृत्व में 49 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति का गठन 2 सितंबर, 2022 को किया गया। यह सहकारिताओं के नि:शुल्क पंजीकरण, कंप्यूटरीकरण, लोकतांत्रिक चुनाव, सक्रिय सदस्यता, शासन और नेतृत्व में व्यावसायिकता, पारदर्शिता, जिम्मेदारी और जवाबदेही आदि पर केन्द्रित है। वैसे तो हमारे देश में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत 1904 से ही हो गई थी और तब से आज तक सहकारी क्षेत्र में लाखों समितियों की स्थापना हुई है किंतु अमूल डेयरी जैसी सफलता की कहानियां बहुत कम रही हैं। आज देश में 8.5 लाख से अधिक सहकारी साख समितियां कार्यरत हैं जिनकी कुल सदस्य संख्या 28 करोड़ है, 55 किस्मों की सहकारी समितियां विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं।

सहकारी बैंकों/संस्थाओं की विशेषताओं पर गौर करें तो पाते हैं:- ये ग्राहक स्वामित्व वाली संस्थाएं हैं यानी इनके सदस्य ग्राहक और बैंक के मालिक दोनों होते हैं। लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण: सहकारी बैंकों का स्वामित्व और नियंत्रण सदस्यों द्वारा किया जाता है, जो लोकतांत्रिक रूप से निदेशक मंडल का चुनाव करते हैं। 'एक व्यक्ति, एक वोट' के सहकारी सिद्धांत के अनुसार सदस्यों के पास आमतौर पर समान मतदान अधिकार होते हैं। लाभ आवंटन: वार्षिक लाभ या अधिशेष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आम तौर पर प्रारक्षित निधि बनाने के लिए आवंटित किया जाता है और दूसरा हिस्सा कानूनी और वैधानिक सीमाओं के साथ सहकारी सदस्यों को भी वितरित किया जा सकता है। वित्तीय समावेशन: सहकारी संस्थाओं ने बैंकिंग के दायरे से बाहर की ग्रामीण जनता के वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सहकारी समितियां बड़े उद्योगों को महत्वपूर्ण कच्चे माल और मध्यवर्ती सामान उपलब्ध कराने के कारण अर्थव्यवस्था की चालक हैं और भारत के बढ़ते निर्यात बाजारों में अहम योगदान भी देती हैं। हर घर में पहुंच रहे अमूल दूध और लिज्जत पापड़ सहकारिता की सफलता के प्रमाण है।

यह निर्विवाद सत्य है कि सहकारिताएं इस विशाल और कृषि व ग्राम प्रधान भारत के आर्थिक व सामाजिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं किंतु सहकारिता क्षेत्र वर्षों से अनेक चुनौतियों से जूझता आ रहा है। इनकी कार्य प्रणाली को दिशा देने एवं इनके कार्यों को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए शीर्ष स्तर पर कोई संस्थान नहीं है। जिस प्रकार अन्य बैकों पर भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों का नियंत्रण रहता है, सहकारी क्षेत्र के बैकों पर नहीं है। इसीलिए सहकारी क्षेत्र के बैंकों की कार्य पद्धति पर हमेशा से ही आरोप लगते रहे हैं एवं कई तरह की धोखेबाजी की घटनाएं समय-समय पर उजागर होती रही हैं। सहकारी क्षेत्र के बैंकों का प्रबंध तंत्र भी बहुत पेशेवर, अनुभवी एवं सक्रिय नहीं रहा है। न ये बैंक जोखिम प्रबंधन की पेशेवर नीतियों पर चलते हैं और न ही ये बाज़ार से पूंजी जुटा पाने और अपने व्यवसाय का विविधीकरण कर पाने में ज़्यादा कामयाब हो पाते हैं। आज जब ग्रामीण क्षेत्रों में आय का स्वरूप ही बदल गया है, केवल 35 प्रतिशत आय कृषि कार्यों से तथा बाकी 65 प्रतिशत गैर-कृषि आधारित कार्यों से होती है, कृषि क्षेत्र में सहकारिताओं की हिस्सेदारी घटते-घटते अब केवल 12-13 प्रतिशत रह गई है जबकि फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों में सहकारी संस्थाएं कृषि क्षेत्र की सभी जरूरतों- ऋण से लेकर विपणन तक, को पूरा करती हैं। लिहाजा, ज़रूरी हो गया है कि सहकारी संस्थाएं/बैंक वक्त की रफ्तार के साथ चलते हुए नए बिज़नेस मॉडल बनाएं। व्यापार एवं निर्माण कार्यों को आसान बनाने के उद्देश्य से 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' के क्षेत्र में जो कार्य किया जा रहा है उसे सहकारी संस्थानों पर भी लागू किया जाए ताकि इस क्षेत्र में भी काम करना आसान हो सके।

इन चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने सितम्बर 2020 में प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम नीति में संशोधन करते हुए प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों (प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स) को भी अपने नियंत्रण के दायरे मे लाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। गत वर्ष, 8 जून, 2022 को फिर से सहकारिता क्षेत्र के लिए गए अत्यंत महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों की घोषणा की। ये नीचे दिए गए हैं:

सबसे पहले, शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा टीयर-I यूसीबी के लिए 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 60 लाख रुपये और टीयर-II यूसीबी के लिए 70 लाख रुपये से 1.40 करोड़ रुपये और ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) के लिए क्रमश: 20 लाख रुपये और 30 लाख रुपये को दोगुनी से अधिक बढ़ाकर 50 लाख रुपये और 75 लाख रुपये कर दिया गया है।

- दूसरे, ग्रामीण सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक रियल एस्टेट आवासीय गृह क्षेत्र को उधार देने की अनुमति दी गई है।
- तीसरे, शहरी सहकारी बैंकों को अब वाणिज्यिक बैंकों की तर्ज पर अपने ग्राहकों को घर पर ही बैंकिंग सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी गई है। ये निर्णय सहकारी बैंकों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करेंगे और सहकारी क्षेत्र के विकास को एक नया आयाम देंगे।

भारत का शीर्षस्थ कृषि व ग्रामीण विकास बैंक- नाबार्ड 1982 में अपनी स्थापना के समय से ही सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के प्रयास लगातार करता आ रहा है जैसे अल्पावधि ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचे की स्थिति सुधारने के लिए पुनरुद्धार पैकेज के कार्यान्वयन में सहायता, राज्य सहकारी बैंकों को अल्पावधि मौसमी कृषि परिचालनों और दीर्घावधि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण सीमाओं की स्वीकृति, मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को अल्पावधि बहुउद्देश्यीय ऋण के लिए प्रत्यक्ष पुनर्वित्तीयन सहायता, विपणन सहकारी संघों को पुनर्वित्तीयन एवं ऋण सहायता, पूर्वोत्तर एवं अन्य क्षेत्रों के लिए रियायती ब्याज पर विशेष पैकेज़, उनके क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण एवं बुनियादी सुविधा विकास के लिए सहकारी विकास निधि (कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड) का सृजन, सहकारी बैंकों

सहकारी चीनी समितियों को विशेष राहत

किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य देने के क्रम में अगर सहकारी चीनी मिलों ने गन्ने के अधिक मूल्य का भुगतान किया तो, उन मिलों पर अतिरिक्त आयकर नहीं लगेगा

को कोर बैंकिंग से जोड़कर उन्हे अन्य बैंकों के समतुल्य बनाना, सहकारी बैंकों में पैक्स विकास कक्ष (पीडीसी) की स्थापना हेतु सहायता आदि। नाबार्ड ने वर्ष 2020 में 35,000 पैक्स को किसानों को कई तरह की सेवाएं देने वाली बहुउद्देश्यीय समितियों के रूप में अपग्रेड करने का फैसला लिया जिसे आज सहकारिता मंत्रालय और नाबार्ड मिलकर पूरे तालमेल से कुशलतापूर्वक कार्यान्वित कर रहे हैं। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान किसानों को फसल कटाई और उत्पादन संबंधी गतिविधियों के लिए अबाधित ऋण प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड ने सहकारी बैंकों को 16800 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जिसके कारण राष्ट्रीय आपदा के 02 वर्षों के दौरान भी कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा।

आइए, अब चर्चा करते हैं भारत सरकार द्वारा सहकारिता क्षेत्र के विकास हेतु उठाए गए नवीनतम कदमों के बारे में: 2023-24 के बजट में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता की स्थापना की घोषणा की गई है। यह दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण सुविधा होगी। यह सहकारिता की दिशा और दशा बदलने वाला निर्णय है। नई सहकारी निर्माण समितियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए बजट में 31 मार्च, 2024 से पहले कार्यरत समितियों पर 15 प्रतिशत की रियायती आयकर दर की घोषणा की गई है। सहकारी चीनी मिलों को भी राहत इसी बजट में दी गई है। निर्धारण वर्ष 2016-17 से पहले गन्ना किसानों को किए गए भुगतान के दावों को अब 'व्यय' माना जाएगा। इससे सहकारी चीनी समितियों को लगभग 10,000 करोड़ रुपये की लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि, सहकारी समितियां लंबे समय से हमारी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और भौगोलिक विविधताओं के कारण इनके लाभ पूरे देश को बराबर नहीं मिल पा रहे है। तेजी से बढ़ रहे सहकारी क्षेत्र को कुशल और प्रशिक्षित जनशक्ति की आपूर्ति के लिए एक 'राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय' स्थापित करने का भी काम हो रहा है। हाल में सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच सहमति ज्ञापन हुआ है जो प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को कामन सर्विस सेंटर द्वारा दी जाने वाली सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। निकट भविष्य में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को किसान उत्पादक संगठन (फारमर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन) का दर्जा देने की दिशा में कदम उठाने का भी निर्णय लिया गया है।

इसके अलावा, पिछले साल, बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022 लाया गया जिसका उद्देश्य सहकारिताओं में गवर्नेंस को मज़बूत करने, पारदर्शिता बढ़ाने, जवाबदेही बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया में सुधार आदि को शामिल करते हुए 97वें संविधान संशोधन के प्रावधान और मौजूदा कानून के पूरक बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन करना है। इतना ही नहीं, बहु-राज्य सहकारी समिति (एमएससीएस) अधिनियम के तहत निर्यात, बीज और जैविक उत्पादों के लिए राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति की स्थापना को मंजूरी देने का सराहनीय निर्णय भी लिया गया है। सहकारी समितियां छोटे स्तर के उद्यमियों को उत्पादन लागत कम करने के लिए रियायती दरों पर कच्चे माल की खरीद में भी मदद करती हैं। साथ ही, वे उत्पादकों को बिक्री मूल्य में कटौती करने और उच्च बिक्री व लाभ सुनिश्चित करने में उनकी मदद करने के उद्देश्य से बिचौलियों को हटाकर उनके उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं को बेचने के लिए मंच भी प्रदान करती हैं। सच तो यह है कि सहकारी समितियां बड़े उद्योगों को महत्वपूर्ण कच्चे माल और मध्यवर्ती सामान उपलब्ध कराने के कारण अर्थव्यवस्था की चालक हैं और भारत के बढ़ते निर्यात बाजारों में अहम योगदान भी देती हैं। हर घर में पहुंच रहे अमूल दूध और लिज्जत पापड़ सहकारिता की सफलता के प्रमाण है। इफ्को और कृभको जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं ने देश में कृषि क्रांति लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अलावा, राज्य स्तर पर कई सहकारी समितियां, जैसे शहरी सहकारी बैंक, पैक्स, आवास और मत्स्यपालन सहित अन्य अनेक सहकारी समितियां, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए अथक प्रयास कर रही हैं।

आज देश की आधी से ज्यादा आबादी निर्माता, उपभोक्ता, वित्तपोषण या किसी न किसी अन्य रूप में सहकारिता से

जुड़ी हुई है, जिसमें सहकारी समितियां पैक्स के माध्यम से देश के 70 प्रतिशत किसानों को कवर करती हैं। देश में 31 राज्य स्तरीय सहकारी बैंक, 363 जिला स्तरीय सहकारी बैंक और 63,000 पैक्स हैं। इसके अलावा, देश के 19 प्रतिशत कृषि वित्त का प्रबंध सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाता है। साथ ही 35 प्रतिशत उर्वरक वितरण, 30 प्रतिशत उर्वरक उत्पादन, 40 प्रतिशत चीनी उत्पादन, 13 प्रतिशत गेहूं की खरीद और 20 प्रतिशत धान की खरीद केवल सहकारी समितियों द्वारा की जाती है। लगभग 500 सहकारी समितियों को जीईएम पोर्टल में भी पंजीकृत किया गया है, जिससे वे 40 लाख से अधिक विक्रेताओं से खरीदारी कर सकें। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 09 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल पर सहकारी समितियों के बोर्डिंग को ई-लॉन्च किया। 2023 के केन्द्रीय बजट में अगले 05 सालों में 63000 पैक्स के डिजिटलीकरण के लिए 2516 करोड़ रुपये के आबंटन की घोषणा की गई है। हाल ही में फरवरी 2023 में देश में सहकारिता आंदोलन को सशक्त बनाने और गांवों के स्तर पर इनकी सेवाएं पहुंचाने के प्रयोजन से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड तथा राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को कार्ययोजना बनाने का ज़िम्मा सौंपा गया है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित योजनाओं में आपसी तालमेल बिठाकर इस कार्ययोजना को अमली जामा पहनाया जाएगा:

पशुपालन व डेयरी विभाग की योजनाएं:

- राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)
- डेयरी प्रसंस्करण एवं आधारभूत सरंचना विकास निधि (डीआईडीएफ)।

मत्स्यपालन विभाग की योजनाएं:

- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)
- मत्स्यपालन व एक्वाकल्चर आधारभूत सरंचना विकास निधि (एफआईडीएफ)

इन कोशिशों के बावजूद, अभी भी हमारे देश में 1.6 लाख पंचायतें ऐसी हैं जहां कोई प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) नहीं हैं और 02 लाख पंचायतें ऐसी हैं जहां कोई डेयरी सहकारी समिति नहीं है। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेज़ गति से आगे बढ़ाने में पैक्स की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, जरूरत है, सहकारिता आंदोलन को तेज़ी से चलाकर हर पंचायत में पैक्स गठित करने की, ताकि प्रधानमंत्री का नीचे दिया गया सपना साकार किया जा सके:

''अगर सही अर्थों में भारत को 'आत्मनिर्भर' बनाना है तो बहुत-सी समस्याओं का समाधान स्वावलम्बी होने में है और यह पाठ हमें सहकारी संस्थाओं/बैंकों से बेहतर कोई नहीं पढ़ा सकता।'' ❑

विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना

सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी 'अन्न भंडारण योजना' की सुविधा के लिए एक सशक्त अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है। यह कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण से किया जाएगा।

व्यावसायिक तरीके से योजना का समयबद्ध और समान कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, सहकारिता मंत्रालय देश के विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के कम से कम 10 चयनित जिलों में एक प्रायोगिक परियोजना लागू करेगा। यह परियोजना की विभिन्न क्षेत्रीय आवश्यकताओं के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी, जिससे सीख को योजना के देशव्यापी कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा।

अंतर मंत्रालयी समिति का गठन सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में किया जाएगा, जिसमें सदस्य के रूप में कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और संबंधित सचिव होंगे जो जरूरत पड़ने पर संबंधित मंत्रालयों की योजनाओं के दिशानिर्देशों/कार्यान्वयन पद्धतियों को संशोधित करेंगे। इसे चयनित 'व्यवहार्य' प्राथमिक कृषि साख समितियों में कृषि और संबद्ध उद्देश्यों के लिए गोदामों आदि जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण द्वारा अन्न भंडारण योजना की सुविधा के लिए अनुमोदित परिव्यय और निर्धारित लक्ष्यों के भीतर किया जाएगा। योजना का कार्यान्वयन संबंधित मंत्रालयों की पहचान की गई योजनाओं के तहत उपलब्ध कराए गए परिव्यय का उपयोग करके किया जाएगा।

इस योजना में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के स्तर पर गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयों आदि सहित विभिन्न प्रकार के कृषि-बुनियादी ढांचे को स्थापित करने पर जोर दिया गया है, इस प्रकार उन्हें बहुउद्देशीय समितियों में बदल दिया गया है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के स्तर पर बुनियादी ढांचे के निर्माण और आधुनिकीकरण से पर्याप्त भंडारण क्षमता का निर्माण करके खाद्यान्न की बर्बादी को कम किया जा सकेगा, देश की खाद्य सुरक्षा को मज़बूत किया जा सकेगा और किसानों को उनकी फसलों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सकेगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था के कृषि और ग्रामीण परिदृश्य को बदलने में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा जमीनी स्तर पर निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए और अंतिम मील तक उनकी गहरी पहुंच का लाभ उठाने के लिए, अन्य कृषि संरचनाओं के साथ प्राथमिक कृषि ऋण समिति स्तर पर विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित करने के लिए यह पहल की गई है। यह पहल न केवल देश की खाद्य सुरक्षा को मज़बूत करेगी, बल्कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को खुद को जीवंत आर्थिक संस्थाओं में बदलने में सक्षम करेगी। ❑

(स्रोत: पीआईबी)

विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना

योजना के लाभ

- यह योजना बहु-आयामी है - इसका उद्देश्य प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के स्तर पर गोदामों की स्थापना की सुविधा देकर न केवल देश में कृषि भंडारण बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करना है, बल्कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को अन्य विभिन्न गतिविधियों को करने में भी सक्षम बनाना है, जैसे:
  - राज्य एजेंसियों/भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के लिए खरीद केंद्रों के रूप में कार्य करना;
  - उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के रूप में कार्य करना;
  - कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना;
  - कृषि उपज के लिए परखना, छंटाई, ग्रेडिंग इकाइयों आदि सहित सामान्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करना।
- इसके अलावा, स्थानीय स्तर पर विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता के निर्माण से खाद्यान्न की बर्बादी कम होगी और देश की खाद्य सुरक्षा मज़बूत होगी।
- किसानों को विभिन्न विकल्प प्रदान करके, यह फसलों की संकटपूर्ण बिक्री को रोकेगा, इस प्रकार किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सक्षम करेगा।
- यह खाद्यान्नों को खरीद केंद्रों तक ले जाने और स्टॉक को फिर से गोदामों से उचित मूल्य की दुकानों तक वापस ले जाने के लिए परिवहन में होने वाली लागत को बहुत कम कर देगा।
- 'संपूर्ण-सरकार' दृष्टिकोण के माध्यम से, योजना प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में विविधता लाने में सक्षम बनाकर उन्हें मज़बूत करेगी, इस प्रकार किसान सदस्यों की आय में भी वृद्धि होगी।